PERFECT 7

साप्ताहिक

समसामयिकी

अगस्त-2019 | अंक-4

स्वतंत्रता दिवस विशेषांक

चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ

तीनों सेनाओं का एकीकृत नेतृत्व

- मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 : एक विश्लेषण
- मानसिक बीमारी : भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय
- खेलों में डोपिंग : मुद्दे एवं चुनौतियाँ
- भारत में प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या एवं उसका समाधान
- गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 : एक अवलोकन
- जनसंख्या पर नियंत्रण : भारत के लिए बड़ी चुनौती

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES (CAIPTS) TARGET 2020

(ENGLISH & HINDI MEDIUM)

1 SEPTEMBER 2019

This programme is available for all centres

UP-PCS PT TEST SERIES

(ENGLISH & HINDI MEDIUM)

1 SEPTEMBER 2019

This programme is available for all centres

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

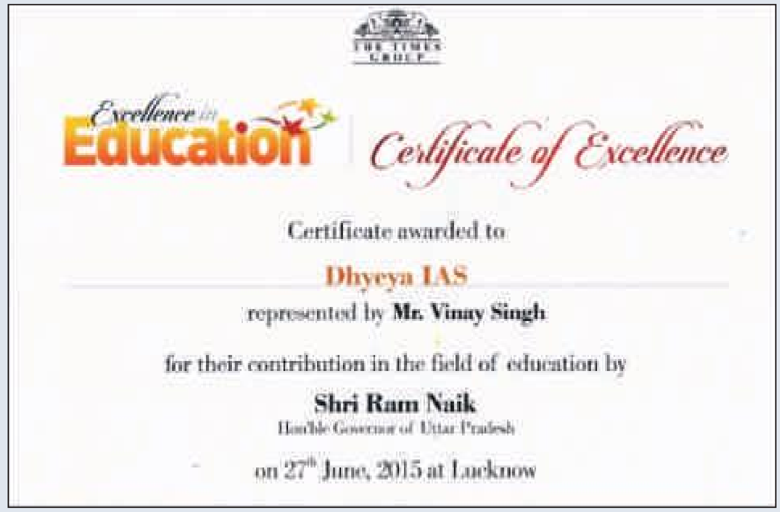

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण

Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

अगस्त-2019 | अंक-4

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन, अवनीश पाण्डेय, शशिधर मिश्रा

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार, बाघेन्द्र प्रताप सिंह

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम, जीवन ज्योति

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार, सचिन कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल, तरून कनौजिया

लेख सहयोग
रजनी तिवारी, मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, आयुषी जैन,
प्रीति मिश्रा, आदेश, अंकित मिश्रा, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार, राजू यादव, शुभम,
अरूण त्रिपाठी, चंदन

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ : तीनों सेनाओं का एकीकृत नेतृत्व
- मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 : एक विश्लेषण
- मानसिक बीमारी : भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय
- खेलों में डोपिंग : मुद्दे एवं चुनौतियाँ
- भारत में प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या एवं उसका समाधान
- गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 : एक अवलोकन
- जनसंख्या पर नियंत्रण : भारत के लिए बड़ी चुनौती

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

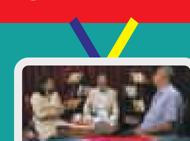

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ : तीनों सेनाओं का एकीकृत नेतृत्व

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नई व्यवस्था जल्द शुरू करने की बात कही है। इसके तहत चार स्टार वाले जनरल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया जाएगा। तीनों सेनाओं के प्रमुख उनके अधीन होंगे। सीडीएस तीनों सेनाओं का एकीकृत नेतृत्व करेगा।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) क्या है?

तीनों सेनाओं थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए इस पद का गठन किया गया है। सीडीएस देश के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च रैंक (तीनों सेनाओं) वाला अधिकारी होगा।

दूसरे शब्दों में सीडीएस का तात्पर्य है, सरकार के लिये एक सूत्री सैन्य सलाहकार का होना, जो तीनों सेनाओं के दीर्घकालिक नियोजन, खरीद, प्रशिक्षण एवं लॉजिस्टिक्स का समन्वय करेगा। भविष्य के युद्ध छोटे, शीघ्रगामी और नेटवर्क केंद्रित हो रहे हैं। अतः देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने हेतु तीनों सेनाओं में समन्वय अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

गौरतलब है कि सीडीएस के पास सैन्य सेवा का लंबा अनुभव और उपलब्धियाँ होनी चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की जिम्मेदारी थल सेना, नौसेना या वायु सेना प्रमुख को दी जा सकती है।

पृष्ठभूमि

आजादी के समय भारत सरकार ने अंग्रेजी हुकुमत के अंतिम वायसराय लार्ड माउंटबैटन और उनके चीफ आफ स्टाफ के समक्ष आजाद भारत के लिए उच्च रक्षा प्रबंधन की गुजारिश की थी, जिस पर प्रत्येक सैन्य सेवा के लिए एक कमांडर-इन-चीफ तथा केन्द्र के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए चीफ आफ स्टाफ कमेटी बनाए जाने का सुझाव सामने आया था। लेकिन, आजादी के बाद यह व्यवस्था अस्तित्व में न आ सकी और तीनों सेनाओं के अलग-अलग प्रमुख नियुक्त कर दिये गये तथा रक्षा मामलों से जुड़ी सर्वोच्च शक्तियां राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में रखी गयीं।

आजादी के बाद से सेना के तीनों अंग अपने-अपने कमांडर-इन-चीफ के अधीन ही कम कर रहे थे, जिनके नाम सन 1955 में बदलकर थल सेना प्रमुख, जल सेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख कर दिये गये। सन 1960 तक जल और वायु सेना की कमांड तीन सितारों वाले अफसरों के हाथों में हुआ करती थी, जबकि थल सेना का नेतृत्व चार सितारा अफसर के हाथों में हुआ करता था, जो इस बात का सूचक था कि थल सेना देश के सैन्य बल में प्राथमिक महत्त्व रखती है। लेकिन सन 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख चार सितारों वाले सैन्य अफसर की कमांड में रहने लगे।

गौरतलब है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के गठन की गंभीर आवश्यकता 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बाद से ही महसूस की जा रही थी। इस युद्ध के बाद बनी कारगिल समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार सीडीएस की सिफारिश की थी। 2012 में रक्षा क्षेत्र के सुधारों पर बनी नरेश चंद्रा कमेटी ने भी चार स्टार जनरल को सीडीएस बनाने की सिफारिश करते हुए तीनों सेनाओं के बीच समन्वय के लिए इसे जरूरी बताया था। यूपीए सरकार के समय इसके गठन की पहल भी शुरू हुई पर यह अमल में नहीं आ सकी। वर्तमान सरकार के पहले कार्यकाल में भी दो-तीन मौकों पर इसकी गंभीर पहल हुई मगर तब भी यह फाइलों से आगे नहीं बढ़ पाई।

उल्लेखनीय है कि कारगिल युद्ध के बाद जब 2001 में तत्कालीन डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने समीक्षा की तो पाया कि तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की कमी रही। अगर तीनों सेनाओं के बीच ठीक से तालमेल होता तो नुकसान को काफी कम किया जा सकता था। उस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) पद बनाने का सुझाव दिया गया। हालांकि तब वाजपेयी सरकार में मंत्रियों के समूह की सिफारिश पर सेना के तीनों अंगों के बीच सहमति न बन पाने के कारण इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।

इसके बाद बीच का रास्ता निकालते हुए बाद में तीनों सेनाओं के बीच उचित समन्वय के लिए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी {Chief of Staff Committee (CoSC)} का पद सृजित किया गया। हालांकि इसके चेयरमैन के पास कोई खास शक्ति नहीं होती, बस वह तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाने का कार्य करता है। फिलहाल एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं।

एयरफोर्स ने किया था सीडीएस सिस्टम का विरोध

लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता वाले जीओएम की सिफारिशों को तत्कालीन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) ने स्वीकार कर लिया था, फिर भी इसे लागू नहीं किया गया था। दरअसल आर्मी और नेवी के अफसरों ने इस पद का समर्थन किया था, मगर एयरफोर्स ने विरोध किया था। वहीं राजनीतिक स्तर से भी इस पद को बनाने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई गई। एडमिरल अरुण प्रकाश और पूर्व ऑर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह ने सेना के तीनों अंगों में सुधार और इंटीग्रेशन के लिए इस पद (CDS) की जरूरत बताई थी। हालांकि पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एस कृष्णास्वामी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

के पद का विरोध करते हुए इसे अनावश्यक बताया था।

वर्तमान स्थिति

वर्तमान समय में तीनों सेना प्रमुखों में से सबसे वरिष्ठ अधिकारी को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) नियुक्त किया जाता है। वैसे यह पद केवल एक अतिरिक्त भूमिका की तरह होता है और इसका कार्यकाल भी आमतौर पर बहुत कम रहता है। 31 मई, 2019 को वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा से यह जिम्मेदारी ली थी। 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होते ही धनोआ इस पद से भी मुक्त हो जाएंगे। उनके बाद सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत सीओएससी बनेंगे। वह भी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

कई देशों के पास सीडीएस सिस्टम

सीडीएस प्रणाली को अपनाने की बात सिर्फ भारत में ही नहीं हो रही है बल्कि विश्व के कई दशों में यह प्रणाली पहले से ही विद्यमान है और यह बेहतर कार्य कर रही है। इसे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

- **रक्षा कर्मचारियों का प्रमुख, इटली:** इटली का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इटैलियन आर्म्ड फोर्सेज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को संदर्भित करता है। यह पद 4 मई 1925 को बनाया गया था और पिएत्रो बडोग्लियो इसे धारण करने वाले पहले व्यक्ति थे।
- **सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ, फ्रांस:** वह फ्रांसीसी गणतंत्र की सेनाओं के सामान्य कर्मचारी मुख्यालय का प्रमुख है। सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ प्रमुख वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं जो फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं। यह पद 28 अप्रैल 1948 को बनाया गया था और अब गेनेराल फ्रांस्वा लेकोइंट्रे इस पद को संभाल रहे हैं।
- **जनरल स्टाफ के प्रमुख, चीन:** जनरल स्टाफ का प्रमुख चीन गणराज्य सशस्त्र बलों का प्रमुख है। यह पद 23 मई 1946 को बनाया गया था और वर्तमान में यह जनरल शेन यी-मिंग के पास है जबकि पहले धारक चेन चेंग थे।
- **रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख, स्पेन:** यह स्पेनिश सशस्त्र बलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाला सैन्य अधिकारी है। वह रक्षा मंत्री, प्रधान मंत्री, राष्ट्रीय रक्षा परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख सैन्य सलाहकार हैं।
- **रक्षा कर्मचारियों का प्रमुख, यूनाइटेड किंगडम:** जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय सेना ने यह व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम (यूके) से अपनाई है। सीडीएस ब्रिटिश सशस्त्र बलों का प्रमुख है। रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख (सीडीएस) रक्षा राज्य मंत्री और प्रधान मंत्री के वरिष्ठतम सैन्य सलाहकार भी हैं।
- **रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख, कनाडा:** चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कनाडाई सशस्त्र बलों का दूसरा सबसे वरिष्ठ सदस्य है। शीर्ष पद कमांडर-इन-चीफ के पास होता है। सीडीएस की स्थिति कनाडाई सशस्त्र बलों की तीन मुख्य शाखाओं में से एक वरिष्ठ सदस्य के पास है। वर्तमान सीडीएस जोनाथन वेंस 17 जुलाई 2015 से है।
- **चीफ ऑफ स्टाफ, ज्वाइंट स्टाफ, जापान:** वह सर्वोच्च श्रेणी के सैन्य अधिकारी और जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के परिचालन प्राधिकरण के प्रमुख हैं। चीफ ऑफ स्टाफ जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के सभी मामलों पर रक्षा मंत्री की सहायता करता है और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के आदेशों पर अमल करता है। यह पद 1 जुलाई 1954 को बनाया गया था और जनरल काजी यामाजाकी वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ, ज्वाइंट स्टाफ हैं।

सीडीएस की नियुक्ति से फायदे

सीडीएस के बनने से कई लाभ हैं जिन्हें निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

- सीडीएस के बन जाने से भारतीय सेना में पारदर्शिता बढ़ जाएगी क्योंकि जो काम कई चरणों में होता था अब वह एक चरण में संभव होगा।
- सेना के निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होगी क्योंकि अब एक बेहतर समन्वय के साथ निर्णय लिया जाएगा।
- तीनों सेनाओं के बीच उत्पन्न मत भिन्नता जैसी समस्याओं से भी निपटा जा सकता है।
- इसके अलावा सेना के छोटे अधिकारियों और अर्दली स्तर के सैनिकों के विचारों पर भी गौर किया जा सकता है क्योंकि वह सीधे प्रमुख के पास शिकायत कर सकता है।
- सेना के लिए मूलभूत सुविधाओं के ऊपर उठने वाले सवालों से भी बखूबी तरीके से निपटा जा सकता है।
- सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुख की तरह काम करेगा और सरकार के लिए एकल सैन्य सलाहकार होगा।
- तीनों सेनाओं के लिए लंबी अवधि की योजनाओं, खरीददारी और प्रशिक्षण जैसे कार्यों में समन्वय की भूमिका सीडीएस की रहेगी।
- सीडीएस की नियुक्ति से सैन्य खरीद को गति मिलेगी। इससे किसी तरह की व्यवस्था या खरीद में दोहराव की गुंजाइश भी नहीं रहेगी।
- देश में किसी भी प्रकार के हमले/गतिरोध से संसाधनों तथा रक्षा बजट पर अधिक दबाव बढ़ता है, इसलिये सीडीएस नियुक्ति से संयुक्त योजना व प्रशिक्षण से संसाधनों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। यह खरीद-फरोख्त को अनुकूलित करने, सेनाओं के बीच दोहराव से बचने तथा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत एक परमाणु हथियार संपन्न देश है, सीडीएस परमाणु मुद्दों पर प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करेगा।

चुनौतियाँ

प्रधानमंत्री के इस एलान के बाद एक सवाल खड़ा होता है कि क्या नए चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (एनएसए) में हितों का टकराव होगा? दोनों पदों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या भूमिका होगी? मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा की जवाबदेही एनएसए के जिम्मे है लेकिन अगर सीडीएस की नियुक्ति होगी तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उनकी भी जवाबदेही होगी।

अब सवाल यह है कि अगर दोनों की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर जवाबदेही की होगी तो किस पद को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और किसकी सलाह को पहले सुना और माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो दोनों ही पदों पर 'राजनीतिक प्रभाव' पड़ सकता है। हितों के टकराव की स्थिति से बचने के लिए सरकारों को दोनों की कार्यशैली को इस तरह बैंलेंस करना होगा जिससे दोनों पदों पर बैठे लोग आपसी तालमेल के साथ काम कर सकें।

हालांकि किसे कितनी शक्ति दी जाएगी यह तो सीडीएस को दिये जाने वाले भूमिका पर निर्भर करेगा। कारगिल रिव्यू कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें कहा गया था कि सीडीएस सैन्य मामलों में सरकार के इकलौते सलाहाकार

होंगे। अगर ऐसा है तो फिर रक्षा सचिव की क्या भूमिका रहेगी इस पर भी विचार करना होगा।

मसलन सीडीएस का कार्यकाल कितना होगा या फिर उसकी जवाबदेही किसके प्रति होगी। क्या वह प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा या सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति को? उसका मुख्यालय कहां होगा? प्रधानमंत्री कार्यालय में या रक्षा मंत्रालय में? सीडीएस के क्या अधिकार होंगे? क्या उसके पास बजट और संसाधन आवंटित करने की शक्ति होगी? या फिर वह केवल प्रतीकमात्र होगा? वरीयता अनुक्रम में उसका क्या स्थान होगा? सीडीएस की नियुक्ति से पहले सरकार को इन सभी सवालों के जवाब तलाशने होंगे।

अब अगला सवाल यही है कि सीडीएस कौन बनेगा? इस पर केवल एक स्पष्टता यही है कि वह चार सितारा जनरल होगा। क्या वह मौजूदा प्रमुखों में से कोई एक होगा। प्रधानमंत्री की घोषणा का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए, क्योंकि सेना और वायु सेना प्रमुख जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। फिलहाल एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ सबसे वरिष्ठ हैं और इसी आधार पर वे सीओएससी के चेयरमैन भी हैं। वह सितंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत भी दिसंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। चूंकि सेना प्रमुख का दायरा तीनों सेनाओं में सबसे बड़ा है तो इस लिहाज से वह इसके लिए स्वाभाविक पसंद होने चाहिए। तीनों सेनाओं के प्रमुख को तीन वर्ष का नियत कार्यकाल या 62 वर्ष तक की सेवा अवधि मिलती है। ऐसे में अगर सरकार मौजूदा प्रमुखों में से किसी को सीडीएस बनाती है तो इस पद के लिए सेवा अवधि की आयु सीमा भी 62 वर्ष से अधिक बढ़ानी होगी।

आगे की राह

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का निर्माण सरकार द्वारा उठाया गया एक सुधारात्मक कदम है। इससे न सिर्फ सेना की मारक क्षमता बढ़ेगी बल्कि सेना का विश्वास भी बढ़ेगा। इससे सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ेगा और देश की सुरक्षा में वे अपना अहम योगदान दे पाएंगे।

हालांकि इस बात का ध्यान रखना होगा कि सिर्फ घोषणा कर देने से उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो जाती है बल्कि उसके लिए आगे बढ़कर काम करना होगा। देखना यह भी होगा कि कहीं यह तीनों सेनाओं के बीच आपस में टकराव उत्पन्न न कर दे। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि इतनी बड़ी सेना के लिए इस तरह के पद का गठन करना कितना उचित है, जबकि पहले से ही सेना प्रमुख का पद विद्यमान है। कुल मिलाकर इस पर व्यापक ध्यान देने की आवश्यकता है और यदि यह सेना के लिए अतिआवश्यक हो तो इसका गठन होना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश।

■

2. मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

हाल ही में राज्यसभा में मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया गया। यह विधेयक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों को अधिक सक्षम बनाने हेतु लाया गया है। विदित हो कि लोकसभा ने इस विधेयक को 19 जुलाई, 2019 को मंजूरी दे दी थी।

मुख्य प्रावधान

- यह विधेयक मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन करता है। यह अधिनियम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), राज्य मानवाधिकार आयोगों (एसएचआरसी) और मानवाधिकार अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है।
- 1993 के अधिनियम के अंतर्गत एनएचआरसी का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता था जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। लेकिन वर्तमान विधेयक इस प्रावधान में संशोधन करता है और प्रावधान करता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा व्यक्ति या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रहा व्यक्ति एनएचआरसी का अध्यक्ष होगा।
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में प्रावधान था कि मानवाधिकार की जानकारी रखने वाले दो व्यक्तियों को एनएचआरसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। विधेयक इसमें संशोधन करते हुए कहता है कि तीन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, जिनमें से एक महिला सदस्य होगी।
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एनएचआरसी के सदस्य होते थे। प्रस्तुत विधेयक में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय विकलांग जन आयोग के चीफ कमीश्नर को भी एनएचआरसी का सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया है।
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पहले एसएचआरसी का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता था जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। विधेयक इस प्रावधान में संशोधन करते हुए कहता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद या न्यायाधीश के पद पर रहा व्यक्ति एसएचआरसी का अध्यक्ष होगा।
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के मुताबिक एनएचआरसी और एसएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष था या जब तक वे 70 वर्ष के नहीं हो जाते (इनमें से जो भी कम हो)। लेकिन प्रस्तुत विधेयक में इस कार्यकाल को तीन वर्ष या 70 वर्ष तक की आयु (जो भी कम हो) कर दिया गया है।
- विधेयक एनएचआरसी और एसएचआरसी के अध्यक्ष को दोबारा नियुक्त करने की भी अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त यह विधेयक एनएचआरसी और एसएचआरसी के सदस्यों को भी पाँच वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त करने की अनुमति देता है। विधेयक पुनर्नियुक्ति के लिए पाँच वर्ष की समय सीमा को हटाता है।
- संशोधित विधेयक के अनुसार, मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निर्बंधन एवं सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे।

- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में एनएचआरसी के सेक्रेटरी जनरल और एसएचआरसी के सेक्रेटरी का प्रावधान किया गया था। विधेयक इसमें संशोधन करता है और संबंधित अध्यक्ष के नियंत्रण के साथ सेक्रेटरी जनरल और सेक्रेटरी को सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों (न्यायिक कार्यों के अतिरिक्त) का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है जोकि संबंधित अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन होगा।
- विधेयक प्रावधान करता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में मानवाधिकार से संबंधित कार्यों को केंद्र सरकार एसएचआरसी को सौंप सकती है, लेकिन दिल्ली के मानवाधिकार संबंधी कार्य एनएचआरसी द्वारा किए जाएंगे।

संशोधन का कारण

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कुछ वैश्विक प्लेटफॉर्मों पर उठाई गयी चिंताओं को दूर करने के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए थे।
- इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारों ने अधिनियम में संशोधन के लिए भी प्रस्ताव दिये थे, क्योंकि उन्हें संबंधित राज्य आयोगों के अध्यक्ष के पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को खोजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
- पेरिस सिद्धांत के आधार पर इस प्रस्तावित संशोधन से मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों को भी, उनकी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, बहुवाद और मानव अधिकारों के प्रभावी संरक्षण तथा उनका संवर्द्धन करने हेतु बल मिलेगा।

मानवाधिकार और भारत

मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रताएँ होती हैं, जिनके लिए सभी स्त्री-पुरुष पात्र होते हैं। इसे 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत की गई सर्वव्यापी मानवाधिकार घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार पर सार्वजनिक घोषणापत्र (1948) की पहल के साथ ही कई देशों ने संवैधानिक एवं वैधानिक कानूनों के अंतर्गत मानवाधिकार को लागू किया। मानवाधिकार कानून की संस्थागत व्यवस्था अपनाने वाले देशों में भारत भी था। भारत में मानवाधिकार कानून के निकाय को दो भागों में विभक्त किया गया- संवैधानिक तथा वैधानिक। मानवाधिकार संबंधी संवैधानिक कानूनी प्रावधानों में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया जबकि मानवाधिकार पर वैधानिक कानून में समाज के वंचित वर्गों जैसे महिला, बच्चे, अशक्त व्यक्ति, पिछड़े वर्ग आदि के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं या कानूनों का निर्धारण किया गया। ऐसे कानूनों में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, अशक्त लोग (समान प्रतिनिधित्व अधिकार का संरक्षण एवं पूर्ण सहयोग) अधिनियम 1995 आदि शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने मानवाधिकार कानून संहिता पर कई अन्तर्राष्ट्रीय समझौते, अभिसमय, संधियाँ इत्यादि की है।

पेरिस सिद्धांत

20 दिसंबर, 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु पेरिस सिद्धांत को अपनाया था। उल्लेखनीय है कि इस सिद्धांत में मानवाधिकार संस्थाएँ स्थापित करने के साथ मानवाधिकार आयोग को एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र संस्था बनाने पर बल दिया गया।

भारत में मानवाधिकार कानून का प्रवर्तन

राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत देश में न्यायपालिका को मानवाधिकार के हनन से संबंधित मामलों को देखने सुनने का अधिकार दिया गया है जो अपने न्यायिक निर्णय के तहत लोगों को न्याय प्रदान करती है।

वहीं केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस दिशा में प्रशासनिक ढाँचा के सर्वोच्च शिखर पर 1993 में मानव अधिकार इकाई का गठन किया गया, जो मानवाधिकार से संबंधित समस्त नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन करती है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने देश में मानवाधिकार के मामलों से संबंधित एक मुख्य एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना का निर्णय लिया। यह आयोग लोगों के मानवाधिकार के हनन से संबंधित मामलों की जाँच करती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अब तक की उपलब्धियाँ

लोगों के मानवाधिकार को बढ़ावा तथा संरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसकी उपलब्धियों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- पीड़ितों की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ आयोग ने देश के किसी भी हिस्से में मानवाधिकार के हनन के मामलों को स्वत: संज्ञान लेकर उसका निराकरण किया है।
- मानवाधिकारों की रक्षा हेतु शैक्षिक एवं निजी संगठनों के अलावा आयोग ने सामाजिक संगठनों को भी सहायता के लिए बढ़-चढ़ कर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
- बाल वेश्यावृति, जेल सुधार, बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास, बालश्रम, बंधुआ मजदूरी, गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता और मानसिक रूप से अशक्त लोगों की समस्याओं की तरफ आयोग ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।
- इन गतिविधियों ने आयोग के क्रियाकलाप को एक कल्याणकारी स्वरूप प्रदान किया है।
- समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता पैदा करना आयोग का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहा है।
- जागरूक समाज की स्थापना हेतु आयोग द्वारा मानवाधिकार की शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य बनाया गया है।
- कई मुद्दों पर आयोग ने महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण किया है और संबंधित एजेंसियों को दिशा-निर्देश जारी किया है। जैसे पुलिस बल का दुरुपयोग, विशेषकर मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रावधान, राज्य और शहरों के पुलिस मुख्यालय में मानवाधिकार इकाई की स्थापना, जेल सुधार, बालश्रम उन्मूलन, अनिवार्य शिक्षा, जातिगत एवं साम्प्रदायिक हिंसा, अशक्त लोगों के अधिकार, मानसिक रोगियों के मानवाधिकार, मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन, चिकित्सालयों में गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना, नागरिकों के मानवाधिकारों को प्रभावित करने वाले

कानूनों एवं विधानों की समीक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय संधियों का अनुपालन, एड्स रोगियों एवं सेक्स कामगारों के मानवाधिकार तथा गरिमा की रक्षा, न्यायिक प्रक्रिया में संस्थागत बदलाव आदि इस संदर्भ में आयोग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए।

- आयोग के समग्र प्रयासों के कारण ही समाज में मानवाधिकार से संबंधित लगभग सभी मानवीय गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है।

चुनौतियाँ

मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दों को सुलझाने की दिशा में एक शीर्ष संस्थान के रूप में आयोग के समक्ष कार्यकाल के दौरान कई संरचनागत एवं कार्यात्मक बाधाएँ प्रत्यक्ष रूप से उजागर हुई हैं जो आयोग के प्रभावी कार्यों में अवरोध उत्पन्न करती रही हैं। इसे निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- आयोग के समुचित प्रयासों के बावजूद भी देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना संभव नहीं हो पाया है। नतीजतन किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतें भी आयोग के पास जाती रही हैं।
- ऐसी परिस्थिति में आयोग का सारा समय और ऊर्जा इन्हीं शिकायतों के निदान में लग जाता है और आयोग मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में शासन प्रणाली को सुचारु बनाने के लिए समय नहीं निकाल पाती है।
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला स्तर पर मानवाधिकार न्यायालयों के गठन में विलंब राज्य सरकार की उदासीनता को दर्शाता है।
- इस तरह की संस्था की अनुपलब्धता की वजह से मानवाधिकार से संबंधित मामलों की सुनवाई साधारण न्यायालयों द्वारा की जाती है जहां इसके निष्पादन में काफी समय लग जाता है।
- आयोग के समक्ष एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती कार्यात्मक व्यवधान की है जिनमें दो प्रमुख हैं- पहला यह है कि सैन्य बलों के द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों की जाँच करने का अधिकार आयोग को नहीं है। वर्तमान समय में जबकि सरकार सैन्य बलों का इस्तेमाल आंतरिक विद्रोही ताकतों को दबाने के लिए कर रही है जैसे कि जम्मू-कश्मीर एवं उत्तर-पूर्व राज्यों में, आयोग के लिए ऐसी स्थिति और भी हताशपूर्ण हो जाती है। सैन्य बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की बढ़ती हुई शिकायतों को देखते हुए यह सर्वथा उपयुक्त लगता है कि कानून में बदलाव करते हुए सैन्य बलों को भी आयोग की जांच के दायरे में लिया जाए। हालाँकि ऐसा करते समय यह भी ध्यान में रखना होगा कि किसी भी तरह से सैन्य बलों का कार्य प्रभावित न हो।
- दूसरी बड़ी बाधा है कि मात्र सलाहकार संस्था होने के नाते कोई विभाग या अधिकारी इसकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। इससे आयोग की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। विभागीय जांच या दोषियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई किए जाने संबंधी आयोग की सिफारिशों को अधिकतर सरकारी विभाग या एजेंसी स्वीकार नहीं करते, यह अत्यन्त चिन्ताजनक है।
- इसके अतिरिक्त एक चुनौती आयोग में प्रत्येक वर्ष लंबित मामलों की संख्या का बढ़ना है। उल्लेखनीय है कि आयोग को अपने कार्यों में पूरी तरह स्वतंत्र समझ जाता है, लेकिन अधिनियम ऐसा उल्लेख नहीं करता। अधिनियम की धारा-32 के मुताबिक केंद्र सरकार, आयोग को अनुदान के तौर पर इतना पैसा देगी, जितना वह उपयुक्त समझे। इस प्रकार, मानवशक्ति एवं धन संबंधी जरूरतों, जो अत्यधिक महत्त्व के हैं, के परिप्रेक्ष्य में आयोग स्वतंत्र नहीं है।
- राज्य स्तर पर स्थिति और भी बुरी तब हो जाती है जब राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना न हुई हो, जिन राज्यों में इनकी स्थापना हुई है वहां भी यह राज्य में मानवाधिकार के संरक्षण तथा प्रोत्साहन के लिए समुचित शक्ति और प्रशासनिक व्यवस्था के अभाव में प्रभावी रूप में कार्य नहीं कर पाती है।

आगे की राह

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि देश में मानव अधिकार के संरक्षण तथा प्रोत्साहन की दिशा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ने देश में मानव अधिकारों को सशक्त किया है। इस संदर्भ में मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 सराहनीय कार्य है लेकिन इस दिशा में अभी और जरूरी कदम उठाए जाने की भी जरूरत है ताकि मानव अधिकार के संरक्षण सम्बन्धित चुनौतियों से निपटा जा सके। इस संदर्भ में कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु एनएचआरसी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, इसे दी गई शक्तियों को बढ़ाया जाना चाहिए।
- आयोग को अंतरिम और तात्कालिक राहत जिसमें पीड़ित को मौद्रिक राहत दिया जाना भी शामिल है, की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए।
- इसके अलावा, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की शक्ति भी आयोग के पास होनी चाहिए, ताकि यह भविष्य में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों के लिए निवारक के रूप में कार्य कर सकें।
- आयोग के कार्य में सरकार और अन्य प्राधिकरणों का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से आयोग का काम प्रभावित हो सकता है। इसलिए एनएचआरसी को सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों से संबंधित मामलों की जांच करने की शक्ति दी जानी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त आतंकवादी गतिविधियाँ, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, नशीली दवाओं का व्यापार इत्यादि के त्वरित एवं प्रभावी निपटारे के लिए विशेष न्यायालयों का गठन जिस तरह प्रभावकारी सिद्ध हुआ उसी तरह जिला स्तरीय मानवाधिकार न्यायालयों का गठन मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों के निष्पादन के लिए बहुत ही प्रभावकारी साबित होगा।
- ऐसे आयोग की स्थापना से मौलिक उद्देश्य सफल परिणाम ला सकता है जब दो तरह की परिस्थितियाँ उपस्थित हों। पहला, आयोग के पास मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में प्रभावी कदम उठाने की पर्याप्त शक्ति हो तथा प्रशासनिक मदद मिले, दूसरा, ऐसे निकायों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होना भी अत्यावश्यक है जिससे ऐसा न लगे कि वो सिर्फ सरकारी एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- संविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय।

■

3. मानसिक बीमारी : भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय

चर्चा का कारण

हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा संपन्न एक बैठक में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कानून और उसको लागू करने के बीच के अन्तराल पर चर्चा की गई। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू ने कहा कि देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को सुधारने के प्रयास किए गए हैं लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में आवश्यक सुविधा और उपलब्धता के बीच खाई बनी हुई है।

परिचय

मानसिक स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता का मुख्य निर्धारक होने के साथ सामाजिक स्थिरता का भी आधार होता है। जिस समाज में मानसिक रोगियों की संख्या अधिक होती है वहाँ की व्यवस्था व विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सामान्यत: मनोविज्ञान में असामान्य और अनुचित व्यवहारों को मनोविकार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली ऐसी बीमारी जो उसकी भावनाओं, विचारों और व्यवहार को इस तरह प्रभावित करती है कि वो उसकी मान्यताओं तथा व्यक्तित्व से मेल न खाए और उस व्यक्ति तथा उसके परिवार की जिंदगी पर नकारात्मक असर डाले, तो वह मनोरोग कहलाती है।

ज्यादातर लोग मनोरोग को हिंसा, उत्तेजना और असहज यौनवृत्ति जैसे गंभीर व्यवहार संबंधी विचलनों से जुड़ी बीमारी मानते हैं। ऐसे विचलन अकसर गंभीर मानसिक अवस्थाओं का परिणाम होते हैं। लेकिन, मनोरोग से पीड़ित ज्यादातर लोग दूसरे सामान्य लोगों जैसा ही व्यवहार करते हैं और वैसे ही दिखते हैं।

वर्तमान स्थिति

वैश्विक स्तर पर देखें तो मानसिक और मनोसामाजिक रूप से विकलांग व्यक्ति विश्व की जनसंख्या के एक बड़े अनुपात को दर्शाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, वैश्विक स्तर पर करीब 45 करोड़ लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं। दुनियाभर में चार लोगों में से एक व्यक्ति अपने जीवन के किसी पड़ाव पर मानसिक रोगों से प्रभावित होता है। वहीं विश्व के 40 प्रतिशत से ज्यादा देशों में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित नीति नहीं है और 30 प्रतिशत से अधिक देशों में इससे संबंधित कोई कार्यक्रम तक नहीं है। जबकि करीब 25 प्रतिशत देशों में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई कानून नहीं बना है। इसके अतिरिक्त विश्व के करीब 33 प्रतिशत देश अपने स्वास्थ्य व्यय का एक प्रतिशत से भी कम मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं।

भारत में स्थिति

जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, भारत की 18 वर्ष से अधिक 10.6 प्रतिशत आबादी यानी करीब 15 करोड़ लोग किसी न किसी मानसिक रोग से पीड़ित हैं। हर छठे भारतीय को मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद की दरकार है।

जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में लगभग 22 लाख 28 हजार मनोरोगी हैं जबकि लांसेट की रिपोर्ट कहती है कि भारत में मनोरोगियों की संख्या 16 करोड़ 92 लाख है।

वहीं डब्ल्यूएचओ के अनुसार, भारत की 135 करोड़ की आबादी में 7.5 प्रतिशत (10 करोड़ से अधिक) मानसिक रोगों से प्रभावित हैं। अध्ययन बताते हैं कि 2020 तक भारत की 20 प्रतिशत आबादी किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रस्त होगी। 15-29 आयु वर्ग में आत्माहत्या की दर भी सर्वाधिक होगी। स्मरणीय हो कि लगभग एक मिलियन लोग हर साल आत्माहत्या करते हैं। इस तरह की बीमारियों की बढ़ती संख्या में अवसाद को तीसरा स्थान दिया गया है जिसके 2030 तक पहले स्थान पर पहुँचने की उम्मीद है।

जहाँ तक मनोचिकित्सकों का सवाल है तो भारत में एक लाख की आबादी पर 0.3 मनोचिकित्सक, 0.07 मनोवैज्ञानिक और 0.07 सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वहीं विकसित देशों में एक लाख की आबादी पर 6.6 मनोचिकित्सक हैं। मेंटल हॉस्पिटल की बात करें तो विकसित देशों में एक लाख की आबादी में औसतन 0.04 हॉस्पिटल हैं जबकि भारत में यह 0.004 ही हैं।

मनोरोग के कारण

किसी व्यक्ति के मनोरोगी होने के पीछे कई कारक जिम्मेदार होते हैं। इन कारकों का जिक्र निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है-

- मनोरोग का एक महत्वपूर्ण कारक आनुवंशिक होता है। मनोविक्षिप्त या साइकोसिस, स्कीजोफ्रीनिया इत्यादि रोग उन लोगों में अधिक पाये जाते हैं, जिनके परिवार का कोई सदस्य इनसे पीड़ित होता है। ऐसे व्यक्ति के संतान में यह खतरा लगभग दोगुना हो जाता है।
- कई बार कमजोर व्यक्तित्व भी व्यक्ति को मनोरोगी बना देता है, ऐसे व्यक्ति अकसर अपने आप में खोये हुए तथा चुपचाप रहना पसंद करते हैं। इस तरह के व्यक्ति में स्कीजोफ्रीनिया की अधिक सम्भावना होती है, जबकि अनुशासित तथा साफ सफाई पसंद, समयनिष्ठ जैसे गुणों वाले व्यक्तित्व के लोगों में विक्षिप्त मनोरोगी (Compulsive dementia) की अधिक सम्भावना होती है।
- मनोरोग की एक वजह शारीरिक परिवर्तन भी माना जाता है। दरअसल किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, गर्भ-धारण जैसे शारीरिक परिवर्तन के कारण मनोरोगों की संभावना बढ़ जाती है।
- वातावरणजनित परिस्थितियाँ आज के समय में ऐसे रोगों को उत्पन्न करने की एक अन्य वजह बन रही हैं।
- इसके अतिरिक्त कुछ दवाएँ, रासायनिक तत्वों, मदिरा तथा अन्य मादक पदार्थों इत्यादि का सेवन भी मनोरोगों की उत्पत्ति का कारण रहे हैं।
- मनोवैज्ञानिक कारण तो आज के समय में इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है। उदाहरण के लिए आपसी संबंधों में टकराहट, किसी निकटतम व्यक्ति की मृत्यु, सम्मान को ठेस, आर्थिक हानि, तलाक, परीक्षा या प्रेम में असफलता इत्यादि।
- सामाजिक-सांस्कृतिक हालात भी ऐसे रोगों से व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं जिसके मूल में व्यक्ति का सामाजिक एवं मनोरंजक गतिविधियों से दूर होना, अकेलापन, राजनीतिक, प्राकृतिक या सामाजिक दुर्घटनाएँ (जैसे कि लूटमार, आतंक, भूकंप, अकाल, बाढ़, सामाजिक बोध एवं अवरोध, महँगाई, बेरोजगारी) इत्यादि की बढ़ती प्रवृत्ति है।
- अन्य कारणों में सहनशीलता का अभाव, बाल्यावस्था के अनुभव, खतरनाक किस्म के विडियोगेम, तनावपूर्ण परिस्थितियाँ और इनका सामना करने की असमर्थता मनोरोग

के लिए जिम्मेदार मानी जा रही हैं। स्मरणीय हो कि वे स्थितियाँ, जिन्हें हल कर पाना एवं उनका सामना करना किसी व्यक्ति को मुश्किल लगता है, उन्हें तनाव का कारक माना जाता है। तनाव किसी व्यक्ति पर ऐसी आवश्यकताओं व मांगों को थोप देता है जिसे पूरा करना व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। नतीजतन इन मांगों को पूरा करने में लगातार असफलता मिलने पर व्यक्ति में मानसिक तनाव पैदा हो जाता है और वह मनोरोग का शिकार हो जाता है।

प्रभाव

- खराब मानसिक स्वास्थ्य का सामाजिक और आर्थिक स्तर पर व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ता है जो कि गरीबी, बेरोजगारी की उच्च दर, खराब शैक्षिक और स्वास्थ्य परिणाम की वजह बनता है।
- मानसिक और मनोसामाजिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अकसर गलत धारणाओं की वजह से भेदभाव का सामना करता पड़ता है जिसके चलते मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से पीड़ित ज्यादातर लोग मानने को तैयार ही नहीं होते कि उन्हें कोई रोग है। मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, मानसिक विकारों से प्रभावित 99 प्रतिशत भारतीय देखभाल और उपचार को जरूरी नहीं मानते। नतीजतन मानसिक रोगियों की स्थिति और बदतर व दुखदायी हो जाती है।
- जिन लोगों को मानसिक रोग होता है, उनके साथ अकसर समुदाय और उनके परिवार के द्वारा भी भेदभाव किया जाता है, साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी आम तौर पर उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं।
- मानसिक और मनोसामाजिक विकार से पीड़ित व्यक्तियों का शारीरिक शोषण भी किया जाता है। इस धारणा के कारण कि ऐसे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सकते और अपने जीवन के बारे में फैसले नहीं ले सकते, अधिकांश देशों में उन्हें अपने सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक अधिकार इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है।
- मानसिक और मनोसामाजिक विकार से पीड़ित व्यक्तियों को जीने की मूलभूत आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए संसाधनों की कमी से भी जूझना पड़ता है। इसके अलावा विकास संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों में यह सबसे ज्यादा उपेक्षित समूहों में से एक होते हैं।

सरकारी प्रयास

- वर्ष 1982 में मानसिक रोग से निपटने के लिए देश में मानसिक देखभाल के आधारभूत ढाँचे के विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) की शुरूआत की गई। विदित हो कि इस कार्यक्रम में वर्ष 1996 में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जोड़ा गया। कार्यक्रम की कार्यनीति में वर्ष 2003 में दो योजनाओं राज्य मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण और सरकारी मेडिकल कॉलेजों/जनरल अस्पतालों में मनोचिकित्सा विंग को शामिल किया गया। वहीं जनशक्ति विकास योजना को भी वर्ष 2009 में इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया।

एनएमएचपी के उद्देश्य

- निकट भविष्य में सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक उपलब्धता और व्यापक पहुँच सुनिश्चित करना।
- सामान्य स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक विकास में मानसिक स्वास्थ्य जानकारी की माँग (आवेदन) को प्रोत्साहित करना।
- मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
- मानसिक स्वास्थ्य के उप-विभागों में मानव संसाधन को बढ़ाना।

सरकार द्वारा इस दिशा में अगली कड़ी के रूप में 10 अक्टूबर, 2014 को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गयी। उल्लेखनीय है कि इस नीति के अंतर्गत जिन बातों को शामिल किया गया उनमें मुख्य रूप से रोगी केन्द्रित और प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले प्रावधान थे। इसके साथ-साथ इसके अंतर्गत सेवा वितरण और प्रशासन में पारदर्शिता और व्यावसायिकता लाने संबंधी प्रावधानों को भी जगह दी गई।

- सरकार इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम लेकर आयी ताकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके।
- विदित हो कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 7 अप्रैल, 2017 को पारित किया गया था तथा यह 7 जुलाई, 2018 से लागू हुआ था। अधिनियम ने 1987 में पारित मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 का स्थान लिया है।
- अधिनियम का उद्देश्य है कि मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं उपलब्ध करवाया जाए।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ: मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 की कई विशेषताएँ हैं जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

- 1987 के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को अपराधियों का दर्जा दिया गया था लेकिन नवीनतम अधिनियम में आत्महत्या के प्रयास (भारतीय दंड संहिता की धारा 309) को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है।
- प्रस्तुत विधान मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति को निम्न सुविधाएँ प्रदान करता है-किफायती देखभाल, उपचार में समानता, मुफ्त कानूनी सेवाएँ, उपचार से संबंधित निर्णय लेने का सामर्थ्य, उपचार में कमी के मामले की रिपोर्ट करने का सामर्थ्य, देखभाल के लिए एक प्रतिनिधि को नामित करने की क्षमता आदि।
- प्रस्तुत अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले व्यक्तियों को उनकी स्थिति और उनके चिकित्सीय इतिहास के मामले में गोपनीयता का अधिकार भी देता है।
- अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी को भी नामित कर सकता है जो बीमारियों के मामले में उनकी ओर से निर्णय ले सके। हालांकि यह खंड अनिवार्य नहीं है फिर भी मानसिक बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह एक सशक्त कदम है।

अन्य प्रयास

- सरकार ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के गैर-संचारी रोगों (non-communicable diseases - NCDs) के फ्लेक्सी पूल (flexi pool) के अंतर्गत शामिल किया है।
- सरकार द्वारा एन.सी.डी. के फ्लेक्सी पूल हेतु आवंटित राशि को पिछले दो वर्षों में तकरीबन तीन गुना बढ़ाया गया है। यानी अब राज्यों द्वारा केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के कोष का उपयोग विशेषज्ञों पर एवं अन्य सुविधाओं के भुगतान में किया जा सकता है।
- मनोरोगियों की पूर्व जांच और उनके इलाज

के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में विभिन्न निवारक गतिविधियों को शामिल किया गया है जिसमें स्कूल मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, कॉलेज परामर्श सेवाएं, कार्यस्थल पर तनाव कम करने और आत्महत्या रोकथाम सेवाएं शामिल हैं।

- मनोरोगियों की समस्याओं को पहचानते हुए सरकार ऐसे मरीजों के लिए मानवीय केंद्रित कानूनी ढांचा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में भी है।

चुनौतियाँ

सार्वजनिक और निजी दोनों स्तरों पर मानसिक बीमारी (Mental illness) हमेशा से एक उपेक्षित मुद्दा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही के वर्षों में सरकार द्वारा इस दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। इन कदमों के तहत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, 2014 और मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 लाया गया। बावजूद इसके कई चुनौतियाँ मौजूद हैं जिसका जिक्र निम्न बिन्दुओ के अंतर्गत किया जा सकता है-

- देश की स्वास्थ्य नीति में मानसिक स्वास्थ्य को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 1980 में नेशनल मेंटल हेल्थ मिशन की शुरूआत तो हुई थी, लेकिन इसे ठीक से लागू नहीं किया गया।
- भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत अधिक खर्चीली हैं साथ ही देश के प्रत्येक नागरिक तक उनकी पहुँच भी सुनिश्चित नहीं हो पायी है।
- यदि इस संदर्भ में विचार किया जाय तो हम पाएंगे कि भारत में कभी भी मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त रूप से निवेश नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि देश में 13,500 मनोरोग चिकित्सकों की आवश्यकता है लेकिन 3,827 ही उपलब्ध हैं। 20,250 क्लीनिकल मनोरोग चिकित्सकों की आवश्यकता है जबकि केवल 898 ही उपलब्ध हैं। इसी तरह पैरामेडिकल स्टाफ की भी भारी कमी है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में 10 लाख की आबादी पर केवल एक मनोचिकित्सक हैं।
- 2011 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपने स्वास्थ्य बजट का महज 0.06 प्रतिशत हिस्सा ही मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च करता है। यह खर्च बांग्लादेश से भी कम है। बांग्लादेश अपने स्वास्थ्य बजट का 0.44 प्रतिशत हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य पर व्यय करता है।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Mental Health Survey - NMHS) 2015-16 के मुताबिक, भारत के अधिकांश राज्यों में तो मानसिक स्वास्थ्य पर कुल बजट का 1% से भी कम खर्च होता है। यदि वैश्विक संदर्भ में बात की जाए तो यह विश्व के औसतन 5.99% (विश्व बैंक, 2014 के अनुसार) की दर से बहुत कम है।
- कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों में स्पष्टता और संपूर्णता की कमी होने के कारण सही दिशा में धन का उपयोग नहीं हो पा रहा है।
- इसके अलावा राज्यों के मानसिक स्वास्थ्य के लिये पृथक बजट की व्यवस्था करने में भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें पर्याप्त मात्रा में बजट की उपलब्धता, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का सटीक कार्यान्वयन, जिम्मेदार एजेंसियों और परिणामों की निगरानी के लिये बेहतर प्रबंधन आदि शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, ग्रामीण स्तर पर पेशेवर मनोचिकित्सकों की कमी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं के एक निराशाजनक पहलू को रेखांकित करता है। इसकी एक वजह यह भी है कि सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को नियुक्त करने तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में कोई विशेष प्रबंध नहीं किया गया है।
- आज की शिक्षा व्यवस्था में ऐसी विषयवस्तु एवं पाठ्य संरचना का सर्वत्र अभाव है जिससे व्यक्ति में स्वयं ही निराशा-अवसाद जैसे मानसिक विकारों से लड़ने के सामर्थ्य का विकास संभव हो सके।

आगे की राह

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ समाज और विकसित देश का प्रतीक होता है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सजगता जरूरी हो जाती है। इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय हैं लेकिन इस मार्ग में कई चुनौतियाँ आज भी मौजूद हैं जिससे निपटने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में यहाँ कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक दृष्टिकोण को सभी विकासात्मक तथा मानवीय नीतियों, कार्यक्रमों में शामिल करने की आवश्यकता है।
- यदि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ऐसे मानसिक रोगग्रस्त लोगों की समस्याओं को संवेदनशील ढंग से उठाएँ तो निश्चय ही समाज का उपेक्षावादी रवैया कमजोर होगा और संवेदनशीलता में वृद्धि होगी।
- वयस्कों के बीच मानसिक परेशानियों की रोकथाम एवं प्रबंधन जागरूकता बढ़ाकर और मानसिक रोग के प्रारंभिक चेतावनी संकेतों और लक्षणों को समझा कर इस बीमारी से बचा जा सकता है।
- अभिभावक (माता-पिता) और शिक्षक को घर एवं स्कूल में रोजमर्रा की चुनौतियों से बच्चों को मुकाबला करने के लिए उनमें अच्छे जीवन कौशल का निर्माण करना चाहिए।
- मानसिक स्वास्थ्य की व्यवस्था में दवाइयों के माध्यम से उपचार पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय परामर्श, समझ पैदा करना, समाज में पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है।
- बजटीय आवंटन की चिंताजनक स्थिति भी मानसिक स्वास्थ्य सुधारों में एक बड़ी बाधा है, ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान तथा अन्य एजेंसियों द्वारा मानसिक समस्यायों से ग्रसित लोगों की पहचान करते हुए, मानसिक रोगों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील तबके के लिये एक निश्चित आय की व्यवस्था कर दिया जाए। उल्लेखनीय है कि एक प्रभावी मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली को विकसित करने की दिशा में वित्तपोषण सबसे महत्त्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

4. खेलों में डोपिंग : मुद्दे एवं चुनौतियाँ

चर्चा का कारण

हाल ही में टीम इंडिया के युवा क्रिकेट खिलाड़ी पृथ्वी शॉ के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद खेल मंत्रालय ने बीसीसीआई पर सख्त रवैया अपनाते हुए उसे भी राष्ट्रीय डोप विरोधी एजेंसी (NADA) के अधीन कर दिया है। अब बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया भी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (NADA) के दायरे में आ गया है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के मादक पदार्थों की जाँच (Dope Test) अब नाडा के द्वारा की जाएगी। इससे पहले तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड दूसरे खेलों की तरह इस एजेंसी के अंतर्गत नहीं था।

डोपिंग क्या है

खिलाड़ी अपने कैरियर के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने पर ही मशहूर और सबका चहेता बन पाता है। कैरियर को ऊँची छलांग देने के लिए कुछ खिलाड़ी शॉर्टकट तरीका अपनाना पसंद करने लगते हैं और ये शॉर्टकट तरीका होता है डोपिंग।

डोपिंग ना केवल भारत की समस्या है बल्कि इसका जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। डोपिंग का मतलब है कि खिलाड़ियों द्वारा उन पदार्थों का सेवन करना जो उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ाने में मदद करे। इससे वह अपनी क्षमता से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। डोपिंग के अंतर्गत पाँच प्रकार के ड्रग्स को प्रतिबंधित किया गया है। इनमें सबसे सामान्य स्टिमुलैंट्स और हॉर्मोन्स हैं। इनका सेवन करने से व्यक्ति के शरीर में कई दुष्प्रभाव भी होते हैं। इसलिए इन्हें खेल शासी निकायों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। यूके डोपिंग एजेंसी के मुताबिक इन पदार्थों को तब प्रतिबंधित किया जाता है जब ये तीन मुख्य मानदंडों में से दो में शामिल हों। ये मानदंड हैं–

- ड्रग्स अगर खिलाड़ी का प्रदर्शन बढ़ाता हो।
- इससे खिलाड़ी का स्वास्थ्य बिगड़ने का खतरा हो।
- खेल की गरिमा का उल्लंघन करता हो।

पृष्ठभूमि

21वीं शताब्दी वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन और कठिन प्रतिस्पर्द्धा का दौर माना जा रहा है। इस प्रतिस्पर्द्धात्मक दौर में कुछ खिलाड़ी प्रतियोगी खेलों में सफल होने के लिए क्षमता बढ़ाने वाले पदार्थों या तकनीकों का उपयोग करते हैं। यह एथलीट्स, कोचों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एक विचारणीय विषय है।

वर्ष 1968 के ओलंपिक खेलों में पहली बार डोप टेस्ट हुए थे, लेकिन इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन पहली ऐसी संस्था थी जिसने 1928 में ही डोपिंग को लेकर नियम बनाए थे। वर्ष 1966 में इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने डोपिंग को लेकर मेडिकल काउंसिल बनाई जिसका काम डोप टेस्ट करना था। वर्ष 1920 में सबसे पहले डोपिंग के अंतर्गत खेलों में कुछ दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था।

डोपिंग में आने वाली दवाओं को पाँच अलग-अलग श्रेणी में बाँटा गया है। स्टेरॉयड, पेप्टाइड हॉर्मोन, नार्कोटिक्स, डाइयूरेटिक्स और ब्लड डोपिंग।

डोपिंग के कुछ मामले

ज्ञातव्य है कि डोपिंग सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में फैला हुआ है और इसके चंगुल में विश्व के बड़े-बड़े खिलाड़ी तक फँस चुके हैं। रियो ओलंपिक से पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल पंचाट ने डोपिंग को लेकर रूस की अपील खारिज कर दी थी, जिससे रूस की ट्रैक और फील्ड टीम रियो ओलंपिक में भाग नहीं ले पाई थी। यहाँ तक कि बीजिंग ओलंपिक 2008 के 23 पदक विजेताओं समेत 45 खिलाड़ी डोप टेस्ट में पॉजीटिव पाए गए थे। बीजिंग और लंदन ओलंपिक के नमूनों की दोबारा जाँच कराई गई और इसमें कुल 98 खिलाड़ी नाकाम रहे थे।

ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर शेन वॉर्न को 2003 विश्व कप के दौरान डोप टेस्ट में दोषी पाया गया। दक्षिण अफ्रीका में टूर्नामेंट शुरू होने से एक दिन पहले उनके जाँच की रिपोर्ट आई जिसमें वह पॉजिटिव पाए गए और उन्हें वापस भेज दिया गया। उन पर एक साल का प्रतिबंध भी लगा था।

पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर पर भी डोप टेस्ट की गाज गिर चुकी है। वर्ष 2006 में डोपिंग में फंसने के बाद शोएब पर दो वर्ष का प्रतिबंध लगा था।

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग भी डोप टेस्ट के शिकार हो चुके हैं। साल 1993-94 के दौरान फ्लेमिंग डोपिंग में फँसने पर कुछ समय के लिए प्रतिबंधित हुए थे।

भारत में पहली बार डोपिंग का खुलासा वर्ष 1968 में हुआ। दिल्ली के रेलवे स्टेडियम में 1968 के मेक्सिको ओलंपिक के लिए ट्रायल चल रहा था। ट्रायल के दौरान कृपाल सिंह 10 हजार मीटर दौड़ में भागते समय ट्रैक छोड़कर सीढ़ियों पर चढ़ गए, उनके मुँह से झाग निकलने लगा और वह बेहोश हो गए। उनके जांच में पता चला कि कृपाल सिंह ने नशीले पदार्थ का सेवन किया था, ताकि मेक्सिको ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाएँ। इसके बाद तो भारत में डोपिंग के कई मामले सामने आने शुरू हो गए।

टीम इंडिया के बल्लेबाज रहे यूसुफ पठान भी 2017 में डोपिंग में फँस चुके हैं। उन्हें भी प्रतिबंधित पदार्थ टरबूटेलाइन लेने के लिए पॉजिटिव पाया गया था। बीसीसीआई ने पठान पर पाँच माह का निलंबन लगाया था।

कैसे होता है डोप टेस्ट

ताकत बढ़ाने वाली दवाओं के इस्तेमाल को जाँचने के लिए डोप टेस्ट किया जाता है। किसी भी खिलाड़ी का किसी भी समय डोप टेस्ट लिया जा सकता है। यह नेशनल एंटी डोपिंग एजेन्सी (NADA) या वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेन्सी (WADA) या फिर दोनों की ओर से किया जा सकता है।

जांच के पहले चरण को 'ए' और दूसरे चरण को 'बी' कहते हैं। ए पॉजीटिव पाए जाने पर खिलाड़ी को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यदि खिलाड़ी चाहे तो एंटी डोपिंग पैनल से बी-टेस्ट सैंपल के लिए अपील कर सकता है। यदि खिलाड़ी बी-टेस्ट सैंपल में भी पॉजीटिव पाया गया तो उस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।

इस जांच में खिलाड़ियों के मूत्र (URINE) को वाडा या नाडा की लैब में टेस्ट किया जाता है। नाडा की लैब दिल्ली में है और वाडा की लैब विश्व के अनेक देशों में है।

डोपिंग के प्रभाव

मांसपेशियों की शक्ति और ताकत बढ़ाने के लिए इन पदार्थों का प्रयोग भारोत्तोलन, गोला फेंकने और अन्य खेलों में शामिल एथलीटों द्वारा किया जाता है। इनके कुछ दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं–

- चेहरे पर कई दाग,
- बांझपन, हाइपरटेंशन,

- जिगर और गुर्दा की शिथिलता,
- आक्रामक व्यवहार आदि।

पुरुष खिलाड़ी पर प्रभाव

- स्तन विकास
- नर हार्मोन में कमी
- शुक्राणु में कमी
- नपुंसकता
- प्रोस्टेट कैंसर आदि।

महिला खिलाड़ी पर प्रभाव

- पुरुषों की तरह महिलाओं के शरीर पर भी अत्यधिक बाल उग आना और गंजापन
- माहवारी की गड़बड़ी
- स्तन के आकार में कमी
- गहरी आवाज (घबराहट) आदि।

नाडा व वाडा के द्वारा प्रतिबंधित दवाई

खिलाड़ियों के द्वारा सबसे सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ एंड्रोजेनिक एजेंट्स जैसे एनाबोलिक स्टेरोइड्स हैं। इसके सेवन से खिलाड़ी की खेलने की क्षमता बढ़ जाती है एवं वह अपनी चोट से जल्दी उबर पाता है और जल्दी ही अपने शरीर को सुडौल बना लेता है। लेकिन इसके कारण किडनी में क्षति होने की आशंकाएँ बढ़ जाती है। साथ ही खिलाड़ी आक्रामक हो जाता है। इसके अलावा अन्य दुष्प्रभाव हैं जैसे खिलाड़ी का लगातार बाल झड़ना और उसका स्पर्म काउंट कम हो जाना। एनाबोलिक स्टेरोइड्स का या तो टेबलेट के रूप में सेवन किया जाता है या इंजेक्शन के रूप में।

स्टीमुलेंट्स के सेवन से खिलाड़ी ज्यादा चौंकन्ना हो जाता है और दिल की धड़कने व खून के बहाव के तेज होने से थकान कम हो जाती है। यह एक बहुत खतरनाक ड्रग है जिसके सेवन से एथलीट को दिल का दौरा भी पड़ सकता है।

तीसरे प्रतिबंधित ड्रग का नाम है डाइयूरेटिक्स और मास्किंग एजेंट्स। इस ड्रग का इस्तेमाल खिलाड़ी शरीर से तरल पदार्थ को कम करने के लिए करते हैं ताकि पहले इस्तेमाल किए गए ड्रग के इस्तेमाल को छिपाया जा सके। इस ड्रग का इस्तेमाल खिलाड़ी बॉक्सिंग या घुड़सवारी में करते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक है।

नारकोटिक अनाल्जेसिक्स और कैन्नाबिनोइड्स का इस्तेमाल खिलाड़ी थकान व चोट से होने वाले दर्द से निजात पाने के लिए करते हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल से चोट और भी खतरनाक हो जाती है। यह भी एक नशे की लत है। मार्फीन और ऑक्सीकोडोन जैसे पदार्थों पर प्रतिबंध है लेकिन ओपिएट-डिराइव्ड पेनकिलर का इस्तेमाल करने की अनुमति है।

पेपटाइड हार्मोन्स में कुछ पदार्थ होते हैं जैसे ईपीओ (erythropoietin)। यह प्रमुख रूप से खिलाड़ी की शारीरिक मजबूती एवं रक्त कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाता है जिससे खिलाड़ी को ऊर्जा मिलती है।

बेटा ब्लॉकर्स, का इस्तेमाल भी आजकल एथलीट ड्रग के रूप में कर रहे हैं। यह एक प्रतिबंधित ड्रग है। इस दवाई का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर और दिल का दौरा रोकने के लिए किया जाता है। यह दवाई तीरंदाजी और शूटिंग में बैन है।

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA)

विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी एक विश्वस्तरीय स्वतंत्र संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए बनाई गयी है। इसकी स्थापना 10 नवंबर, 1999 को स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में की गई थी। वर्तमान में वाडा का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्तमंत्री जॉन फाहे हैं। यह संस्था विश्व भर में वैज्ञानिक शोध, एंटीडोपिंग के विकास की क्षमता में वृद्धि और दुनिया भर में वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड पर अपनी निगाह रखती है। वाडा हर साल प्रतिबंधित दवाओं की सूची जारी करता है, जिनके विश्व के तमाम देशों में खेलों के दौरान प्रयोग पर रोक होती है।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA)

- राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) देश में अपने सभी रूपों में खेल में डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय संगठन है।
- नाडा का कार्य एंटी डोपिंग नियमों और नीतियों को अपनाने और कार्यान्वित करना जो विश्व एंटी डोपिंग कोड के अनुरूप हो।
- अन्य खेल संबंधी संगठनों और अन्य विरोधी डोपिंग संगठनों के साथ सहयोग करना।
- राष्ट्रीय विरोधी डोपिंग संगठनों के बीच पारस्परिक परीक्षण को प्रोत्साहित करना और एंटी डोपिंग अनुसंधान और शिक्षा पर बल देना।
- उपयोगकर्ता नाडा की एंटी डोपिंग नियमों, प्रतिस्पर्धा में परीक्षण/बाहर होने वाली प्रतियोगिता में परीक्षण, विश्व डोपिंग रोधी संहिता (वाडा) द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची से सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अन्य प्रतिबंधित दवाइयाँ

- **गैर अनुमोदित पदार्थः** मानव चिकित्सीय उपयोग के लिए किसी भी सरकारी नियामक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किसी भी औषधीय पदार्थ जो प्रतिबंधित हो (उदाहरण के लिए पूर्व-नैदानिक या नैदानिक विकास या बंद, डिजाइनर दवाओं के तहत दवाएँ, केवल पशु चिकित्सा उपयोग के लिए अनुमोदित पदार्थ)।
- **अनाबोलिक एजेंटः** यह एक पदार्थ है जो मांसपेशियों के आकार को अस्थायी रूप से बढ़ाता है।
- पेप्टाइड हार्मोन, विकास कारक और संबंधित पदार्थ।
- बीटा -2 एगोनिस्ट्स।
- हार्मोन और मेटाबोलिक मॉड्यूलेटर।

चुनौतियाँ

दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट संस्था भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने आखिरकार राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्था (NADA) के दायरे में आ ही गया, परन्तु इसके पूरी तरह से प्रभावी होने को लेकर आशंकाएँ भी जाहिर की जा रही हैं।

जहां तक बीसीसीआई की बात है तो उसे नाडा से डोप परीक्षण करवाने पर स्वीकृति देने में इतना समय क्यों लगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि क्या नाडा बीसीसीआई जैसी ताकतवर खेल संस्था के मामले में सभी नियमों को पूरी तरह से लागू कर पाएगी। कई ऐसी ताकतवर खेल संस्थाएँ हैं जो वाडा के सभी नियमों को पूरी तरह नहीं मानती हैं, जिनकी वजह से उनके खिलाड़ी बहुत आसानी से डोप परीक्षण में बच जाते हैं।

इस सवाल पर कि क्या नाडा इतनी सक्षम है कि वह हर तरह के ड्रग के सेवन के मामलों को पकड़ सके, ऐसा नहीं है, क्योंकि डोपिंग के मामलों को समय से पकड़ने में नाडा और वाडा अकसर नाकाम रही हैं। यही वजह है कि वर्ष 2012 के ओलम्पिक खेलों में प्रतिबंधित दवाएँ लेने वाले एथलीट अब पकड़े जा रहे हैं।

डोपिंग से संबंधित जाँचने का खर्च प्रति खिलाड़ी करीब 500 डॉलर होता है। सवाल यह है कि क्या नाडा हर खिलाड़ी के टेस्ट पर 500 डॉलर खर्च कर सकेगी।

नाडा के पास ऐसी तकनीक भी पूरी तरह से नहीं है जो हर ड्रग को पकड़ सके। तमाम नई तकनीक हैं, जिनकी कीमत अरबों रुपये में है, जो नाडा के पास उपलब्ध नहीं हैं।

डोपिंग में पकड़े गये खिलाड़ियों के मुकाबले बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसे खिलाड़ियों का है जो ड्रग्स

लेने के बावजूद बड़ी आसानी से बच निकले हैं।

आगे की राह

नाडा अब सभी क्रिकेटरों का डोप परीक्षण करेगी। इससे पहले तक बीसीसीआई नाडा के दायरे में आने से यह कहते हुए इनकार करता रहा था कि वह कोई राष्ट्रीय खेल महासंघ नहीं है, बल्कि स्वायत्त ईकाई है और वह सरकार से धन नहीं लेती है। परंतु खेल को खेल भावना से खेला जाए तभी उसका अर्थ सार्थक होता है इसलिए डोपिंग जैसी बुरी आदतें खेलों से दूर होना बेहद जरूरी है, तभी खेलने वालों को भी खेल का आनंद मिल सकेगा और उनके प्रशंसकों को भी। खिलाड़ी भी जल्दी कामयाबी पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट तरीका अपनाने से खुद को रोक सकेंगे क्योंकि शॉर्टकट केवल गणित के सवाल हल करने में मदद कर सकते हैं, जिन्दगी को सही तरीके से जीने में नहीं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

5. भारत में प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या एवं उसका समाधान

चर्चा का कारण

73वें स्वतंत्रता दिवस (73rd Independence Day) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने देश की जनता और खासतौर पर दुकानदारों-व्यापारियों से इस दिशा में योगदान देने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि देश को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के अभियान की शुरूआत सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती (02 अक्टूबर) के अवसर पर की जाएगी। यह अभियान 'स्वच्छ भारत' की सफलता से प्रेरित होकर सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है।

परिचय

प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक शब्द यूनानी 'प्लैतिकोस' से बना है जिसका अर्थ है किसी भी आकार में ढाल देना। प्लास्टिक को अच्छा प्रतिरोधी माना जाता है क्योंकि बिजली का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है और ये पॉलीमर से बने होते हैं। लेकिन आज प्लास्टिक पूरी दुनिया के लिए एक विकट समस्या बन चुका है। प्लास्टिक प्रदूषण कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्लास्टिक सालों-साल मिट्टी में दबे रहने के बावजूद मिट्टी का हिस्सा नहीं बन पाते, साथ ही यह पानी को जमीन के अंदर जाने से भी रोक देते हैं। जिस रूप में आज हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी खोज 27 मार्च, 1933 को अनजाने में हुई थी। दो ब्रिटिश वैज्ञानिकों एरिक फॉसेट और रेजिनाल्ड गिब्सन इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज में इथीलिन पर प्रयोग कर रहे थे। तभी इथीलिन में ऑक्सीजन के अणु मिल जाने से रातों-रात पॉलिथीन बन गया। दो वर्ष बाद उन्होंने प्लास्टिक बनाने के अन्य तरीकों को भी विकसित किया।

वर्तमान स्थिति

अंतर्राष्ट्रीय गैरसरकारी संगठन वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक प्लास्टिक प्रदूषण दोगुना हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र में 1950 से 2016 के बीच के 66 वर्षों में जितना प्लास्टिक जमा हुआ है, उतना अगले केवल एक दशक में जमा हो जाएगा। इससे महासागरों में प्लास्टिक कचरा 30 करोड़ टन तक पहुँच सकता है।

गौरतलब है कि हर साल उत्पादित होने वाले कुल प्लास्टिक में से महज 20 फीसद ही रिसाइकिल हो पाता है। 39 फीसद जमीन के अंदर दबाकर नष्ट किया जाता है और 15 फीसद जला दिया जाता है। प्लास्टिक के जलने से उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2030 तक तिगुनी हो जाएगी, जिससे हृदय रोग के मामले में तेजी से वृद्धि होने की आशंका है।

भारत में प्लास्टिक प्रदूषण

भारत में अगर प्लास्टिक प्रदूषण की बात करें तो यहां ये समस्या और विकराल हो जाती है। यहां प्लास्टिक कचरे का निस्तारण तो दूर, इसके सही से कलेक्शन और रख-रखाव की व्यवस्था भी नहीं है। आलम ये है कि भारत में सड़क से लेकर नाली, सीवर और घरों के आसपास प्लास्टिक कचरा हर जगह नजर आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार देश में प्रतिदिन लगभग 26 हजार टन प्लास्टिक कचरा निकलता है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मानें तो भारत में सालाना 56 लाख टन प्लास्टिक कूड़ा पैदा होता है। दुनिया भर में जितना कूड़ा सालाना समुद्र में डम्प किया जाता है उसका 60 प्रतिशत भारत डम्प करता है और भारतीय रोजाना 15000 टन प्लास्टिक कचरे में फेंक देते हैं।

क्यों बढ़ रहा है प्लास्टिक प्रदूषण

प्लास्टिक प्रदूषण पूरे विश्व के लिए चिंता का कारण बना हुआ है क्योंकि यह खुद-ब-खुद खत्म नहीं होती है। भारत में भी प्लास्टिक वेस्ट (कचरा) का निपटान एक चुनौती बनती जा रही है। यहाँ हम उन कारणों का जिक्र कर सकते हैं जिसके करण प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ रहा है-

- प्लास्टिक के इस्तेमाल की सबसे बड़ी वजह है कि इसे बहुत कम लागत में तैयार किया जा सकता है, जैसे कि काँच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल से काफी महंगी पड़ती है। फिर उसे लाने-ले जाने में भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। जबकि प्लास्टिक को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये हल्का होता है।
- एक बार ही प्रयोग के बाद अधिकांश लोग प्लास्टिक की बोतलें और पॉलिथीन बैग को फेंक देते हैं। नतीजतन प्लास्टिक वेस्ट (कचरा) बढ़ता है।
- अमेरिका में सालाना औसत व्यक्ति 109 किग्रा प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। इसके मुकाबले भारत में एक औसत भारतीय सालाना 11 किग्रा प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है।
- मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में प्लास्टिक की जरूरत को देखते हुए भारतीय प्लास्टिक उद्योग 2022 तक प्रति व्यक्ति प्लास्टिक उपयोग को दोगुना करने के प्रयास में है। उपरोक्त मनोवृत्ति प्लास्टिक प्रयोग को बढ़ावा दे रही है।

- इसके अतिरिक्त भारत में हर साल रिसाइकल होने के लिए एक लाख 21 हजार मीट्रिक टन (एमटी) प्लास्टिक वेस्ट कंपनियों द्वारा आयात किया जाता है।
- प्रदूषित कर रहे प्लास्टिक के माइक्रो कणों के बढ़ने की एक वजह हमारे खाने, पानी, कपड़ों और रोजमर्रा की अन्य चीजों में तेजी से बढ़ रहा प्लास्टिक का प्रयोग है। प्लास्टिक के ये माइक्रो कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें सामान्य आंखों से देखना संभव नहीं होता है।
- दुनियाभर में हर साल करीब एक खरब डॉलर का खाना बर्बाद होता है। इस नुकसान को ज्यादातर उत्पाद तैयार करने वाले या खुदरा दुकानदार उठाते हैं। उल्लेखनीय है कि केवल एक बार इस्तेमाल हो सकने वाले प्लास्टिक की मदद से खाने की चीजों की इस बर्बादी पर लगाम लगाया जा सकता है नतीजतन दुकानदारों द्वारा नुकसान से बचने के लिए प्लास्टिक प्रयोग को काफी महत्त्व दिया गया है।

प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव

- साल दर साल प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पीने के पानी, भोजन और हवा को दूषित करता जा रहा है। हाल में हुए एक शोध के अनुसार एक वर्ष में 52 हजार से ज्यादा प्लास्टिक के माइक्रो कण खाने-पीने और सांस के जरिए व्यक्ति के अंदर जा रहे हैं। इसमें अगर वायु प्रदूषण को भी मिला दें तो हर साल करीब 1,21,000 माइक्रोप्लास्टिक कण खाने-पीने और सांस के जरिए एक वयस्क पुरुष के शरीर में जा रहे हैं।
- प्लास्टिक प्रदूषण कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जहां कोई प्रदूषण नहीं है, वहां भी प्लास्टिक मौजूद है। मतलब माइक्रोप्लास्टिक पृथ्वी पर हर जगह मिलने वाले कणों में से एक है। चाहे दुनिया के सबसे ऊंचे ग्लेशियर हों या सबसे गहरी समुद्री खाइयाँ।
- गौरतलब है कि हर साल तकरीबन 10.4 करोड़ टन प्लास्टिक मलबा समुद्र में समा जाता है। 2050 तक समुद्र में मछली से ज्यादा प्लास्टिक के टुकड़े होने का अनुमान है। प्लास्टिक के मलबे से समुद्री जीव बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। कछुओं की दम घुटने से मौत हो रही है और व्हेल इसके जहर का शिकार हो रही हैं। प्रशांत महासागर में द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच समुद्र में कचरे का सबसे बड़ा ठिकाना है। यहाँ पर 80 हजार टन से भी ज्यादा प्लास्टिक जमा हो गया है।
- प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या की विकरालता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसे लेकर देशों के बीच युद्ध के हालात तक बन चुके हैं। कुछ वर्ष पहले फिलीपींस ने कनाडा को कचरा वापस न लेने पर युद्ध की चेतावनी दी थी। ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई, क्योंकि कनाडा ने फिलीपींस के रीसाइकलिंग के लिए कचरे के कुछ कंटेनर भेजे थे। फिलीपींस का आरोप था कि इन कंटेनरों में जहरीला प्लास्टिक कचरा भरा हुआ है। इसी मुद्दे पर दोनों देशों के बीच 2013-14 में शीत युद्ध भी चला।
- हाल में मलेशिया ने भी अमीर देशों का डंपिंग ग्राउंड बनने से इंकार कर दिया था। दरअसल मलेशिया को पिछले दिनों कई अमीर देशों से जहरीला प्लास्टिक कचरा कंटेनर में भरकर भेज दिया गया था, जिसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता था। मलेशिया ने चोरी-छिपे दूषित कचरा भेजने का आरोप लगाते हुए 60 कंटेनर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, सऊदी अरब और चीन को वापस भेजने की बात कही थी।

सरकारी प्रयास

प्लास्टिक कचरे को पूरी तरह से खत्म करना लगभग न के बराबर है। कई देश इस कचरे से निपटने के लिए कई अलग-अलग उपाय तलाश रहे हैं। कहीं प्लास्टिक वेस्ट से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है तो कहीं इससे ईंधन बनाया जा रहा है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को पहली बार वर्ष 2011 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। इन नियमों में अपशिष्ट एकत्रित करने की जिम्मेदारी राज्य निगरानी समितियों की देखरेख में शहरी स्थानीय निकायों पर डाली गई।
- सरकार द्वारा प्लास्टिक बैग की मोटाई के लिये एक मानक तय किया गया और खुदरा विक्रेताओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले बैग के लिये शुल्क वसूलना अनिवार्य कर दिया गया।
- गौरतलब है कि 2016 में इस नियम को और अधिक कठोर बनाया गया। उदाहरण के तौर पर विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी (ईपीआर) की शुरूआत किया जाना। जहाँ निर्माताओं को उनके द्वारा उत्पादित अपशिष्ट को इकट्ठा करने की हिदायत दी गई थी। जैसे एक कोल्ड ड्रिंक निर्माता को पीईटी बोतल वापस लेनी होती थी।
- इसके अतिरिक्त निर्माताओं और प्लास्टिक वाहक बैग या बहु-स्तरीय पैकेजिंग का आयात करने वालों से ईपीआर के हिस्से के रूप में शुल्कों का संग्रह करना अनिवार्य किया गया। फलस्वरूप इससे स्थानीय प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई साथ ही प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा मिला।
- पैन इंडिया द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थलों, राष्ट्रीय संपदाओं, जंगलों और समुद्री तटों पर साफ-सफाई के अभियान आरम्भ किये गए हैं। इसके लिए पूरे देश में लगभग 100 स्मारकों को शामिल किया गया है ताकि प्लास्टिक और कूड़े को हटाया जा सके।
- केरल में सुचतवा मिशन ने एक परियोजना को शुरू किया है। इसके तहत 28 मछुआरों को नंद्कारा बंदरगाह से मछलियों को पकड़ने के अलावा प्लास्टिक निकायों से प्लास्टिक कचरे को भी निकालने के लिए नियुक्त किया गया है। इस मिशन से सरकार 10 महीनों के अंदर 25 टन प्लास्टिक कचरे को बाहर निकालने में कामयाब रही है।
- प्लास्टिक प्रदूषण के बढ़ते हालातों को देखते हुए केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों ने प्लास्टिक का उपयोग सड़क निर्माण में करना शुरू कर दिया है।
- सिक्किम सरकार ने लोगों को प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों से अवगत कराने का कार्यक्रम चलाया है, जिसमें काफी हद तक सिक्कम को सफलता मिली है। विदित हो कि 1998 में यह पहला ऐसा राज्य बना जिसने प्लास्टिक से बनी डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग और सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया था।
- आंध्र प्रदेश राज्य ने इस संदर्भ में स्केल-आउट प्रोग्राम शुरू किया है ताकि पारंपरिक सिंथेटिक रासायनिक कृषि को शून्य-बजट प्राकृतिक खेती में बदला जा सके।

- सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी (सीईईडीएस) ने दिल्ली में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसे 'बीट प्लास्टिक प्रदूषण' नाम दिया गया है।

चुनौतियाँ

- देश में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर लगाम कसने के लिए सिर्फ एक कानून है कि कोई उत्पादक या दुकानदार 50 माइक्रॉन से कम मोटी प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यह कानून अन्य सभी प्रकार के प्लास्टिक बैग पर लागू नहीं होता है।
- TERI के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक खपत लगभग 11 किलोग्राम है, जो 28 किलोग्राम के वैश्विक औसत से काफी कम है, लेकिन इसमें से केवल 60 प्रतिशत का ही पुनर्चक्रण हो पाता है।
- सरकारी स्तर पर प्लास्टिक को बैन करने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सख्ती के अभाव में इनका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। ग्लोबल रिसोर्सेज फॉर इंसीनरेटर अल्टरनेटिव्स (GAIA) के अनुसार भारत विश्व के कई देशों से ज्यादा प्लास्टिक कचरा रीसाइकल करता है। बावजूद इसके समस्या यहाँ विकराल बनी हुई है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आँकड़ों के मुताबिक कुल ठोस कचरे में प्लास्टिक की भागीदारी 8 प्रतिशत होती है, इसमें सबसे अधिक योगदान दिल्ली के बाद कोलकाता और अहमदाबाद का है।
- एक अन्य चुनौती प्रति दिन उत्पन्न 15,342 टन प्लास्टिक अपशिष्ट के निस्तारण के लिये एक संगठित तंत्र के अभाव से भी संबंधित है।
- हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुमान के अनुसार 2022 तक भारत में प्लास्टिक की वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत 20 किग्रा. होगी जिसका समाधान न करना बड़े संकट को आमंत्रित करेगा।

आगे की राह

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि आज प्लास्टिक कचरा वैश्विक स्तर की बड़ी समस्या बन गया है। इसका नुकसान सिर्फ इंसानों को ही नहीं, अन्य जीव-जंतुओं यहाँ तक कि समुद्र में रहने वाले जीवों को भी उठाना पड़ रहा है। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाने की जरूरत है। इस संदर्भ में कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- प्लास्टिक के उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण रखना प्रथम प्रयास होना चाहिए। अधिकतर प्लास्टिक उत्पाद सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिए जाते हैं। ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए। इसके विकल्प में ऐसे उत्पादों को चुना जाना चाहिए जो ज्यादा समय तक इस्तेमाल किए जा सकें और उनका जीवनकाल पूरा होने के बाद उन्हें रिसाइकिल करके किसी दूसरे काम में लाया जा सके।
- ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत कचरे को सूखे और गीले में अलग-अलग करके रखा जाना चाहिए ताकि इससे पर्यावरण को हो रही क्षति को रोका जा सके और रोजगार के अवसर बढाए जा सकें।
- इस दिशा में छोटे उद्यमियों को पुनर्चक्रण के लिये प्रोत्साहित करने के साथ कुछ नवाचारी आर्थिक मॉडल तैयार किये जाने को बल दिया जाना चाहिए।
- महाराष्ट्र और यूपी ने जिस तरह कुछ प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है वैसे ही प्रतिबंध उन राज्यों में लगाया जाना चाहिए जहाँ प्लास्टिक का अधिक इस्तेमाल होता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

6. गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में संसद ने गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 को पास कर दिया है। विपक्षी पार्टियों ने इस विधेयक के बहुत से पहलुओं पर आपत्ति की थी। उन्होंने इस विधेयक को चयन समिति में भेजने की माँग की थी लेकिन इसे चयन समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव संसद में गिर गया। यूएपीए (संशोधन) अधिनियम, आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करता है।

क्या है यूएपीए अधिनियम, 2019

देश में आतंकवाद की समस्या को देखते हुए, आतंकी संगठनों और आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए यूएपीए विधेयक, 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये केंद्र सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रदर्शित करने वाला है। इस अधिनियम का मकसद आतंकवाद की घटनाओं में कमी लाना, आतंकी घटनाओं की त्वरित जाँच करना और आतंकियों को जल्दी सजा दिलवाना है।

दरअसल ये देश की एकता और अखंडता पर चोट करने वालों के खिलाफ सरकार को असीमित अधिकार देता है।

पृष्ठभूमि

उल्लेखनीय है कि 1967 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय इस कानून को देश की संप्रभुता और एकता की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। 1962 में भारत-चीन युद्ध में जब भारत की पराजय हुई और तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने राज्य के भारत से अलग होने के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा था, तब केंद्र सरकार ने इस कानून का गठन किया, जिसके तहत ऐसे किसी भी संगठन को सरकार गैर-कानूनी करार दे सकती है, जो भारत से अलग होने की बात करता हो।

ज्ञातव्य है कि 2004 में तत्कालीन सरकार ने आतंकवाद निरोधक कानून (POTA) को भंग कर दिया। लेकिन सच यह था की भंग किये गए कानून के बहुत सारे अनुच्छेद यूएपीए में शामिल किये गये थे जिससे गैर-कानूनी गतिविधि, आतंकवाद, आतंकवादी संगठन जैसी परिभाषाएँ इस कानून के अंतर्गत आ गईं। 2008 मुम्बई हमलों के बाद हुए संशोधन से इस कानून को अपना वास्तविक

स्वरूप मिला। यूएपीए के अनुसार पुलिस किसी संदिग्ध को बिना चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किये 180 तक दिन कैद में रख सकती है। 2012 में हुए संशोधन ने भारत की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने को भी इस कानून के दायरे में ला दिया।

संशोधन अधिनियम के प्रमुख बिंदु

- यह (संशोधन) अधिनियम आतंकवादी घटनाओं की जाँच के लिए राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) को ज्यादा अधिकार देता है।
- सरकार को अभी तक आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त व्यक्ति से पूछताछ करने हेतु संबंधित राज्य की पुलिस से पहले इजाजत लेनी पड़ती थी, लेकिन इस (संशोधन) अधिनियम के तहत एनआईए सीधे उस व्यक्ति से पूछताछ कर सकेगी और अब उसे राज्य सरकार की पुलिस से इजाजत नहीं लेनी होगी।
- इस अधिनियम के माध्यम से अब एनआईए के महानिदेशक को ऐसी संपत्तियों को कब्जे में लेने और उनकी कुर्की करने का अधिकार मिल गया है, जिनका आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया हो।
- अब तक के नियम के मुताबिक, आतंकवादी घटनाओं से संबंधित किसी भी मामले की जाँच डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (एसीपी) रैंक के अधिकारी ही कर सकते थे। लेकिन अब नए नियम के अनुसार, एनआईए के अफसरों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। अब ऐसे किसी भी मामले की जाँच इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर के अफसर भी कर सकते हैं।

संशोधन की आवश्यकता क्यों

- वर्तमान में किसी भी कानून में किसी को व्यक्तिगत आतंकवादी कहने का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिये जब किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता था, तो उसके सदस्य एक नया संगठन बना लेते थे।
- जब कोई व्यक्ति आतंकी कार्य करता है या आतंकी गतिविधियों में भाग लेता है तो वह आतंकवाद को पोषित करता है। वह आतंकवाद को बल देने के लिये धन मुहैया कराता है अथवा आतंकवाद के सिद्धांत को युवाओं के मन में स्थापित करने का काम करता है। ऐसे दोषी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना आवश्यक है।

TADA (टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज) एक्ट

टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज नाम का यह कानून 1985 से 1995 के बीच लागू था। पंजाब में बढ़ते आतंकवाद के चलते सुरक्षाबलों को विशेषाधिकार देने के लिए यह कानून लाया गया था। संजय दत्त को इसी कानून के तहत पहले गिरफ्तार किया गया था। 1994 तक इस टाडा में 76166 लोग गिरफ्तार किया जा चुके थे। केवल 4% प्रतिशत लोग ही इसमें अपराधी साबित हुए, लेकिन इस कानून के कड़े प्रावधानों के चलते कई लोग इसमें सालों साल जेल में सड़ते रहे।

POTA (प्रिवेंशन ऑफ टेरेरिज्म एक्ट)

2002 में संसद पर हमले के बाद प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट नाम से ये कानून पास किया गया था। टाडा की तरह यह भी एक आतंकवाद निरोधी कानून था। टाडा की तरह इसके जरिए भी सरकारी सुरक्षा एजेंसियों को असीमित अधिकार मिल गए थे। 2004 में इस कानून को रद्द कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के निर्दलीय विधायक राजा भैया, तमिलनाडु के सीनियर नेता वाइको इस एक्ट में गिरफ्तार होने वाले प्रमुख नेता हैं। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एसएआर गिलानी को एक पोटा कोर्ट ने संसद पर हमले के आरोप में मौत की सजा दी थी, जो बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी।

गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 का विरोध क्यों?

विशेषज्ञों का कहना है कि संशोधित अधिनियम में एनआईए के अधिकारियों को यह शक्ति दी गई है कि वे किसी भी व्यक्ति को बिना उचित प्रकिया अपनाए हुए आतंकी घोषित कर सकते हैं। इस घोषणा के पश्चात् उस व्यक्ति का नाम मूल अधिनियम में संशोधित के द्वारा जोड़ी गई "चौथी अनुसूची" में अंकित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के पास एक ही विकल्प बचेगा कि वह अपने आप को अनधिसूचित करवाने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन दे जिस पर सरकार द्वारा ही गठित समीक्षा समिति विचार करेगी।

इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत यह नहीं बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आतंकी घोषित हो गया तो उसका कानूनी परिणाम क्या होगा, क्योंकि चौथी अनुसूची में नाम आ जाने मात्र से वह दंड, कारावास, अर्थदंड, निर्योग्यता अथवा किसी भी अन्य प्रकार के दंड का भागी हो जाएगा।

इसी असीमित अधिकार की वजह से कई लोगों को लगता है कि सरकार और उसकी मशीनरी इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। इस तरह का एक मामला सामने आया है जब हाल ही में गिरफ्तार किये गये 5 लोगों में से मुम्बई में बसे अरुण फरेरा को साल 2007 में भी गिरफ्तार किया गया था और शहरी माओवादी बताया गया था लेकिन बाद में वे सभी मामलों में बरी हो गये। हालांकि उन्हें पांच साल तक जेल में रहना पड़ा था।

किसी को सरकार के द्वारा आतंकी घोषित करना उसे "नागरिक मृत्यु" देने के बराबर हो सकता है क्योंकि इसके फलस्वरूप उसका सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, उसे नौकरी से निकाला जा सकता है, मीडिया उसके पीछे पड़ सकती है अथवा किसी स्वघोषित सतर्कता समूह के व्यक्ति के द्वारा उस पर आक्रमण भी हो सकता है। एनआईए की कार्रवाई से धरपकड़ बढ़ सकती है इससे कुछ लोगो को आशंका है कि इससे एनआईए की मनमानी बढ़ जाएगी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार का तर्क

- इस अधिनियम के अंतर्गत एनआईए को मिले अधिकारों को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जाता है तो वो गृह सचिव के सामने अपील कर सकता है। गृह सचिव को 45 दिन के भीतर अपील पर फैसला लेना होगा।
- केंद्र सरकार इस एक्ट के मुताबिक एक रिव्यू कमेटी बना सकती है जिसके सामने आतंकी घोषित संगठन या व्यक्ति अपील कर सकता है और वहां सुनवाई की गुजारिश कर सकता है।
- अगर कोई व्यक्ति गृह सचिव के फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो वो कमेटी में अपील कर सकता है। इस कमेटी में हाईकोर्ट के सीटिंग या रिटायर्ड जज के साथ कम से कम केंद्र सरकार के दो गृह सचिव रैंक के रिटायर्ड अधिकारी होंगे।
- केंद्र सरकार का कहना है कि इस कानून का इस्तेमाल सावधानी से होगा। यासिन भटकल और मसूद अजहर जैसे आतंकियों से निपटने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जाएगा।
- सरकार का कहना है कि इस कानून के बाद आतंकवाद की ओर प्रेरित लोग नए समूह बनाने से बचेंगे।
- इस अधिनियम के प्रावधान आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के नियम कायदों की तरह हैं।
- उल्लेखनीय है कि यूएस, चीन, इजरायल और यूरोपीय यूनियन में पहले से ही इस तरह के कानून हैं।

चुनौतियाँ

- गौरतलब है कि अगर आतंकवाद से जुड़े किसी मामले की जाँच एनआईए का कोई अफसर करता है तो उसे इसके लिए सिर्फ एनआईए के महानिदेशक से अनुमति लेनी होगी जो बड़ी चुनौती है क्योंकि महानिदेशक जल्दबाजी में निर्णय या पक्षपातपूर्ण निर्णय ले सकता है।
- यूएपीए में नए बदलाव के तहत एनआईए के पास असीमित अधिकार आ जाएंगे। वह आतंकी गतिविधियों में शक के आधार पर लोगों को उठा सकेगी, साथ ही संगठनों को आतंकी संगठन घोषित कर उन पर कार्रवाई कर सकती है। इससे इस कानून के दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ सकती है।
- वर्तमान में यूएपीए की धारा 43 के अध्याय IV और अध्याय VI के अनुसार डीएसपी या समकक्ष पद से नीचे के अधिकारी इस कानून के तहत अपराधों की जाँच कर सकते हैं। परंतु एनआईए में पर्याप्त डीएसपी की तैनाती नहीं है और इसके समक्ष आने वाले मामलों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है।
- वर्तमान में एनआईए में 57 स्वीकृत पदों के मुकाबले 29 डीएसपी और 106 स्वीकृत पदों के मुकाबले 90 निरीक्षक हैं, जो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है।
- इस कानून के संदर्भ में एक बड़ी चुनौती यह भी है कि यह व्यक्ति के प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन करता है क्योंकि बिना जांच के ही व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में पेश करना, उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) के बारे में

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जाँच एजेंसी है। यह एजेंसी केन्द्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। यह एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने हेतु सशक्त है। यह एजेंसी 31 दिसम्बर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जाँच एजेंसी विधेयक, 2008 के लागू होने के साथ अस्तित्व में आई थी।

आगे की राह

हाल ही में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) के कानून बन जाने से इस पर पक्ष और विपक्ष के मध्य काफी मतभेद देखा गया। हालांकि परिवर्तन यदि समाज और राष्ट्रहित में हो तो वह जरूरी हो जाता है। यदि बात देश की सुरक्षा की हो तो वह और भी लाज़मी हो जाता है। इन्हीं सब बातों के कारण यूएपीए (UAPA) में सरकार के द्वारा संशोधन किया गया है।

हालांकि इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कानून के आड़ में देश के किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन न हो क्योंकि लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत होता है कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा हो। इसके बावजूद ही देश का नागरिक लोकतंत्र में विश्वास कर पायेगा और देश के विकास में अपना सहयोग दे पाएगा।

लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का सुना जाना अति आवश्यक है क्योंकि इससे किसी भी मुद्दे पर पर्याप्त चर्चा होगी जिससे कि उसके लाभ और नुकसान के बारे में जाना जा सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह किसी भी विधेयक को कानून बनने से पहले उस पर पर्याप्त चर्चा की गुंजाइश बरकरार रखे। इसके साथ ही विपक्ष से भी यह अपेक्षा की जाती है कि देशहित में बनाये जा रहे कानून का वह समर्थन करे। सिर्फ राजनीतिक कारणों के चलते उसका विरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि जब देश सुरक्षित रहेगा तभी वहाँ के नागरिक सुरक्षित रहेंगे।

कुल मिलाकर परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और यदि वह समाज के लिए अपरिहार्य है तो उसे किया जाना चाहिए सिवाय इसके वह नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन न करती हो जिसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार स्वयं लेती हो।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका।

■

7. जनसंख्या पर नियंत्रण : भारत के लिए बड़ी चुनौती

चर्चा का कारण

73वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2019) के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक सर्वप्रमुख बात कही। उन्हीं के शब्दों में "हमारे यहाँ जनसंख्या में हो रही वृद्धि आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक संकट पैदा कर सकती है। लेकिन ये भी मानना होगा कि देश में एक जागरूक वर्ग भी है जो इस बात को अच्छे से समझता है कि कई समस्याओं का एक बड़ा कारण बढ़ती जनसंख्या है। ये वर्ग इससे होने वाली समस्याओं को समझते हुए परिवार नियोजन को प्राथमिकता दे रहे हैं, वे लोग अभिनंदन के पात्र हैं।''

पृष्ठभूमि

यदि भारत की जनसंख्या को देखें तो यह लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। इस क्रम में सन 1951 में भारत की आबादी 36.6 करोड़ थी जो आज बढ़कर 1 अरब से अधिक हो गई है। आज का समाज भौतिक क्षेत्र में विकास कर रहा है। जीवन-क्रम द्रुतगति से बदलता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के भी अधिकाधिक उपयोग से जीवन स्तर तो बढ़ रहा है, फिर भी जनसंख्या का संतुलन और उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। उल्लेखनीय है कि अर्थशास्त्र के नियमानुसार, जीवन-स्तर के उच्च होने पर जनसंख्या घटती है।

जनसंख्या में वृद्धि होने से कई समस्याएँ खुद-ब-खुद पैदा हो जाती हैं। प्रतिवर्ष उत्पादित खाद्यान्न अपर्याप्त हो जाता है और जो है, वह महँगा हो जाता है। इसी हिसाब से अन्य उपयोगी वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाते हैं। सरकार के पास काम की कमी हो जाती है, अत: बेकारी भी बढ़ती जाती है। अत: जनसंख्या की स्थिरता आज की अनिवार्य माँग बन गई है।

इसके लिए पाश्चात्य देशों में परिवार-नियोजन के अनेक तरीके अपनाए जाते हैं-संतति नियंत्रण के साधनों में नसबंदी भी शामिल है। भारत में भी इन साधनों का प्रचार होने लगा है।

वर्तमान परिदृश्य

भारत को बढ़ती आबादी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की करीब 17% आबादी भारत में रहती है जिससे यह दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने 'स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2018' की रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2010 से 2019 के बीच दुनिया में जनसंख्या वृद्धि दर औसत 1.1 फीसदी रही। वहीं भारत की जनसंख्या हर साल 1.2 फीसदी की दर से बढ़ी है, जबकि इसी दौरान चीन में सालाना जनसंख्या वृद्धि दर

0.5 फीसदी रही। भारत का जनसंख्या बढ़ने का आँकड़ा चीन से दोगुना से अधिक है। जिस गति से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उसके मुताबिक 2027 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। वहीं, 2030 तक भारत की जनसंख्या 1.5 अरब हो जाएगी। 2020 तक 2.1 फीसदी की कुल प्रजनन दर के लक्ष्य को प्राप्त करना था जिसे राष्ट्रीय स्तर पर हासिल कर लिया गया है, हालांकि राज्य स्तर पर देखा जाय तो कई राज्य अभी भी इसे हासिल नहीं कर पाए हैं। देश के बहुत से जिले तो ऐसे हैं जहां प्रजनन दर 3.0 फीसदी है। विभिन्न राज्यों के भीतर भी इस दर में असंतुलन दिखता है। राज्य के किसी जिले में बहुत ज्यादा है, तो किसी जिले में कम है। देश में जनसंख्या नियंत्रण की चर्चाओं के बीच इसी साल जुलाई में सांसद राकेश सिन्हा ने राज्यसभा में 'जनसंख्या विनियमन विधेयक, 2019' पेश किया था। यह बिल प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर राज्यसभा में रखा गया था। हालांकि अभी इस पर कानून नहीं बना है, लेकिन अगर इस बिल को कानूनी मान्यता मिलती है तो 'टू चाइल्ड नार्म्स' यानी एक परिवार (पति-पत्नी) में सिर्फ दो बच्चे होने का नियम लागू हो जाएगा। इस विधेयक के मुताबिक, जो लोग दो बच्चा नीति का पालन करते है तो उन्हें कुछ सुविधाएँ दी जाएँगी, जैसे- बैंक लोन कम दर पर मिले, डिपॉजिट में अधिक ब्याज मिले, रोजगार और शिक्षा में प्राथमिकता मिले। वहीं, जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें कई सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है, जैसे- बैंक डिपॉजिट पर कम ब्याज मिले, लोन लेने पर अधिक ब्याज लगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से बाहर कर दिया जाए और किसी भी तरह के चुनाव लड़ने से उनको वंचित कर दिया जाए।

जनसंख्या का नियंत्रण आवश्यक क्यों

आबादी की बढ़ती दर कई समस्याओं का कारण है। विकासशील देश विकसित देशों के स्तर तक पहुँचने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन इन देशों में जनसंख्या में हो रही तेजी से वृद्धि इस दिशा में मुख्य बाधा उत्पन्न कर रही है। बढ़ती आबादी के कारण बेरोजगारी की समस्या उच्चतम स्तर पर है। नौकरियों की तलाश में कई लोग लगे हैं लेकिन रिक्तियाँ सीमित हैं। बेरोजगारी गरीबी का एक सर्वप्रमुख कारण है। यह लोगों के बीच असंतोष पैदा करती है और अपराध को जन्म देती है, जो लोग अपनी वांछित नौकरियाँ प्राप्त नहीं कर पाते वे अकसर पैसे कमाने के लिए अवांछित तरीके अपनाते हैं।

गौरतलब है कि संसाधन सीमित हैं लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण माँग बढ़ रही है। वनों को काटा जा रहा है और उनकी जगह विशाल कार्यालय और आवासीय भवन बनाए जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन तेजी से कम हो रहे हैं क्योंकि अधिक संख्या में लोग उनका उपयोग कर रहे हैं। यह पर्यावरण में असंतुलन पैदा कर रहा है। लोगों की माँगों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पर्यावरण का क्षरण ही नहीं बल्कि जीवन की लागत भी बढ़ जाती है। इस प्रकार आबादी को नियंत्रित करना आज के समय की आवश्यकता बन गयी है। पर्यावरण में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है। इससे लोगों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित हो सकेगा।

अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में पिछड़ा भारत

गौरतलब है कि अंतराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की दयनीय स्थिति का मुख्य कारण भी जनसंख्या विस्फोट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 103वें स्थान पर, साक्षरता दर में 168वें स्थान पर, वर्ल्ड हैप्पिनेस इंडेक्स में 140वें स्थान पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वें स्थान पर, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में 53वें स्थान पर, यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में 134वें स्थान पर, होमलेस इंडेक्स में 8वें स्थान पर, लिंग असमानता में 76वें स्थान पर और न्यूनतम वेतन में 64वें स्थान पर है।

इसके अलावा रोजगार दर में 42वें स्थान पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 43वें स्थान पर, फाइनेंसियल डेवलपमेंट इंडेक्स में 51वें स्थान पर, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 78वें स्थान पर, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 66वें स्थान पर, एनवायरनमेंट परफॉरमेंस इंडेक्स में 177वें स्थान पर तथा पर कैपिटा जीडीपी में 139वें स्थान पर हैं।

भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण

- **पारिवार नियोजन की कमी:** अगर हम गर्भपात की संख्या जोड़ते हैं (2010-11 में 05 करोड़) देश में जन्म की अनुमानित संख्या के साथ (2010-11 में 6.20 लाख) एक साल में यहां तक कि पारिवारिक नियोजन की इस उम्र में, एक महिला, औसत पर, 15-45 साल के आयु वर्ग में किसी भी समय गर्भवती हो जाती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग परिवार नियोजन के विभिन्न फायदों और समाज पर अधिक जनसंख्या के दुष्प्रभावों के बारे में कोई जागरूकता नहीं रखते हैं।
- **बाल विवाह:** बाल विवाह हमारे देश की प्रमुख सामाजिक समस्याओं में से एक है। आज भी, बड़ी संख्या में लड़कों और लड़कियों की शादी उस उम्र में की जाती है जब वे पारिवारिक जिम्मेदारियों को सम्भालने के लिए सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। अपरिपक्व उम्र में विवाह होने से शिशुओं की मृत्यु दर भी अधिक बढ़ जाती है।
- **शिक्षा की कमी:** परिवार नियोजन की विफलता बड़े पैमाने पर अशिक्षा से सीधे संबंध रखता है, जो उपरोक्त वर्णित बाल विवाह, महिलाओं की निम्न स्थिति, उच्च बाल-मृत्यु दर आदि में भी अपना योगदान देती देता है। अशिक्षित परिवार बढ़ती जनसंख्या दर के कारण होने वाली समस्याओं को समझने में असक्षम हैं। वे जनसंख्या को नियंत्रित करने, गर्भ निरोधकों और जन्म नियंत्रण उपायों के उपयोग के विभिन्न तरीकों के बारे में कम से कम जानते हैं।
- **धार्मिक कारण:** रूढ़िवादी और परम्परावादी लोग परिवार नियोजन उपायों के उपयोग के विरोध में होते हैं। ऐसे परिवारों में महिलाओं को परिवार नियोजन में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि इन रूढ़िवादीयों का यह मानना होता है कि महिलाओं को भगवान की इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। वहीं कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो तर्क देती हैं कि बच्चे भगवान की इच्छा से पैदा होते हैं और महिलाएं बच्चों को जन्म देने के लिए ही नियत की गयी हैं।
- **गरीबी:** गरीबी हमारे देश की आबादी में वृद्धि का एक और कारण है। बहुत से गरीब माता-पिता अधिक बच्चों को इसलिए जन्म नहीं देते की उन्हें गर्भ निरोधकों के बारे में ज्ञान नहीं है, बल्कि इसलिए देते हैं ताकि वे बच्चे जीविका अर्जन करने में उनकी सहायता कर सकें। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि हमारे देश में बाल मजदूरों की संख्या अनगिनत है। यदि गरीब परिवार बच्चों को काम करने से रोक दिया जाता है, तो उनकी पारिवारिक तथा मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में मुश्किलें आ सकती हैं।
- **मानसिकता की समस्या:** आम तौर पर, अनपढ़ और अशिक्षित बच्चे अपने पिता के आचरण का अनुसरण करते हैं और परिवार

की आय बढ़ाने के लिए माता-पिता बच्चे को जन्म देने का विकल्प चुनते हैं। चूंकि लड़के को परिवार के लिए पैसा कमाने वाले के रुप में देखे जाते हैं, इसलिए माता-पिता लड़के की चाहत में अधिक बच्चों को जन्म देते है।

जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव

- **प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता बोझः** अत्यधिक जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक शोषण पर प्रभाव ड़ालती है। बढ़ती आबादी खाद्य, पानी और विभिन्न पदार्थो का उत्पादन करने के लिए पृथ्वी पर भार डालती है नतीजन, लोगों को कुपोषण, भुखमरी और अस्वस्थ रहने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि प्रदूषण और वनों की कटाई के गंभीर रूपों की दर्शाता है।
- **गरीबी में वृद्धिः** जनसंख्या वृद्धि अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी के दुष्चक्र को जन्म देती है। शिक्षा का अभाव लोगों को अपनी आजीविका कमाने और अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के अवसरों से वंचित रखती है।
- **अमीरी-गरीबी का अंतरः** जनसंख्या वृद्धि से धन और आय का असमान वितरण होने के कारण, अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर सदैव बना रहता है।
- **जनसंख्या प्रवासः** स्थानान्तरण एक प्राकृतिक मानव गुण है। जब उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की तुलना में किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि असंतुलित हो जाती है, तो लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर दूर जाने लगते हैं। यह मधुमक्खी के छत्ते की घटना से तुलनीय है-जब उनके छत्ते पूरी तरह से भर जाते हैं, तो वे उसे छोड़कर कहीं और चली जाती हैं, उसी प्रकार, मनुष्य भी एक समय के लिए एक स्थान पर रुकते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं।

कुछ अन्य समस्याएं

खाद्य और पोषण की समस्याएं, आवास की समस्याएं, भुखमरी और अकाल, संक्रामक रोग और महामारी, शहरों और जनसंख्या के विकास पर जनसंख्या दबाव, अधिकांश संसाधनों पर अत्यधिक प्रभाव, कृषि क्षेत्रों में कमी, जंगलों का निरंतर विनाश, वन्यजीवन सहित पर्यावरण के लिए खतरा, राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, सामाजिक बुराई और भ्रष्टाचार इत्यादि।

सरकारी प्रयास

सरकार ने परिवार नियोजन के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कई पहल की है। सरकार के द्वारा उठाये गए कुछ प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं-

न्यूनतम विवाहयोग्य आयुः सरकार ने पुरुषों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष तय किया है।

दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देनाः भारत सरकार बच्चों को गोद लेने को भी बढ़ावा दे रही है।

शिक्षाः गरीब और अशिक्षित वर्गों के लोग अधिकतर परिवार नियोजन योजना नहीं बनाते हैं। वे महिलाओं को एक के बाद एक बच्चे पैदा करने की मशीन के रूप में देखते हैं। अतः लोगों को शिक्षित करना आवश्यक है।

भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून के अधिकार के जरिए देश के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई है। जनसंख्या को नियंत्रित करने का एक और तरीका है निरक्षरता को अविलंबसमाप्त करना जिस पर सरकार ध्यान दे रही है।

परिवार नियोजनः परिवार नियोजन के महत्त्व के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए सरकार रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और संचार के अन्य रूपों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है।

सख्त मॉनिटरिंगः सरकार द्वारा उपर्युक्त बिंदुओं को लागू करने के लिए साथ ही उचित जाँच सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर एक मॉनिटरिंग व्यवस्था की गई है।

आगे की राह

भारत में बढ़ती आबादी गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने इस पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ कदम उठाए हैं लेकिन ये नियंत्रण पर्याप्त प्रभावी नहीं हैं। इस मुद्दे को रोकने के लिए कई अन्य उपाय किए जाने की आवश्यकता है। लोगों को परिवार नियोजन के महत्त्व को समझना चाहिए। यह न केवल उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण तथा बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेगा बल्कि अपने देश के समग्र विकास में भी मदद करेगा। सरकार को भी इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उचित नियम और नीतियाँ बनानी चाहिए। इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए दोनों सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। बेहतर जीवन जीने के लिए हर परिवार को अपने बच्चों को संपूर्ण पौष्टिक भोजन, उचित आश्रय, सर्वोत्तम शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उचित ढंग से परिवार नियोजन की आवश्यकता होती है। एक देश तभी सफलता प्राप्त कर सकता है जब उसके नागरिक स्वस्थ हों और खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकें। इस प्रकार नियंत्रित जनसंख्या विश्व के प्रत्येक देश के लिए सफलता की कुंजी है।

जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए संविधान समीक्षा आयोग (वेंकटचलैया आयोग) ने संविधान में अनुच्छेद 47A जोड़ने और जनसँख्या नियंत्रण कानून बनाने का सुझाव दिया था जिसे आजतक लागू नहीं किया गया। इस पर भी विचार किये जाने की आवश्यकता है। यहाँ की आबादी को स्वावलंबन की शिक्षा मिले तो जनसंख्या-वृद्धि भी संतुलित की जा सकेगी। बढ़ती जनसंख्या को उपयोगी काम में लगाकर भारत भूमि को स्वर्ग बनाया जा सकता है। जनसंख्या को स्थायी रूप से नियंत्रित करना है, तो शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिए। देखा गया है कि शिक्षितों की अपेक्षा अशिक्षितों की अधिक संतानें हैं। सीमित परिवारवालों को सरकार द्वारा पुरस्कृत और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

शिक्षा, मनोरंजन और रोजगार के साधनों में वृद्धि की जानी चाहिए। हमारी सरकार को ऐसी सार्वजनिक नीतियों को अपनाने की जरूरत है जो न केवल व्यक्तियों की संख्या के अनियंत्रित विकास को रोके बल्कि जनसंख्या के अनियंत्रित प्रवास और शहरी क्षेत्रों में लोगों के बढ़ते केंद्रीकरण को भी प्रतिबंध लगा सके। सही जनसंख्या मिश्रण के लिए पर्याप्त जगह और मजबूत बुनियादी ढांचे के प्रावधान के साथ पर्याप्त संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ : तीनों सेनाओं का एकीकृत नेतृत्व

प्र. हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बनाने की घोषणा की गई। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सीडीएस भारतीय सेना के लिए कितना आवश्यक है? चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नई व्यवस्था जल्द शुरू करने की बात कही है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) क्या है?

- तीनों सेनाओं थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए इस पद का गठन किया गया है। सीडीएस देश के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च रैंक (तीनों सेनाओं) वाला अधिकारी होगा।
- दूसरे शब्दों में सीडीएस का तात्पर्य है, सरकार के लिये एक सूत्री सैन्य सलाहकार का होना, जो तीनों सेनाओं के दीर्घकालिक नियोजन, खरीद, प्रशिक्षण एवं लॉजिस्टिक्स का समन्वय करेगा।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान समय में तीनों सेना प्रमुखों में से सबसे वरिष्ठ अधिकारी को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) नियुक्त किया जाता है। वैसे यह पद केवल एक अतिरिक्त भूमिका की तरह होता है और इसका कार्यकाल भी आमतौर पर बहुत कम रहता है।

सीडीएस की नियुक्ति से फायदे

- सीडीएस के बन जाने से भारतीय सेना में पारदर्शिता बढ़ जाएगी क्योंकि जो काम कई चरणों में होता था अब वह एक चरण में संभव होगा।
- सेना के निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होगी क्योंकि अब एक बेहतर समन्वय के साथ निर्णय लिया जाएगा।
- तीनों सेनाओं के बीच उत्पन्न मत भिन्नता जैसी समस्याओं से भी निपटा जा सकता है।
- इसके अलावा सेना के छोटे अधिकारियों और अर्दली स्तर के सैनिकों के विचारों पर भी गौर किया जा सकता है क्योंकि वह सीधे प्रमुख के पास शिकायत कर सकता है।

चुनौतियाँ

- प्रधानमंत्री के इस एलान के बाद एक सवाल खड़ा होता है कि क्या नए चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (एनएसए) में हितों का टकराव होगा? दोनों पदों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या भूमिका होगी? मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा की जवाबदेही एनएसए के जिम्मे है लेकिन अगर सीडीएस की नियुक्ति होगी तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उनकी भी जवाबदेही होगी।

आगे की राह

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का निर्माण सरकार द्वारा उठाया गया एक सुधारात्मक कदम है। इससे न सिर्फ सेना की मारक क्षमता बढ़ेगी बल्कि सेना का विश्वास भी बढ़ेगा। इससे सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ेगा और देश की सुरक्षा में वे अपना अहम योगदान दे पाएंगे। ■

2. मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 : एक विश्लेषण

प्र. सरकार द्वारा मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 में किए गए प्रावधानों को बताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उपलब्धियों का वर्णन करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में राज्यसभा में मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया गया। यह विधेयक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों को अधिक सक्षम बनाने हेतु लाया गया है।

मुख्य प्रावधान

- यह विधेयक मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन करता है। यह अधिनियम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), राज्य मानवाधिकार आयोगों (एसएचआरसी) और मानवाधिकार अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है।
- 1993 के अधिनियम के अंतर्गत एनएचआरसी का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता था जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। लेकिन वर्तमान विधेयक इस प्रावधान में संशोधन करता है और प्रावधान करता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा व्यक्ति या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रहा व्यक्ति एनएचआरसी का अध्यक्ष होगा।
- विधेयक प्रावधान करता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में मानवाधिकार से

संबंधित कार्यों को केंद्र सरकार एसएचआरसी को सौंप सकती है, लेकिन दिल्ली के मानवाधिकार संबंधी कार्य एनएचआरसी द्वारा किए जाएंगे।

संशोधन का कारण

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कुछ वैश्विक प्लेटफॉर्मों पर उठाई गयी चिंताओं को दूर करने के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए थे।

भारत में मानवाधिकार कानून का प्रवर्तन

- राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत देश में न्यायपालिका को मानवाधिकार के हनन से संबंधित मामलों को देखने सुनने का अधिकार दिया गया है जो अपने न्यायिक निर्णय के तहत लोगों को न्याय प्रदान करती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अब तक की उपलब्धियाँ

- पीड़ितों की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ आयोग ने देश के किसी भी हिस्से में मानवाधिकार के हनन के मामलों को स्वत: संज्ञान लेकर उसका निराकरण किया है।
- मानवाधिकारों की रक्षा हेतु शैक्षिक एवं निजी संगठनों के अलावा आयोग ने सामाजिक संगठनों को भी सहायता के लिए बढ़-चढ़ कर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
- समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता पैदा करना आयोग का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहा है।

चुनौतियाँ

- आयोग के समुचित प्रयासों के बावजूद भी देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना संभव नहीं हो पाया है। नतीजतन किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतें भी आयोग के पास जाती रही हैं।
- ऐसी परिस्थिति में आयोग का सारा समय और ऊर्जा इन्हीं शिकायतों के निदान में लग जाता है और आयोग मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में शासन प्रणाली को सुचारु बनाने के लिए समय नहीं निकाल पाती है।

आगे की राह

- पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु एनएचआरसी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, इसे दी गई शक्तियों को बढ़ाया जाना चाहिए।
- आयोग को अंतरिम और तात्कालिक राहत जिसमें पीड़ित को मौद्रिक राहत दिया जाना भी शामिल है, की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए।
- इसके अलावा, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की शक्ति भी आयोग के पास होनी चाहिए, ताकि यह भविष्य में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों के लिए निवारक के रूप में कार्य कर सकें।■

3. मानसिक बीमारी : भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय

प्र. भारत में मानसिक रोगियों की संख्या में बढ़ोत्तरी चिंता का विषय है। इस संदर्भ में कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं? साथ ही उपयुक्त सुझावों की भी चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा संपन्न एक बैठक में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कानून और उसको लागू करने के बीच के अन्तराल पर चर्चा की गई।

परिचय

- मानसिक स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता का मुख्य निर्धारक होने के साथ सामाजिक स्थिरता का भी आधार होता है। जिस समाज में मानसिक रोगियों की संख्या अधिक होती है वहाँ की व्यवस्था व विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भारत में स्थिति

- जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, भारत की 18 वर्ष से अधिक 10.6 प्रतिशत आबादी यानी करीब 15 करोड़ लोग किसी न किसी मानसिक रोग से पीड़ित हैं। हर छठे भारतीय को मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद की दरकार है।
- जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में लगभग 22 लाख 28 हजार मनोरोगी हैं जबकि लांसेट की रिपोर्ट कहती है कि भारत में मनोरोगियों की संख्या 16 करोड़ 92 लाख है।

मनोरोग के कारण

- मनोरोग का एक महत्वपूर्ण कारक आनुवंशिक होता है। मनोविक्षिप्त या साइकोसिस, स्कीजोफ्रीनिया इत्यादि रोग उन लोगों में अधिक पाये जाते हैं, जिनके परिवार का कोई सदस्य इनसे पीड़ित होता है। ऐसे व्यक्ति के संतान में यह खतरा लगभग दोगुना हो जाता है।
- मनोरोग की एक वजह शारीरिक परिवर्तन भी माना जाता है। दरअसल किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, गर्भ-धारण जैसे शारीरिक परिवर्तन के कारण मनोरोगों की संभावना बढ़ जाती है।

प्रभाव

- खराब मानसिक स्वास्थ्य का सामाजिक और आर्थिक स्तर पर व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ता है जो कि गरीबी, बेरोजगारी की उच्च दर, खराब शैक्षिक और स्वास्थ्य परिणाम की वजह बनता है।
- जिन लोगों को मानसिक रोग होता है, उनके साथ अकसर समुदाय और उनके परिवार के द्वारा भी भेदभाव किया जाता है, साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी आम तौर पर उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं।

सरकारी प्रयास

- सरकार इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम लेकर आयी ताकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके।
- विदित हो कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 7 अप्रैल, 2017 को पारित किया गया था तथा यह 7 जुलाई, 2018 से लागू हुआ था। अधिनियम ने 1987 में पारित मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 का स्थान लिया है।
- मनोरोगियों की पूर्व जांच और उनके इलाज के लिए जिला मानसिक

स्वास्थ्य कार्यक्रम में विभिन्न निवारक गतिविधियों को शामिल किया गया है जिसमें स्कूल मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, कॉलेज परामर्श सेवाएं, कार्यस्थल पर तनाव कम करने और आत्महत्या रोकथाम सेवाएं शामिल हैं।

चुनौतियाँ

- देश की स्वास्थ्य नीति में मानसिक स्वास्थ्य को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 1980 में नेशनल मेंटल हेल्थ मिशन की शुरूआत तो हुई थी, लेकिन इसे ठीक से लागू नहीं किया गया।
- भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत अधिक खर्चीली हैं साथ ही देश के प्रत्येक नागरिक तक उनकी पहुँच भी सुनिश्चित नहीं हो पायी है।

आगे की राह

- मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक दृष्टिकोण को सभी विकासात्मक तथा मानवीय नीतियों, कार्यक्रमों में शामिल करने की आवश्यकता है।
- यदि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ऐसे मानसिक रोगग्रस्त लोगों की समस्याओं को संवेदनशील ढंग से उठाएँ तो निश्चय ही समाज का उपेक्षावादी रवैया कमजोर होगा और संवेदनशीलता में वृद्धि होगी। ■

4. खेलों में डोपिंग : मुद्दे एवं चुनौतियाँ

प्र. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अंतर्गत बीसीसीआई के आ जाने से क्या खिलाड़ियों को मादक पदार्थों को लेने से रोका जा सकता है? विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में टीम इंडिया के युवा क्रिकेट खिलाड़ी पृथ्वी शॉ के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद खेल मंत्रालय ने बीसीसीआई पर सख्त रवैया अपनाते हुए उसे भी राष्ट्रीय डोप विरोधी एजेंसी (NADA) के अधीन कर दिया है।

डोपिंग क्या है

- खिलाड़ी अपने कैरियर के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने पर ही मशहूर और सबका चहेता बन पाता है। कैरियर को ऊँची छलांग देने के लिए कुछ खिलाड़ी शॉर्टकट तरीका अपनाना पसंद करने लगते हैं और ये शॉर्टकट तरीका होता है डोपिंग।
- डोपिंग ना केवल भारत की समस्या है बल्कि इसका जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। डोपिंग का मतलब है कि खिलाड़ियों द्वारा उन पदार्थों का सेवन करना जो उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ाने में मदद करे।

डोपिंग के कुछ मामले

- ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर शेन वॉर्न को 2003 विश्व कप के दौरान डोप टेस्ट में दोषी पाया गया। दक्षिण अफ्रीका में टूर्नामेंट शुरू होने से एक दिन पहले उनके जाँच की रिपोर्ट आई जिसमें वह पॉजिटिव पाए गए और उन्हें वापस भेज दिया गया। उन पर एक साल का प्रतिबंध भी लगा था।
- पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर पर भी डोप टेस्ट की गाज गिर चुकी है। वर्ष 2006 में डोपिंग में फंसने के बाद शोएब पर दो वर्ष का प्रतिबंध लगा था।

डोपिंग के प्रभाव

- चेहरे पर कई दाग, बांझपन, हाइपरटेंशन, जिगर और गुर्दा की शिथिलता, आक्रामक व्यवहार आदि।

चुनौतियाँ

- जहां तक बीसीसीआई की बात है तो उसे नाडा से डोप परीक्षण करवाने पर स्वीकृति देने में इतना समय क्यों लगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि क्या नाडा बीसीसीआई जैसी ताकतवर खेल संस्था के मामले में सभी नियमों को पूरी तरह से लागू कर पाएगी। कई ऐसी ताकतवर खेल संस्थाएँ हैं जो वाडा के सभी नियमों को पूरी तरह नहीं मानती हैं, जिनकी वजह से उनके खिलाड़ी बहुत आसानी से डोप परीक्षण में बच जाते हैं।

आगे की राह

- नाडा अब सभी क्रिकेटरों का डोप परीक्षण करेगी। इससे पहले तक बीसीसीआई नाडा के दायरे में आने से यह कहते हुए इनकार करता रहा था कि वह कोई राष्ट्रीय खेल महासंघ नहीं है, बल्कि स्वायत्त ईकाई है और वह सरकार से धन नहीं लेती है। परंतु खेल को खेल भावना से खेला जाए तभी उसका अर्थ सार्थक होता है इसलिए डोपिंग जैसी बुरी आदतें खेलों से दूर होना बेहद जरूरी है। ■

5. भारत में प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या एवं उसका समाधान

प्र. प्लास्टिक प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? सरकार द्वारा इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को बताते हुए इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- 73वें स्वतंत्रता दिवस (73rd Independence Day) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

परिचय

- प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक शब्द यूनानी 'प्लैतिकोस' से बना है जिसका अर्थ है किसी भी आकार में ढाल देना। प्लास्टिक को अच्छा प्रतिरोधी माना जाता है क्योंकि बिजली का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है और ये पॉलीमर से बने होते हैं। लेकिन आज प्लास्टिक पूरी दुनिया के लिए एक विकट समस्या बन चुका है।

भारत में प्लास्टिक प्रदूषण

- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मानें तो भारत में सालाना 56 लाख टन प्लास्टिक कूड़ा पैदा होता है। दुनिया भर में जितना कूड़ा सालाना समुद्र में डम्प किया जाता है उसका 60 प्रतिशत भारत डम्प करता है और भारतीय रोजाना 15000 टन प्लास्टिक कचरे में फेंक देते हैं।

क्यों बढ़ रहा है प्लास्टिक प्रदूषण

- प्लास्टिक के इस्तेमाल की सबसे बड़ी वजह है कि इसे बहुत कम लागत में तैयार किया जा सकता है, जैसे कि काँच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल से काफी महंगी पड़ती है। फिर उसे लाने-ले जाने में भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। जबकि प्लास्टिक को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये हल्का होता है।
- इसके अतिरिक्त भारत में हर साल रिसाइकल होने के लिए एक लाख 21 हजार मीट्रिक टन (एमटी) प्लास्टिक वेस्ट कंपनियों द्वारा आयात किया जाता है।

प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव

- साल दर साल प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पीने के पानी, भोजन और हवा को दूषित करता जा रहा है। हाल में हुए एक शोध के अनुसार एक वर्ष में 52 हजार से ज्यादा प्लास्टिक के माइक्रो कण खाने-पीने और सांस के जरिए व्यक्ति के अंदर जा रहे हैं। इसमें अगर वायु प्रदूषण को भी मिला दें तो हर साल करीब 1,21,000 माइक्रोप्लास्टिक कण खाने-पीने और सांस के जरिए एक वयस्क पुरुष के शरीर में जा रहे हैं।

सरकारी प्रयास

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को पहली बार वर्ष 2011 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। इन नियमों में अपशिष्ट एकत्रित करने की जिम्मेदारी राज्य निगरानी समितियों की देखरेख में शहरी स्थानीय निकायों पर डाली गई।

चुनौतियाँ

- देश में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर लगाम कसने के लिए सिर्फ एक कानून है कि कोई उत्पादक या दुकानदार 50 माइक्रॉन से कम मोटी प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यह कानून अन्य सभी प्रकार के प्लास्टिक बैग पर लागू नहीं होता है।

आगे की राह

- प्लास्टिक के उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण रखना प्रथम प्रयास होना चाहिए। अधिकतर प्लास्टिक उत्पाद सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिए जाते हैं। ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए। इसके विकल्प में ऐसे उत्पादों को चुना जाना चाहिए जो ज्यादा समय तक इस्तेमाल किए जा सकें और उनका जीवनकाल पूरा होने के बाद उन्हें रिसाइकिल करके किसी दूसरे काम में लाया जा सके। ■

6. गैर–कानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 : एक अवलोकन

प्र. गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताएं कि यह अधिनियम आतंकवादी घटनाओं को रोकने में कितना कारगर साबित हो सकता है?

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में संसद ने गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 को पास कर दिया है।

संशोधन अधिनियम के प्रमुख बिंदु

- यह (संशोधन) अधिनियम आतंकवादी घटनाओं की जाँच के लिए राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) को ज्यादा अधिकार देता है।
- सरकार को अभी तक आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त व्यक्ति से पूछताछ करने हेतु संबंधित राज्य की पुलिस से पहले इजाजत लेनी पड़ती थी, लेकिन इस (संशोधन) अधिनियम के तहत एनआईए सीधे उस व्यक्ति से पूछताछ कर सकेगी और अब उसे राज्य सरकार की पुलिस से इजाजत नहीं लेनी होगी।

संशोधन की आवश्यकता क्यों

- वर्तमान में किसी भी कानून में किसी को व्यक्तिगत आतंकवादी कहने का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिये जब किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता था, तो उसके सदस्य एक नया संगठन बना लेते थे।

गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 का विरोध क्यों?

- किसी को सरकार के द्वारा आतंकी घोषित करना उसे "नागरिक मृत्यु" देने के बराबर हो सकता है क्योंकि इसके फलस्वरूप उसका सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, उसे नौकरी से निकाला जा सकता है, मीडिया उसके पीछे पड़ सकती है अथवा किसी स्वघोषित सतर्कता समूह के व्यक्ति के द्वारा उस पर आक्रमण भी हो सकता है। एनआईए की कार्रवाई से धरपकड़ बढ़ सकती है इससे कुछ लोगो को आशंका है कि इससे एनआईए की मनमानी बढ़ जाएगी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

चुनौतियाँ

- गौरतलब है कि अगर आतंकवाद से जुड़े किसी मामले की जाँच एनआईए का कोई अफसर करता है तो उसे इसके लिए सिर्फ एनआईए के महानिदेशक से अनुमति लेनी होगी जो बड़ी चुनौती है क्योंकि महानिदेशक जल्दबाजी में निर्णय या पक्षपातपूर्ण निर्णय ले सकता है।
- यूएपीए में नए बदलाव के तहत एनआईए के पास असीमित अधिकार आ जाएंगे। वह आतंकी गतिविधियों में शक के आधार पर लोगों को उठा सकेगी, साथ ही संगठनों को आतंकी संगठन घोषित कर उन पर कार्रवाई कर सकती है। इससे इस कानून के दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ सकती है।
- वर्तमान में यूएपीए की धारा 43 के अध्याय IV और अध्याय VI के अनुसार डीएसपी या समकक्ष पद से नीचे के अधिकारी इस कानून के तहत अपराधों की जाँच कर सकते हैं। परंतु एनआईए में पर्याप्त डीएसपी की तैनाती नहीं है और इसके समक्ष आने वाले मामलों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है।

आगे की राह

- हाल ही में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) के कानून बन जाने से इस पर पक्ष और विपक्ष के मध्य काफी मतभेद देखा गया। हालांकि परिवर्तन यदि समाज और राष्ट्रहित में हो तो वह जरूरी हो जाता है। यदि बात देश की सुरक्षा की हो तो वह और भी लाज़मी हो जाता है। इन्हीं सब बातों के कारण यूएपीए (UAPA) में सरकार के द्वारा संशोधन किया गया है।■

7. जनसंख्या पर नियंत्रण : भारत के लिए बड़ी चुनौती

प्र. हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बढ़ती जनसंख्या पर चिंता प्रकट की गयी। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए प्रमुख सुझावों को रेखांकित करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- 73वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2019) के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक सर्वप्रमुख बात कही।

पृष्ठभूमि

- यदि भारत की जनसंख्या को देखें तो यह लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। इस क्रम में सन 1951 में भारत की आबादी 36.6 करोड़ थी जो आज बढ़कर 1 अरब से अधिक हो गई है। आज का समाज भौतिक क्षेत्र में विकास कर रहा है। जीवन-क्रम द्रुतगति से बदलता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के भी अधिकाधिक उपयोग से जीवन स्तर तो बढ़ रहा है, फिर भी जनसंख्या का संतुलन और उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। उल्लेखनीय है कि अर्थशास्त्र के नियमानुसार, जीवन-स्तर के उच्च होने पर जनसंख्या घटती है।

वर्तमान परिदृश्य

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने 'स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2018' की रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2010 से 2019 के बीच दुनिया में जनसंख्या वृद्धि दर औसत 1.1 फीसदी रही। वहीं भारत की जनसंख्या हर साल 1.2 फीसदी की दर से बढ़ी है, जबकि इसी दौरान चीन में सालाना जनसंख्या वृद्धि दर 0.5 फीसदी रही। भारत का जनसंख्या बढ़ने का आँकड़ा चीन से दोगुना से अधिक है। जिस गति से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उसके मुताबिक 2027 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। वहीं, 2030 तक भारत की जनसंख्या 1.5 अरब हो जाएगी।

जनसंख्या का नियंत्रण आवश्यक क्यों

- आबादी की बढ़ती दर कई समस्याओं का कारण है। विकासशील देश विकसित देशों के स्तर तक पहुँचने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन इन देशों में जनसंख्या में हो रही तेजी से वृद्धि इस दिशा में मुख्य बाधा उत्पन्न कर रही है। बढ़ती आबादी के कारण बेरोजगारी की समस्या उच्चतम स्तर पर है। नौकरियों की तलाश में कई लोग लगे हैं लेकिन रिक्तियाँ सीमित हैं। बेरोजगारी गरीबी का एक सर्वप्रमुख कारण है।

भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण

- पारिवार नियोजन की कमी, बाल विवाह, शिक्षा की कमी, धार्मिक कारण, गरीबी, मानसिकता की समस्या इत्यादि।

जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव

- प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता बोझ, गरीबी में वृद्धि, अमीरी-गरीबी का अंतर, जनसंख्या प्रवास इत्यादि।

सरकारी प्रयास

- न्यूनतम विवाहयोग्य आयु, दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना, शिक्षा, परिवार नियोजन, सख्त मॉनिटरिंग इत्यादि।

आगे की राह

- भारत में बढ़ती आबादी गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने इस पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ कदम उठाए हैं लेकिन ये नियंत्रण पर्याप्त प्रभावी नहीं हैं। इस मुद्दे को रोकने के लिए कई अन्य उपाय किए जाने की आवश्यकता है। लोगों को परिवार नियोजन के महत्त्व को समझना चाहिए। यह न केवल उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण तथा बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेगा बल्कि अपने देश के समग्र विकास में भी मदद करेगा। ■

मासिक ब्रेन बूस्टर्स

विधान परिषद्

विधान परिषद क्या है

2.1 संविधान का भाग 6, अनुच्छेद 168-212 राज्यों के विधानमंडल के बारे में है। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दो सदनों से व अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा।

2.2 कई मामलों में विधान-परिषद् की संरचना, राज्यसभा जैसा ही दिखती है, पर परिषदों की विधायी शक्ति सीमित है।

2.3 अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है।

2.4 इसके लिए उस राज्य की विधान सभा द्वारा इस आशय का संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।

2.5 इस प्रकार विधान परिषद् ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है किन्तु विघटित नहीं किया जा सकता है।

विधान परिषद का गठन

3.1 अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की रचना या गठन के बारे में है, इसमें कहा गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई (1/3) से अधिक नहीं होगी।

3.2 किन्तु किसी विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी।

3.3 अनुच्छेद 171(3) के अनुसार विधान परिषद् के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। विधान परिषद् के सदस्यों का निर्धारण इस प्रकार होगा:

3.3.1 एक तिहाई (1/3) सदस्य स्थानीय निकायों, जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं।

3.3.2 1/12 सदस्य उन शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के भीतर माध्यमिक विद्यालयों या इससे उच्च शिक्षण संस्थाओं में कम से कम तीन वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे हों।

3.3.3 1/12 सदस्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुना जाएगा जो कम से कम तीन वर्ष से किसी विश्वविद्यालय से स्नातक हों अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा स्नातक के तुल्य मान लिये गये हों।

3.3.4 1/3 सदस्यों का चुनाव विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

3.3.5 विधान परिषद् के शेष सदस्य अर्थात् कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग सदस्य, राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत किये जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, अथवा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

चर्चा का कारण

1.1 मध्य प्रदेश में लंबे समय से विधान परिषद् की माँग की जा रही है। इस सन्दर्भ में संसदीय कार्य विभाग ने विधान परिषद् के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

1.2 संसदीय कार्य विभाग कानूनी सलाहकारों से चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देगा। विधान परिषद् में 76 सदस्य होंगे।

विधान परिषद की अवधि

4.1 विधान परिषद् एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती, बल्कि इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर उतने ही नये सदस्य निर्वाचित कर लिये जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधान परिषद् का सदस्य रहता है।

वर्तमान में विधान परिषद्

5.1 जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के पास होने के बाद भारत में विधान परिषदों की संख्या घटकर 6 हो गई है।

5.2 फिलहाल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद् मौजूद हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक, 2019

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में लोकसभा ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिये ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 पारित किया है।

1.2 यह विधेयक इन व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराता है।

पृष्ठभूमि

2.1 ट्रांसजेंडर समुदाय देश में अंतिम पंक्तियों में खड़े समुदायों में से एक है क्योंकि यह समुदाय पुरुष और महिला जेंडर की श्रेणियों में कहीं फिट नहीं होता है।

विधेयक के प्रमुख बिंदु

3.1 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार से लेकर भेदभाव, शिक्षा सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

3.2 ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक, 2019 एक प्रगतिशील विधेयक है क्योंकि यह ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाएगा।

प्रमुख मुद्दे

4.1 सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि अपने लिंग की स्वयं पहचान करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और स्वायत्तता के अधिकार का ही एक हिस्सा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की हकदारी की पात्रता साबित करनी है तो उस व्यक्ति के लिंग को निर्धारित करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड की जरूरत पड़ सकती है।

4.2 इस विधेयक में कहा गया है कि एक व्यक्ति को 'स्वयं अनुभव की गई' लिंग पहचान का अधिकार होगा। लेकिन वह ऐसे किसी अधिकार को अमल में लाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं करता।

4.3 जिला स्क्रीनिंग कमिटी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान से जुड़े सर्टिफिकेट जारी करेगी।

4.4 इस विधेयक में 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों' की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और भारत के विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृत की गई परिभाषा से भिन्न है।

4.5 वर्तमान में देश में जितने भी आपराधिक और व्यक्तिगत कानून हैं, उनमें 'पुरुष' और 'महिला' के लिंगों को मान्यता दी गई है।

प्रभाव

5.1 इस विधेयक से हाशिए पर खड़े इस वर्ग के विरुद्ध लांछन, भेदभाव और दुर्व्यवहार कम होने और इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने से अनेक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ पहुँचेगा।

5.2 इससे समग्रता को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज के उपयोगी सदस्य बन जाएंगे।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा

6.1 इस विधेयक में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो कि (i) न तो पूरी तरह से महिला है और न ही पुरुष, (ii) महिला और पुरुष, दोनों का संयोजन है, या (iii) न तो महिला है और न ही पुरुष। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति का लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता और जिसमें ट्रांस-मेन (परा-पुरुष), ट्रांस-विमेन (परा-स्त्री) और इंटरसेक्स भिन्नताओं और लिंग विलक्षणताओं वाले व्यक्ति भी आते हैं।

राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद

7.1 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित नीतियों और विधानों पर केंद्र सरकार को परामर्श देने के लिए एक राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद (एनसीटी) का गठन किया जाएगा। यह परिषद सरकारी नीतियों की निगरानी और मूल्यांकन करेगी।

7.2 एनसीटी में निम्नलिखित के प्रतिनिधि शामिल होंगे : (i) सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, (ii) नीति आयोग, (iii) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग (iv) राज्य सरकार, (v) ट्रांसजेंडर समुदाय के नामित सदस्य और (vi) गैर सरकारी संगठनों के विशेषज्ञ।

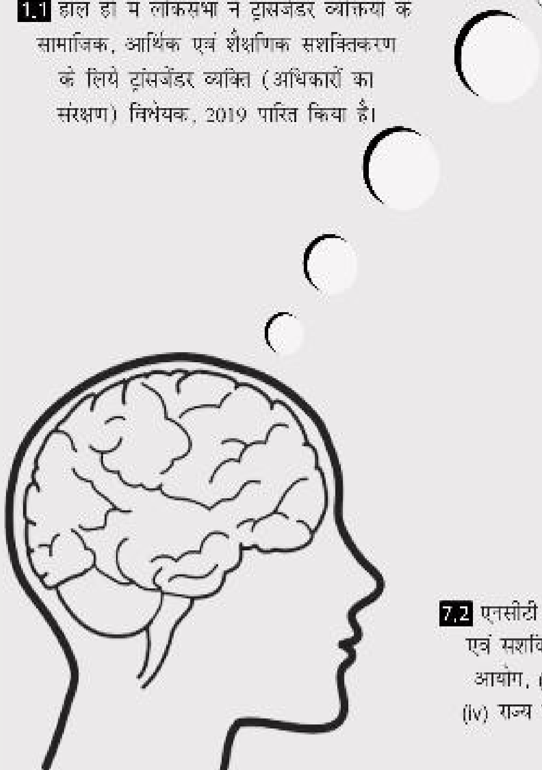

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ है, इसलिए वहां पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को भी नए सिरे से तय किया जाएगा।

परिसीमन क्या है

2.1 परिसीमन से तात्पर्य किसी भी राज्य की लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं (राजनीतिक) का रेखांकन है अर्थात इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमायें तय की जाती हैं।

2.2 परिसीमन आयोग के काम को संविधान के अनुच्छेद 82 में परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 82 के मुताबिक 10 साल में जब एक बार जनगणना होगी, तो उसके बाद परिसीमन किया जाएगा।

2.3 संविधान के 84वें संशोधन के मुताबिक 2026 के बाद जब पहली जनगणना होगी और उसके आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे, तो उसके बाद ही लोकसभा का परिसीमन किया जाएगा और जब तक ऐसा नहीं होता है लोकसभा का परिसीमन 1971 की जनगणना के मुताबिक ही होगा।

2.4 वहीं राज्यों की विधानसभाओं का परिसीमन 2001 की जनगणना के मुताबिक होगा।

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की क्या है जरूरत

3.1 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू संभाग की जनसँख्या लगभग 54 लाख है, जो कि राज्य की 43% आबादी है। जम्मू संभाग 26,200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यानी राज्य का लगभग 26% क्षेत्रफल जम्मू संभाग के अंतर्गत आता है जबकि यहां विधानसभा की कुल 37 सीटें हैं।

3.2 कश्मीर संभाग की जनसंख्या 68.88 लाख है, जो राज्य की जनसँख्या का 55% हिस्सा है। कश्मीर संभाग का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल लगभग 16% प्रतिशत है जबकि इस क्षेत्र से कुल 46 विधायक चुने जाते हैं।

3.3 कश्मीर में 349 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर एक विधानसभा है, जबकि जम्मू में 710 वर्ग किलोमीटर पर, 58.33% क्षेत्रफल वाले लद्दाख संभाग में केवल 4 विधानसभा सीटे हैं।

3.4 फिलहाल जम्मू-कश्मीर राज्य के हिस्से में कुल 111 विधानसभाएं हैं। इनमें से 83 सीटें जम्मू-कश्मीर की हैं। इसके अलावा 24 और सीटें पाक अधिकृत कश्मीर की हैं।

3.5 अकेले जम्मू में 37 और कश्मीर में 46 विधानसभा की सीटें हैं। जब भी जम्मू-कश्मीर में चुनाव होता है, तो सिर्फ 87 सीटों पर ही चुनाव होता है।

3.6 पाक अधिकृत कश्मीर की सीटों पर चुनाव नहीं होता है और जम्मू-कश्मीर में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए होती हैं।

भारत में परिसीमन का इतिहास

4.1 परिसीमन आयोग का गठन 1952 में किया गया था। इसका एक और नाम भारतीय सीमा आयोग भी है। इसका काम राज्य की विधानसभाओं और केंद्र की लोकसभा सीटों की राजनीतिक सीमाओं का रेखांकन करना है।

4.2 परिसीमन आयोग सीटों की संख्या में बदलाव नहीं कर सकता है बल्कि परिसीमन आयोग इतना करता है कि वो जनगणना के हिसाब से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या आरक्षित करता है।

4.3 आखिरी परिसीमन आयोग का गठन 12 जुलाई, 2002 को किया गया था। कर्नाटक पहला राज्य था, जिसमें परिसीमन आयोग, 2002 की सिफारिशों के आधार पर विधानसभा चुनाव हुए थे।

4.4 परिसीमन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। परिसीमन आयोग अपनी सिफारिशों को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में भेजता है, जहां उन सिफारिशों को मंजूरी मिल जाती है।

परिसीमन होने पर क्या बदलाव होंगे

5.1 जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में ये प्रस्ताव है कि जब लद्दाख जम्मू-कश्मीर से अलग हो जाएगा, तो उसकी चार सीटें कम हो जाएंगी। अकेले जम्मू-कश्मीर में कुल 107 सीटें रह जाएंगी।

5.2 जब पुनर्गठन होगा तो सीटों की संख्या को 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया जाएगा। ये परिसीमन 2011 की जनगणना के हिसाब से होगा और 2026 तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और जब ऐसा होगा, तो जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को 58 सीटें चाहिए होंगी।

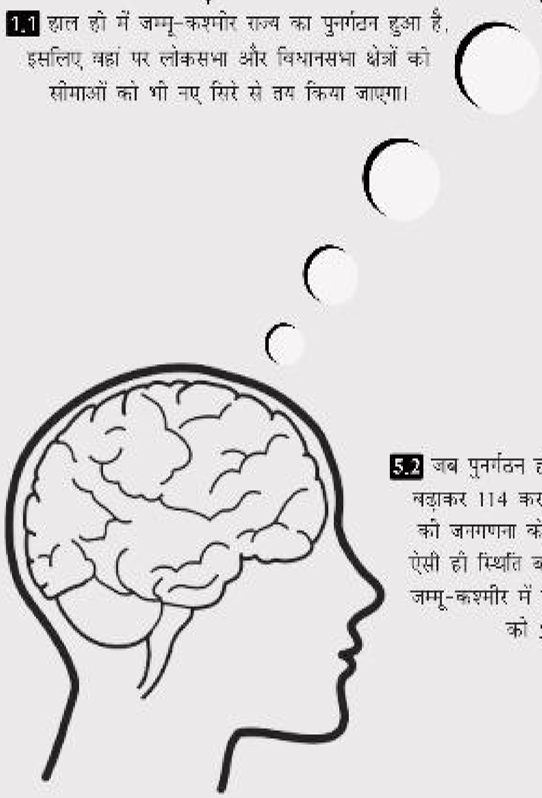

भारत की परमाणु नीति

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की नीति पर अभी भी कायम है लेकिन भविष्य में क्या होता है यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

1.2 गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त किये जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। ऐसे में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर भारतीय रक्षा मंत्री का ताजा बयान आना एक महत्वपूर्ण बात है।

पृष्ठभूमि

2.1 भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी के शासनकाल में किया था। इस परमाणु परीक्षण का नाम "स्माइलिंग बुद्धा" था इसके बाद भारत ने दूसरा परीक्षण मई 1998 में पोखरण परीक्षण रेंज में किये जो पाँच परमाणु बम परीक्षणों की शृंखला का एक हिस्सा था।

2.2 इन परीक्षणों के कारण विश्व समुदाय ने भारत के ऊपर कई तरह के प्रतिबन्ध लगाये थे लेकिन बाद में उन्हें यह सारे प्रतिबन्ध हटानी पड़ गई क्योंकि इसके कुछ समय बाद ही भारत ने अपनी परमाणु नीति में यह घोषणा की और कहा कि हम अपने परमाणु हथियारों को किसी देश के खिलाफ "पहले इस्तेमाल" नहीं करेंगे जो कि भारत की परमाणु नीति का हिस्सा है।

परमाणु नीति के प्रमुख बिंदु

3.1 भारत ने 2003 में अपनी परमाणु नीति घोषित की जिसमें सुरक्षा के लिये न्यूनतम परमाणु क्षमता के विकास की बात कही गई।

3.2 भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत- नो फर्स्ट यूज है। जो भारत को सारी दुनियां से अलग बनाता है। इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता।

3.3 जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं हैं उन देशों के खिलाफ भारत अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त रखेगा कि दुश्मन के मन में भय बना रहे।

3.4 दुश्मन के खिलाफ परमाणु हमले की कार्यवाही करने के अधिकार सिर्फ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों अर्थात देश के राजनीतिक नेतृत्व को ही होगा हालाँकि परमाणु कमांड अथॉरिटी का सहयोग जरूरी होगा।

3.5 यदि भारत के खिलाफ या भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई रासायनिक या जैविक हमला होता है तो भारत इसके जवाब में परमाणु हमले का विकल्प खुला रखेगा।

3.6 परमाणु एवं प्रक्षेपात्र सम्बन्धी सामग्री तथा प्रौद्योगिकी के निर्यात पर कड़ा नियंत्रण जारी रहेगा तथा परमाणु परीक्षणों पर रोक जारी रहेगी।

3.7 भारत परमाणु मुक्त विश्व बनाने की वैश्विक पहल का समर्थन करता रहेगा तथा भेदभाव मुक्त परमाणु निःशस्त्रीकरण के विचार को आगे बढ़ाएगा।

भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

4.1 परमाणु रिएक्टरों की संख्या के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत 2024 तक 14.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जबकि वर्ष 2032 तक बिजली उत्पादन की यह क्षमता 63 गीगावाट हो जाएगी।

4.2 भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2050 तक देश के 25% बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का ही योगदान हो।

परमाणु नीति में बदलाव के संभावित प्रभाव

5.1 भारत की परमाणु हथियारों के पहले प्रयोग की नीति की वजह से परमाणु के शांतिपूर्ण प्रयोग को देखते हुए ही आस्ट्रेलिया और अन्य देश उसे यूरेनियम की आपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन परमाणु नीति में बदलाव का इस पर बहुत असर पड़ेगा।

5.2 पिछले कुछ सालों में भारत ने परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग न करने की नीति अपनाकर दुनिया को यह दिखाया है कि वह आक्रामक देश नहीं है। भारत अगर आक्रामक परमाणु नीति अपनाता है तो उसके काफी नकारात्मक परिणाम होंगे।

5.3 भारत की अमरीका ने पिछले कुछ सालों में काफी मदद की है। उसके साथ भारत ने साल 2008 में परमाणु समझौता भी किया था। अगर भारत अपनी नीति में बदलाव करता है, तो उसका परमाणु समझौते पर बुरा असर पड़ेगा।

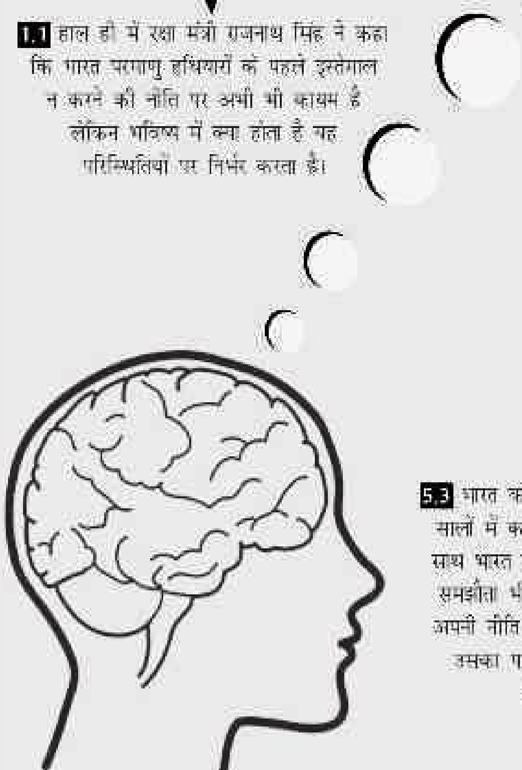

ओकजोकुल ग्लेशियर

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण आइसलैंड के ग्लेशियर 'ओकजोकुल' ने अपनी पहचान खो दी है। अपना अस्तित्व खोने वाला यह दुनिया का पहला ग्लेशियर बन गया।

ओकजोकुल ग्लेशियर

2.1 700 साल पुराना यह ग्लेशियर आइसलैंड देश के सबसे प्राचीन ग्लेशियरों में से एक था। 2014 में इस ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया क्योंकि यह पूरी तरह पिघल चुका था।

2.2 बढ़ती ग्रीनहाउस गैस के कारण वायुमंडल गरमा रहा है। यही कारण है कि ग्लेशियर अपना अस्तित्व खो रहे हैं, पिछले मई में वायुमंडल में मापे गए कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 415 पीपीएम था जो कि अपने रिकॉर्ड स्तर पर है।

2.3 आइसलैंड में प्रति वर्ष लगभग 11 बिलियन टन बर्फ पिघल रही है, और वैज्ञानिकों को डर है कि इस देश के 400 से अधिक ग्लेशियर 2200 तक समाप्त हो जाएंगे।

2.4 2017 के आइसलैंड विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, 1890 में ग्लेशियर की बर्फ 16 वर्ग किलोमीटर थी, लेकिन 2012 तक, यह सिर्फ 0.7 वर्ग किलोमीटर रह गई थी।

269 ग्लेशियर वाला देश है आइसलैंड

3.1 उत्तरी अटलांटिक में स्थित आइसलैंड एक नॉर्डिक द्वीप देश है यहां कुल 269 ग्लेशियर हैं जो इस देश का 11 प्रतिशत हिस्सा घेरते हैं। अब यहां के कई छोटे बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसका कारण दुनिया के दूसरे भागों में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ना है।

3.2 वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से कहते आ रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक गर्मी के चलते दुनिया के सभी ग्लेशियर (हिम चट्टानें) पिघलते जा रहे हैं।

3.3 ओकजोकुल का अस्तित्वहीन हो जाना भविष्य में आने वाले खतरों की शुरूआत है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने तो भविष्य में आइसलैण्ड के 400 ग्लेशियर्स के इसी तरह समाप्त हो जाने की चेतावनी दी है। आइसलैण्ड में हर वर्ष 11 बिलियन टन बर्फ पिघल रही है।

हिमालयी ग्लेशियर की स्थिति

4.1 भारत के गढ़वाल क्षेत्र के हिमालय में ग्लेशियर तेजी से पीछे हट रहे हैं, शोधकर्ताओं का मानना है कि अधिकांश मध्य और पूर्वी हिमालयी ग्लेशियर 2035 तक गायब हो सकते हैं।

4.2 ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के अहम संकेतक हैं, साथ ही ग्लेशियर पिघलने से समुद्र के जल का स्तर बढ़ता है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है।

4.3 इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का अनुमान है कि अगर ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन इसी रफ्तार से होता रहा तो 2100 तक विश्व के आधे से अधिक ग्लेशियर पिघल जाएंगे।

4.4 हिमालय के बहुत से ग्लेशियर हर साल दस से बारह मीटर तक पीछे खिसक रहे हैं। जंगलों में लगने वाली आग से निकला धुआँ और कार्बन से ग्लेशियरों पर एक महीन सी काली परत पड़ रही है।

4.5 यह कार्बन हिमालय से निकलने वाली नदियों के पानी के साथ बहकर लोगों तक पहुँच रहा है जो मानव स्वास्थ्य के लिये बहुत बड़ा खतरा है। गर्म हवाओं के कारण इस क्षेत्र की जैवविविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह बेचैन कर देने वाली स्थिति है।

प्रभाव

5.1 ग्लेशियर की स्थिति वैश्विक ताप और जलवायु परिवर्तन के अहम संकेतक हैं। साथ ही ग्लेशियर पिघलने से समुद्र के जल का स्तर बढ़ता है जिससे समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है।

शिलॉन्ग घोषणा पत्र

पृष्ठभूमि

2.1 ई-गवर्नेंस के मुद्दे पर भारत सरकार 1997 से ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऐसे सम्मेलनों का आयोजन करती आ रही है।

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा मेघालय सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने शिलॉन्ग (मेघालय) में ई-गवर्नेंस पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

सम्मलेन की मुख्य बातें

3.1 इस वर्ष सम्मेलन का विषय था- डिजिटल इंडिया: सफलता से उत्कृष्टता। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार हुआ हुआ है जब ई गवर्नेंस के मुद्दे पर राष्ट्रीय सम्मेलन पूर्वोत्तर में आयोजित किया गया है।

3.2 सम्मेलन के दौरान 6 उपविषयों पर चर्चा हुई- भारत उद्यम वास्तुशास्त्र, डिजिटल अवसंरचना, समावेश और क्षमता निर्माण, सचिवालय सुधार, उपयोगकर्ताओं के लिए उभरती तकनीक, राष्ट्रीय ई-शासन सेवा प्रदान आकलन।

3.3 इसके अलावा चार अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई- एक राष्ट्र एक प्लेटफार्म, नवोन्मेशियों तथा उद्योग जगत के साथ जुड़ना, राज्य सरकारों की आईटी पहल।

3.4 ई गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान विषय पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। सम्मेलन ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों उद्यमियों, शोधकर्ताओं को सर्वोत्तम अभ्यासों, आधुनिकतम तकनीक तथा प्रभावी शासन के लिए उनका उपयोग जैसे विषयों पर विचार-विमर्श के लिए एक साझा प्लेटफार्म प्रदान किया।

3.5 भावी ई-शासन के लिए एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने पर विशेष ध्यान दिया गया और सरकार के विजन न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन को हासिल करने का प्रयास किया गया।

घोषणा पत्र की मुख्य बातें

4.1 इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (IndEA) के समयबद्ध क्रियान्वयन को सरकारी सेवाओं को बढ़ावा देकर नागरिकों के अनुभवों को जानना और उनमें सुधार करना।

4.2 देश भर में ई-गवर्नमेंट अनुप्रयोगों को एकीकृत करने के लिए एकल साइन-ऑन को बढ़ावा देकर लागू करना।

4.3 उत्तर-पूर्वी (पूर्वोत्तर) राज्यों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर दूरसंचार कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना।

4.4 सरकार की भूमिका को सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस इनेबलर में बदलते हुए ईज ऑफ लिविंग और ई ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाना।

4.5 उत्तर-पूर्व राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कदम उठाना।

4.6 शिलॉन्ग में एक इलेक्ट्रॉनिक कौशल केन्द्र खोलने की संभावना का पता लगाना।

4.7 ई-ऑफिस के उपयोग को बढ़ावा देना और पूर्वोत्तर राज्यों और जिला स्तर के कार्यालयों में लेस पेपर स्टेट सेक्रेटेरिएट्स की तरफ बढ़ना।

4.8 नागरिक अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए उत्तर पूर्व में ई सेवाओं की डिलीवरी की गुणवत्ता में सुधार लाना। साथ ही भारत को ग्लोबल क्लाउड हब के रूप में विकसित करना।

4.9 ई-गवर्नेंस समाधान खोजने के लिए उभरती हुई तकनीकों को अपनाना, इसके अलावा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना इस घोषणा पत्र में शामिल हैं।

ई-गवर्नेंस क्या है

5.1 ई गवर्नेंस का मतलब सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना जिससे सरकारी कार्यालयों और जनता दोनों के पैसे और समय की बचत हो सके, और बार-बार लोगों को विभिन्न दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े।

5.2 सीधे शब्दों में कहें तो ई-गवर्नेंस के तहत सभी सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे जनता घर बैठे विभिन्न कार्यों के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सके।

सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एनजीओ ग्रीनपीस द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, विश्व में मानवजनित सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता है।

1.2 ग्रीनपीस के अनुसार कोयला जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है और वायु प्रदूषण में इसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है।

भारत में SO_2 हॉटस्पॉट

3.1 ग्रीनपीस द्वारा जारी नासा के आंकड़ों के एक विश्लेषण से पता चलता है कि विश्व के सभी मानवजनित सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) उत्सर्जन के हॉटस्पॉट की तुलना में भारत में 15 प्रतिशत अधिक है।

2.2 SO_2 हॉटस्पॉट का पता ओएमआई (ओजोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रुमेंट) उपग्रह द्वारा लगाया गया था।

2.3 भारत में मुख्य SO_2 उत्सर्जन हॉटस्पॉट मध्य प्रदेश के सिंगरौली, तमिलनाडु के नेवेली और चेन्नई, ओडिशा के तालचेर और झारसुगुडा, छत्तीसगढ़ के कोरबा, गुजरात के कच्छ, तेलंगाना के रामागुंडम और महाराष्ट्र में चंद्रपुर और कोराडी शामिल हैं।

2.4 अध्ययन के मुताबिक, भारत में अधिकतर संयंत्रों में वायु प्रदूषण कम करने हेतु फ्लु-गैस डिसल्फराइजेशन तकनीक का अभाव है।

विश्व में SO_2 हॉटस्पॉट

3.1 नासा के आंकड़ों के मुताबिक, रूस का नोरिल्स्क स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स विश्व में SO_2 उत्सर्जन का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है।

3.2 इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के म्पुमलांगा प्रांत का क्रिएल और ईरान का जागरोज है।

3.3 हालांकि विश्व रैंकिंग के मुताबिक, SO_2 का उत्सर्जन करने में भारत इस सूची में सबसे ऊपर है क्योंकि यहां SO_2 उत्सर्जन के सबसे अधिक हॉटस्पॉट हैं।

सल्फर डाइऑक्साइड क्या है

4.1 सल्फर डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है जो तेजाब की बारिश (एसिड वर्षा), धुंध और स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं के लिए जिम्मेदार पाया गया है।

4.2 सल्फर डाइऑक्साइड जब जल में घुल जाता है तो वह एसिड में बदल जाता है जिससे तेजाब की बारिश का खतरा बढ़ जाता है। यह मुख्यतः बिजली उत्पादन के लिए कोयला जलाने के कारण बनता है।

SO_2 उत्सर्जन प्रभाव

5.1 वायु प्रदूषण में SO_2 उत्सर्जन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वातावरण में SO_2 का सबसे बड़ा स्रोत बिजली संयंत्रों और अन्य औद्योगिक इकायों में जीवाश्म ईंधनों का जलना है। इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण का संबंध सीधा लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है

5.2 विश्व की 91 प्रतिशत आबादी उन इलाकों में रहती है, जहां बाहरी वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की तय सीमा को पार कर चुका है। परिणाम यह है कि प्रत्येक साल 40 लाख से अधिक लोगों की मौत वायु प्रदूषण से हो रही है।

SO_2 उत्सर्जित करने वाले शीर्ष देश

6.1 भारत, रूस, चीन, मेक्सिको, ईरान।

6.2 अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि चीन और भारत विश्व के शीर्ष कोयला उपभोक्ता हैं। कोयले में तीन प्रतिशत तक सल्फर होता है।

6.3 हालिया अध्ययन के परिणामों के मुताबिक चीन में सल्फर के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए किये जा रहे प्रयास कारगर साबित हुए हैं।

SO_2 उत्सर्जन को कैसे नियंत्रित करें

7.1 विशेषज्ञों के अनुसार, प्रदूषण न फैलाने वाले ईंधनों की तरफ जाना चाहिए। इन प्रयासों में प्रदूषण फैलाने वाली संस्थाओं पर जुर्माना, उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारण और उत्सर्जन सीमा को कम करने जैसे कदम शामिल हैं।

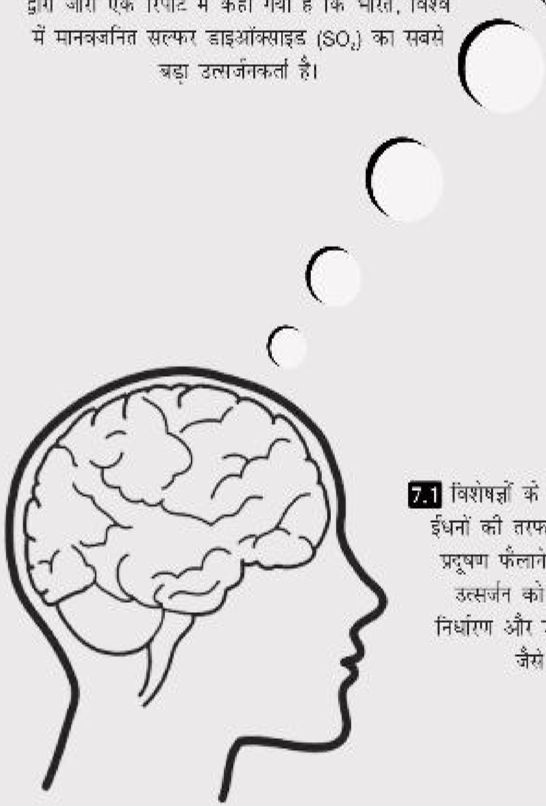

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. विधान परिषद्

प्र. विधान परिषद् के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. विधान परिषद् एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती।
2. राज्यपाल विधान परिषद् के कुल सदस्य संख्या के 1/12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।
3. अनुच्छेद 69 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद् को स्थापित या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः संविधान का भाग 6, अनुच्छेद 168-212 राज्यों के विधानमंडल के बारे में है। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दो सदनों से व अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद् को स्थापित या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। विधान परिषद् एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती, बल्कि इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर उतने ही नये सदस्य निर्वाचित कर लिये जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधान परिषद् का सदस्य रहता है। राज्य विधान परिषद् के कुल सदस्यों में 1/6 भाग सदस्यों को ही मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार कथन 1 सही जबकि कथन 2 और 3 गलत हैं। ■

2. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक, 2019

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ट्रांसजेंडर समुदाय देश में अंतिम पंक्तियों में खड़े समुदायों में से एक है क्योंकि यह समुदाय पुरुष और महिला जेंडर की श्रेणियों में कहीं फिट नहीं होता है।
2. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक, 2019 एक प्रगतिशील विधेयक है क्योंकि यह ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाएगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में लोकसभा ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिये ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 पारित किया है। यह विधेयक इन व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराता है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

3. जम्मू-कश्मीर में परिसीमन

प्र. परिसीमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. परिसीमन से तात्पर्य किसी भी राज्य की लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं (राजनीतिक) का रेखांकन है अर्थात इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमायें तय की जाती हैं।
2. परिसीमन आयोग के कार्य को संविधान के अनुच्छेद 182 में परिभाषित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ है, इसलिए वहाँ पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को भी नए सिरे से तय किया जाएगा। परिसीमन से तात्पर्य किसी भी राज्य की लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं (राजनीतिक) का रेखांकन है अर्थात इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमायें तय की जाती हैं। परिसीमन आयोग के काम को संविधान के अनुच्छेद 82 में परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 82 के मुताबिक 10 साल में जब एक बार जनगणना होगी, तो उसके बाद परिसीमन किया जाएगा। संविधान के 84वें संशोधन के मुताबिक 2026 के बाद जब पहली जनगणना होगी और उसके आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे, तो उसके बाद ही लोकसभा का परिसीमन किया जाएगा और जब तक ऐसा नहीं होता है लोकसभा का परिसीमन 1971 की जनगणना के मुताबिक ही होगा। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। ■

4. भारत की परमाणु नीति

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2050 तक देश के 25% बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का ही योगदान हो।
2. जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं हैं उन देशों के खिलाफ भारत अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त रखेगा कि दुश्मन के मन में भय बना रहे।
3. यदि भारत के खिलाफ या भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई रासायनिक या जैविक हमला होता है तो भारत इसके जबाब में परमाणु हमले का विकल्प खुला रखेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः भारत ने 2003 में अपनी परमाणु नीति घोषित की जिसमें सुरक्षा के लिये न्यूनतम परमाणु क्षमता के विकास की बात कही गई। भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत- नो फर्स्ट यूज है जो भारत को सारी दुनिया से अलग बनाता है। इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं। ■

5. ओकजोकुल ग्लेशियर

प्र. ओकजोकुल ग्लेशियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण आइसलैंड के ग्लेशियर 'ओकजोकुल' ने अपनी पहचान खो दी है। अपना अस्तित्व खोने वाला यह दुनिया का पहला ग्लेशियर बन गया।
2. ग्लेशियर की स्थिति वैश्विक ताप और जलवायु परिवर्तन के अहम संकेतक हैं। साथ ही ग्लेशियर पिघलने से समुद्र के जल का स्तर बढ़ता है जिससे समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः 700 साल पुराना यह ग्लेशियर आइसलैंड देश के सबसे प्राचीन ग्लेशियरों में से एक था। 2014 में इस ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया क्योंकि यह पूरी तरह पिघल चुका था। बढ़ती ग्रीनहाऊस गैस के कारण वायुमंडल गरमा रहा है। यही कारण है कि ग्लेशियर अपना अस्तित्व खो रहे हैं, पिछले मई में वायुमंडल में मापे गए कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 415 पीपीएम था जो कि अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

6. शिलॉन्ग घोषणा पत्र

प्र. शिलॉन्ग घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ई-ऑफिस के उपयोग को बढ़ावा देना और पूर्वोत्तर राज्यों और जिला स्तर के कार्यालयों में लेस पेपर स्टेट सेक्रेटेरिएट्स की तरफ बढ़ना।
2. ई-गवर्नेंस समाधान खोजने के लिए उभरती हुई तकनीकों को अपनाना, इसके अलावा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना इस घोषणा पत्र में शामिल हैं।
3. उत्तर-पूर्वी (पूर्वोत्तर) राज्यों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर दूरसंचार कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा मेघालय सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने शिलॉन्ग (मेघालय) में ई-गवर्नेंस पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। ई-गवर्नेंस का मतलब सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना जिससे सरकारी कार्यालयों और जनता दोनों के पैसे और समय की बचत हो सके, और बार-बार लोगों को विभिन्न दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं। ■

7. सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत विश्व में मानवजनित सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता है।
2. सल्फर डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है जो तेजाब की बारिश (एसिड वर्षा), धुंध और स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं के लिए जिम्मेदार पाया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः हाल ही में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एनजीओ ग्रीनपीस द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, विश्व में मानवजनित सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता है। ग्रीनपीस के अनुसार कोयला जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है और वायु प्रदूषण में इसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में जिस राज्य सरकार ने निर्धन लोगों के लिए 'महात्मा गाँधी सरबत सेहत बीमा योजना' लॉन्च की है।

   –पंजाब

2. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण 14% से बढ़ाकर जितने प्रतिशत करने का घोषणा की है।

   –27 प्रतिशत

3. वह राज्य सरकार जिसने 9 साल की लड़की एलंगबाम वैलेंटिना को राज्य का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया है।

   –मणिपुर

4. हाल ही में जिस देश ने भारत के लिये कार्य–वीजा नियमों को आसान करने का आश्वासन दिया है।

   –न्यूजीलैंड

5. दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए जो देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप (Scrap) आयातक बन गया है।

   –भारत

6. वह देश जिसने भारत को मादक पदार्थों/द्रव्य के पारगमन (Drug Transit) या अवैध मादक पदार्थों के उत्पादक देशों की सूची में शामिल किया है।

   –अमेरिका

7. हाल ही में जिस सरकार ने राज्य के स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है।

   –आंध्र प्रदेश

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. डेटा वर्ल्ड की महत्ता का वर्णन करते हुए समस्याओं व समाधान को भी रेखांकित करें।

2. भारत में न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान में देरी के कारणों का वर्णन करते हुए उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करें।

3. भारत में न्यूनतम मजदूरी प्रणाली की आवश्यकता का वर्णन करते हुए बताएँ कि इसके समक्ष कौन सी समस्याएँ विद्यमान हैं?

4. भारत एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के बीच वस्तु एवं सेवा मुक्त व्यापार समझौता का क्रमिक विकास हुआ है। विश्लेषण कीजिए।

5. भारत में सतत जल आपूर्ति को किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है?

6. स्वच्छ भारत से सुंदर भारत की ओर किस प्रकार बढ़ा जा सकता है? उदाहरण सहित वर्णन करें।

7. कई दशकों से भारत में कुपोषण एक अहम मुद्दा रहा है। ऐसे कौन से कारक रहे हैं जिस कारण इससे निजात अभी तक नहीं मिल पायी है?

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. जल जीवन मिशन

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 'जल जीवन मिशन' की घोषणा की। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है। इस मिशन के तहत हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आगे आने और जल संसाधनों के संरक्षण में योगदान देने का भी आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश में अभी भी लगभग 50 प्रतिशत परिवारों को पाइप के जरिये पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें जल संरक्षण के प्रयासों में अधिक तेजी लानी होगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'जल-जीवन मिशन' के लिए केंद्र और राज्य सरकारें साथ मिलकर काम करेंगे साथ ही जल जीवन मिशन के तहत वर्षा के पानी को रोकने, माइक्रो इरिगेशन व पानी बचाने का अभियान इसमें शामिल है। इसके लिए सामान्य नागरिक को सजग रहना आवश्यक है, साथ ही बच्चों को पानी के महत्ता की शिक्षा दी जानी चाहिए।

जल जीवन मिशन का उद्देश्य

सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिये पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। इससे जल और साफ-सफाई के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य कृषि उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढाँचा तैयार करना भी है।

जल जीवन मिशन के फायदे

घरेलू पाइपलाइन जल आपूर्ति, स्वच्छ और पीने योग्य पानी, भूजल स्तर का पुनर्भरण, बेहतर स्थानीय बुनियादी ढाँचा, कम पानी से होने वाली बीमारियों से छुटकारा, पानी की बर्बादी को रोकना आदि है। ■

2. गोगाबील सामुदायिक रिजर्व

बिहार का 15वाँ संरक्षित क्षेत्र (Protected Area) गोगाबील को हाल ही में बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। यह पुरानी झील देशी ही नहीं विदेशी पक्षियों की भी आरामगाह बन चुकी है। करीब 300 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी हर साल यहां आते हैं। पक्षी अभयारण्य बनने के बाद अब पक्षियों को चाहने वाले लोग यहां आकर इन्हें देख सकेंगे। इस इलाके को 21 मार्च 1990 में सरकार ने निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया था और वर्ष 2000 तक यह निषिद्ध क्षेत्र रहा।

गोगाबील बिहार के कटिहार जिलें में स्थित है जिसके उत्तर में महानंदा और कनखर तथा दक्षिण एवं पूर्व में गंगा नदी है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क द्वारा गोगाबील को वर्ष 1990 में एक बंद क्षेत्र (Closed Area) के रूप में अधिसूचित किया गया था।

इस बंद क्षेत्र (Closed Area) की स्थिति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत संरक्षित क्षेत्र में बदल दिया गया। इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2004 में गोगाबील को बाघार बील और बलदिया चौर सहित भारत का महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया था।

गोगाबील एक स्थायी जल निकाय है, हालाँकि यह गर्मियों में कुछ हद तक सिकुड़ती है लेकिन कभी पूरी तरह से सूखती नहीं है।इस स्थल पर 90 से अधिक पक्षी प्रजातियों को दर्ज किया गया है, जिनमें से लगभग 30 प्रवासी हैं। इस स्थल पर ब्लैक इबिस, एश्ली स्वॉल श्रीके, जंगल बब्बलर, बैंक मैना, रेड मुनिया, उत्तरी लापविंग और स्पॉटबिल डक जैसी अन्य प्रजातियाँ मिलती हैं। ■

3. भारत और चीन के बीच चार समझौतों पर हस्ताक्षर

हाल ही में भारत और चीन ने आपस में सांस्कृतिक संबंधों एवं लोगों के बीच संपर्क को और अधिक मजबूत करने के लिए चार समझौतों पर हस्ताक्षर किये है। सांस्कृतिक संबंधों एवं लोगों के बीच संपर्क पर भारत-चीन उच्च स्तरीय तंत्र की दूसरी बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के शरीक होने के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, स्वास्थ्य सुविधाएं, खेल और संग्रहालय प्रबंधन में सहयोग के क्षेत्र में चार समझौतों पर हस्ताक्षर किये। दोनों

देश सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन और पुरातात्विक धरोहर स्थलों के प्रबंधन को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। जयशंकर और वांग यी ने पारंपरिक औषधि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की अहमियत का जिक्र किया। समझौते में कहा गया है कि दोनों नेता अपने राष्ट्रीय खेल एसोसिएशनों, खिलाड़ियों और युवाओं के बीच आदान प्रदान बढ़ाने पर सहमत हुए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रमों पर सहयोग मजबूत किया जा सके। इसमें कहा गया है कि दोनों नेता वर्ष 2020 के लिए द्विपक्षीय वार्ताओं को लेकर एक कार्य योजना पर भी सहमत हुए।

संग्रहालय प्रबंधन में सहयोगः वुहान स्थित हुबेई प्रांतीय संग्रहालय और नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शनियों, संग्रहणों/संकलनों एवं पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के संरक्षण तथा पुनर्स्थापन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये।

हुबेई प्रांतीय संग्रहालय (Hubei Provincial Museum) चीन के सबसे प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है, जहाँ बड़ी मात्रा में राज्य-स्तरीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अवशेष मौजूद हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय भारत के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। वर्ष 1949 में स्थापित इस संग्रहालय में प्रागैतिहासिक युग से लेकर कला के आधुनिक कार्यों तक के विभिन्न लेख उपलब्ध हैं। कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये चीन की सरकार ने तीर्थयात्रा के विभिन्न पड़ावों पर ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई है अर्थात् स्वागत केंद्र बनाए गए हैं। चीन की सरकार ने इन केंद्रों के निर्माण में 5.21 मिलियन डॉलर खर्च किये हैं। ■

4. प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के लिए 09 अगस्त, 2019 से पंजीयन की शुरुआत हो गई है। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि इस योजना से छोटे व सीमांत किसानों का जीवन बेहतर होगा। यह योजना स्वैच्छिक और योगदान आधारित है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ लाभार्थियों का लक्ष्य इस वर्ष हासिल कर लिया गया है। पीएम किसान योजना के तहत अभी तक 5,88,77,194 तथा 3,40,93,837 किसानों को क्रमशः पहली और दूसरी किस्त प्राप्त हुई है।

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना

- इस योजना में 18 से 40 आयु वर्ग के किसान लाभ उठा सकते हैं।
- इस योजना के तहत 60 साल की आयु के पश्चात किसानों को 3000 रुपये प्रति महीने पेंशन देने का प्रावधान है।
- पीएम किसान मान-धन योजना में किसानों को 55 से 200 रुपये प्रति महीने का योगदान देना होगा।
- योजना से जुड़ने के समय उनकी आयु के आधार पर धनराशि का निर्धारण किया जाएगा। किसान द्वारा दी जाने वाली राशि के बराबर की धनराशि का योगदान केन्द्र सरकार करेगी।
- इस योजना की एक खास बात यह है कि किसान परिवार में पति और पत्नी भी अलग-अलग इसका लाभ उठा सकते हैं।
- इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम को पेंशन कोष का फंड मैनेजर नियुक्त किया गया है। जीवन बीमा निगम ही पेंशन भुगतान के लिए जवाबदेह होगा।
- इस योजना के तहत यदि लाभार्थी कम से कम 5 साल तक नियमित योगदान देते हैं और इसके बाद योजना को छोड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में एलआईसी बैंक की बचत खाता ब्याज दर के आधार पर ब्याज सहित धनराशि का भुगतान करेगी।

इसके अलावा इस योजना के योगदानकर्ता की मृत्यु होने पर उसकी पति/पत्नी शेष योगदान देकर योजना को जारी रख सकते हैं और पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि पति/पत्नी योजना को जारी नहीं रखना चाहते है तो ब्याज सहित कुल योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि पति या पत्नी नहीं है तो नामित व्यक्ति को ब्याज सहित योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि अवकाश प्राप्ति की तारीख के पश्चात लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन धनराशि का 50 प्रतिशत परिवार पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ■

5. आर्कटिक की बर्फ में मिली माइक्रो प्लास्टिक के कण

हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किये गये अध्ययन से पता चला है कि आर्कटिक की बर्फ में काफी ज्यादा प्लास्टिक के महीन कण विद्यमान हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि वातावरण में तथा-कथित माइक्रोप्लास्टिक समाहित हो रहा है और ये धरती के सुदूर इलाकों तक भी पहुंच रहा है। शोधकर्ताओं ने आर्कटिक, उत्तरी जर्मनी, बवेरियन और स्विस आल्प्स तथा हेलिगोलैंड के उत्तरी सागर द्वीप से एकत्र बर्फ की जाँच विशेष रूप से तैयार की गई प्रयोगशाला में की।

वैज्ञानिकों ने कहा कि इसके पहले के अध्ययन में पेरिस, तेहरान, डोंगक्वान और चीन की हवा में माइक्रोप्लास्टिक मिला था। प्लास्टिक के पाँच मिलीमीटर से छोटे कणों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। शोध में यह बात सामने आई कि ये कण गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, धूल और अन्य बारीक कणों की तरह हवा में मिल सकते हैं।

वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक के कण बवेरियन आल्प्स में पाए गए। इसका एक सैंपल जो कि 1 लीटर का था, उसमें 1 लाख 50 हजार से ज्यादा कण मिले। हालांकि आर्कटिक के नमूने कम दूषित थे, लेकिन शोधकर्ताओं ने जिन नमूनों का विश्लेषण किया, उनमें तीसरा सबसे अधिक माइक्रोप्लास्टिक पूर्वी ग्रीनलैंड की फ्रैम स्ट्रेट की बर्फ में था। इसके एक लीटर के सैंपल में 14,000 कण मिले। शोधकर्ताओं ने पाया कि एक लीटर सैंपल में माइक्रोप्लास्टिक का औसत 1800 कण रहा।

नॉर्वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानी मार्टिन वैगनर कहते हैं, शोध कर्ताओं ने जिस तरीके को अपनाया, उस वजह से वे माइक्रोप्लास्टिक की भारी मात्रा का पता लगा पाए। जिन माइक्रोप्लास्टिक कणों की पहचान की गई है, वे 0.011 मिलीमीटर या 11 माइक्रोमीटर के है, यह मानव के बाल से भी पतला है।

जर्मन वैज्ञानिक मेलानी बेर्गमन ने कहा कि अध्ययन में पाए गए माइक्रोप्लास्टिक्स में कारों और जहाजों को कोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रंग-रोगन, टायर के रबर और वस्त्र या पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले सामान के कण मिले हैं। चूंकि सूक्ष्म प्लास्टिक कणों के संचरण को अब तक प्रदूषण का स्रोत नहीं माना गया है इसलिए अब वायु प्रदूषण की निगरानी योजनाओं के तहत इसकी निगरानी की जानी चाहिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब समय आ गया है कि माइक्रो प्लास्टिक से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का गहन चिंतन किया जाय।■

6. सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 और स्वच्छ नगर ऐप लॉन्च किया

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने पांचवें वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 (एसएस 2020)' की शुरूआत की। एसबीएम वॉटर प्लस प्रोटोकॉल एवं टूलकिट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 टूलकिट, स्वच्छ नगर ऐप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त एमएसबीएम ऐप भी शुरू की गईं।

इस साल की शुरूआत में, सरकार ने स्वच्छता पर सेवा स्तरीय प्रदर्शन की निरंतर निगरानी के साथ शहरों के जमीनी प्रदर्शन को बरकरार रखने के मुख्य उद्देश्य के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 (एसएस लीग 2020) की शुरूआत की थी।

स्वच्छ नगर मोबाइल ऐप

यह ऐप मार्ग व वाहन की निगरानी के जरिए ट्रैक करना, नागरिकों को सूचना देना, उपयोगकर्ता शुल्क को ऑनलाइन जमा करना और एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से अपशिष्ट संग्रह पर नजर रखने की सुविधा प्रदान करता है। एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) युक्त एमएसबीएम ऐप को भी प्रारंभ किया गया जो कि एक मोबाइल एप है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने विकसित किया है जो बैकएंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रारूप का उपयोग करते हुए अपलोड की गई फोटो में लाभार्थी के चेहरे और टॉयलट सीट को पहचानने में मदद करती है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020: प्रमुख फोकस क्षेत्र

आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 (एसएस 2020) का शुभारंभ किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के लिए मुख्य फोकस क्षेत्र हैं-

गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग जमा करना और प्रोसेसिंग स्थल तक उसे बनाए रखना, गीले कचरे की प्रसंस्करण सुविधाओं की क्षमता का उपयोग करना, गंदे पानी की सफाई एवं पुन: उपयोग करना, पुनर्चक्रण, ठोस कचरा आधारित वायु प्रदूषण कम करना, अनौपचारिक कचरा बीनने वालों की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना, गंगा नदी के किनारे बसे शहरों का आकलन करना, टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी को जोड़ना इत्यादि। उल्लेखनीय है कि एसएस 2020 से संचालन जनवरी 2020 में किया जाएगा। यह नागरिक सहभागिता के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसका अर्थ है नागरिकों की प्रतिक्रिया के माध्यम से हो या नागरिकों की भागीदारी से जुड़े संकेतक हो। ■

7. यूरोपीय संघ और वियतनाम में मुक्त व्यापार समझौता

हाल ही में यूरोपीय संघ (European Union) ने वियतनाम (Vietnam) के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (free trade agreement) किया। इसके साथ ही दोनों व्यापारिक ब्लॉक के 99 प्रतिशत वस्तु शुल्क रहित हो जाएंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक, हनोई में ईयू की व्यापार आयुक्त सेलसिलिया माल्मस्टॉर्म और वियतनामी उद्योग एवं व्यापार मंत्री त्रान तुआन अन्ह ने समझौते पर दस्तखत किए। मुक्त व्यापार समझौता को लेकर वार्ता के बाद साल 2015 में ही सहमति बन गई थी, लेकिन इसे साढ़े तीन साल बाद अमलीजामा पहनाया गया है। ईयू ने इस समझौते को महत्वाकांक्षी बताया है। इससे वियनाम के निर्यात में 20 प्रतिशत और ईयू के निर्यात में 15.2 प्रतिशत के इजाफा होने की उम्मीद जताई गई है। अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ वियतनाम का सबसे बड़ा आयातक देश है। ईयू वियतनाम से 42.5 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का आयात करता है, जबकि सिर्फ 13.8 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करता है। हालांकि इस समझौते को यूरोपीय संघ की संसद में पारित कराना होगा। इसके मार्ग में एक ही बाधा है कि ईयू के कुछ सांसदों ने इस विकासशील दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के मानवाधिकार रिकार्ड को लेकर चिंता जताई है। वैसे ईयू ने प्रशांत क्षेत्र में विकासशील देश के साथ पहली बार इस तरह का समझौता किया है।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

मुक्त व्यापार समझौते का प्रयोग व्यापार को सरल बनाने के लिये किया जाता है। एफटीए के तहत दो देशों के बीच आयात-निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है। इसका एक बड़ा लाभ यह होता है कि जिन दो देशों के बीच में यह समझौता किया जाता है, उनकी उत्पादन लागत बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है। इसके लाभ को देखते हुए दुनिया भर के बहुत से देश आपस में मुक्त व्यापार समझौता कर रहे हैं। इससे व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इससे वैश्विक व्यापार को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. अध्यापक शिक्षा प्रणाली पर जोर

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 'जर्नी ऑफ टीचर एजुकेशन: लोकल टू ग्लोबल' का उद्घाटन किया। इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के रजत जयंती समारोह के अंतर्गत किया गया है।
- इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि भारत पारंपरिक रूप से शिक्षा और अध्यापन के क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाता रहा है। हजारों साल से भारत के शिक्षक को विश्व गुरू का दर्जा दिया गया है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की उपलब्धियां असाधारण रही हैं। किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र के लिए स्कूली शिक्षा नींव होती है। शिक्षक छात्रों के भविष्य का निर्माण करते हैं और उनमें सकारात्मक सोच की प्रेरणा देते हैं, ताकि वे समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।
- भारत के विकास के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों के कौशल को निरंतर बेहतर बनाया जाए। सरकार ने पूरे देश के 15 लाख स्कूलों की पहचान की है। इसके अलावा 19,000 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की मैपिंग करके गूगल अर्थ पर अपलोड किया गया है। आज भारत में 85 लाख शिक्षक हैं, जो फिनलैंड की आबादी से अधिक है।
- एनसीईटी के चेयरपर्सन डॉ. सतबीर बेदी ने कहा कि शिक्षकों को तैयार करने के लिए अध्यापक शिक्षा प्रणाली उत्तरदायी है। इस सम्मेलन का आयोजन हमारी स्कूल शिक्षा पद्धति को वैश्विक रूझानों से जोड़ने के लिए किया गया है।
- अध्यापक शिक्षा प्रणाली की चुनौतियों तथा इनके समाधान के लिए इस आयोजन ने प्रमुख शिक्षाविदों, विचारकों और प्रशासकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराया है।
- एनसीईटी की स्थापना 17 अगस्त, 1995 को की गई थी। इसका उद्देश्य पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली को विकसित करना तथा संबंधित मानक और नियमों को बनाना था। एनसीटीई केंद्र और राज्य सरकरों के लिए एक परामर्शदात्री संस्थाओं के रूप में कार्य करती है।

2. भारत को जानो कार्यक्रम

- 'भारत को जानो' कार्यक्रम (केआईपी) के अंतर्गत भारत की यात्रा पर आए युवाओं के एक समूह ने कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री से मुलाकात की। यह 'भारत को जानो' कार्यक्रम के तहत 54वां दौरा है। इस समूह में 9 देशों यथा फिजी (07), गुयाना (6), म्यांमार (03), दक्षिण अफ्रीका (02), सूरीनाम (05), त्रिनिदाद और टोबैगो (07), मॉरीशस (07), रीयूनियन द्वीप (01), इजराइल (02) के 40 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें 26 युवतियाँ और 14 युवक हैं। भागीदार राज्य हरियाणा और पंजाब के सहयोग से 54वां भारत को जानो कार्यक्रम 1 अगस्त से 25 अगस्त, 2019 तक चलेगा।
- भारत के बारे में चर्चा करते हुए सरकार ने कहा कि देश ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है। सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और हाल के चंद्रयान-2 मिशन के बारे में युवाओं को जानकारी दी। सरकार ने युवाओं को गगनयान मिशन के बारे में भी बताया, जिसे वर्ष 2022 तक लॉन्च करने की योजना है।
- भारत युवाओं के लिए एक आकर्षक स्थान बन गया है क्योंकि सरकार ने उनके लिए अनेक अवसरों का सृजन किया है।
- देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या 40 वर्ष से कम आयु की है, इसलिए युवा वर्ग भारत का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- भारत को जानो कार्यक्रम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है,जो 18-30 वर्ष आयु वर्ग के भारतवंशी छात्रों और युवा पेशेवरों को साथ जोड़ने और अपनी मातृभूमि से जुड़ाव महसूस कराने तथा भारत में होने वाले परिवर्तन से प्रेरित और अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई।
- केआईपी का उद्देश्य उन्हें समकालीन भारत की कला, विरासत और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने तथा भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं तथा उद्योग, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जलवायु एवं बिजली

व नवीकरणी ऊर्जा आदि जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।

- केआईपी 25-दिन का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जो विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा एक या दो राज्यों की साझेदारी से आयोजित किया जाता है, इसमें साझेदार राज्यों की 10 दिन की यात्रा भी शामिल होती है।
- 2004 से, मंत्रालय ने 1821 प्रवासी भारतीय युवाओं की भागीदारी के साथ केआईपी के 53 दौरों का आयोजन किया है। प्रतिभागियों का चयन विदेशों में भारतीय मिशनों/डाक द्वारा सुझाए गए नामांकन के आधार पर किया जाता है।

3. चार नये उत्पादों को जीआई टैग मिला

- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग ने हाल ही में 4 नये भौगोलिक संकेतकों (जीआई) को पंजीकृत किया है। तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले के पलानी शहर के पलानीपंचामिर्थम, मिजोरम राज्य के तल्लोहपुआन एवं मिजोपुआनचेई और केरल के तिरुर के पान के पत्ते को पंजीकृत जीआई की सूची में शामिल किया गया है।
- जीआई टैग या पहचान उन उत्पादों को दी जाती है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और उनमें वहां की स्थानीय खूबियां अंतर्निहित होती हैं। दरअसल जीआई टैग लगे किसी उत्पाद को खरीदते वक्त ग्राहक उसकी विशिष्टता एवं गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त स्तर रहते हैं।
- तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पलानी शहर की पलानी पहाड़ियों में अवस्थित अरुल्मिगु धान्दयुथापनी स्वामी मंदिर के पीठासीन देवता भगवान धान्दयुथापनी स्वामी के अभिषेक से जुड़े प्रसाद को पलानीपंचामिर्थम कहते हैं।
- इस अत्यंत पावन प्रसाद को एक निश्चित अनुपात में पांच प्राकृतिक पदार्थो यथा केले, गुड़-चीनी, गाय के घी, शहद और इलायची को मिलाकर बनाया जाता है। पहली बार तमिलनाडु के किसी मंदिर के प्रसाद को जीआई टैग दिया गया है।
- तवलोहपुआन मिजोरम का एक भारी, अत्यंत मजबूत एवं उत्कृष्ट वस्त्र है जो तने हुए धागे, बुनाई और जटिल डिजाइन के लिए जाना जाता है। इसे हाथ से बुना जाता है। मिजो भाषा में तवलोह का मतलब एक ऐसी मजबूत चीज होती है जिसे पीछे नहीं खींचा जा सकता है। मिजो समाज में तवलोहपुआन का विशेष महत्व है और इसे पूरे मिजोरम राज्य में तैयार किया जात है। आइजोल और थेनजोल शहर इसके उत्पादन के मुख्य केंद्र हैं।
- मिजोपुआनचेई मिजोरम का एक रंगीन मिजो शॉल/वस्त्र है जिसे मिजो वस्त्रों में सबसे रंगीन वस्त्र माना जाता है। मिजोरम की प्रत्येक महिला का यह एक अनिवार्य वस्त्र है और यह इस राज्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शादी की पोशाक है। मिजोरम में मनाये जाने वाले उत्सव के दौरान होने वाले नृत्य और औपचारिक समारोह में आम तौर पर इस पोशाक का ही उपयोग किया जाता है।
- केरल के तिरुर के पान के पत्ते की खेती मुख्यत: तिरुर, तनूर, तिरुरांगडी, कुट्टिपुरम और मलप्पुरम जिले के वेंगारा प्रखंड की पंचायतों में की जाती है। इसके सेवन से अच्छे स्वाद का अहसास होता है और इसके साथ ही इसमें औषधीय गुण भी हैं। आम तौर पर इसका उपयोग पान मसाला बनाने में किया जाता है और इसके कई औषधीय, सांस्कृतिक एवं औद्योगिक उपयोग भी हैं।
- जीआई टैग वाले उत्पादों से दूरदराज के क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था लाभान्वित होती है, क्योंकि इससे कारीगरों, किसानों, शिल्पकारों और बुनकरों की आमदनी बढ़ती है।

4. कामगारों को कौशल प्रशिक्षण

- 16 राज्यों की सरकारों ने वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना- समर्थ (एससीबीटीएस) को आगे ले जाने के लिए नई दिल्ली में एक समारोह में वस्त्र मंत्रालय के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।
- इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय के साथ साझेदारी करने के लिए 18 राज्यों ने सहमति दी थी। लेकिन जम्मू-कश्मीर और ओडिशा ने भागीदारी नहीं की। शुरूआत में, मंत्रालय ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा नामित एजेंसियों को 3.5 लाख से ज्यादा लक्ष्य आवटित किए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नत प्रौद्योगिकी के आधार पर आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, समर्पित कॉल सेंटर, मोबाइल एप पर आधारित सूचना प्रणाली और ऑनलाइन निगरानी जैसी विशेषताएं शामिल हैं।
- केंद्रीय वस्त्र तथा महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा कि तमिलनाडु और झारखंड जैसे कुछ राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य, उन राज्यों में वस्त्र उद्योग के लिए कुशल कामगारों की आवश्यकता से बहुत कम है। मंत्रालय ने कहा कि वह इन राज्यों से अपने लक्ष्य पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करती हैं। मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि जिन लोगों को इस उद्योग में रोजगार न मिले, उन्हें मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्तीय सेवाओं द्वारा अतिरिक्त लाभ उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वस्त्र क्षेत्र में लगे श्रमिकों में से 75% और मुद्रा ऋण के लाभार्थियों में से 70% महिलाएं हैं। उन्होंने आगे बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों को रेशम और जूट क्षेत्र पर

ध्यान केंद्रित करना चाहिए और समर्थ योजना के तहत कौशल के लक्ष्यों की समीक्षा करनी चाहिए।

- कौशल विकास पर सरकार द्वारा दिए जा रहे व्यापक महत्त्व के तहत वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र क्षेत्र में एक प्रमुख योजना (2010 से 2017) को कार्यान्वित किया है। 2017 तक 15 लाख अतिरिक्त कुशल कामगारों को रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य के साथ कौशल विकास योजना को एकीकृत किया गया है। इस योजना के तहत मार्च, 2018 तक 11.14 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया और 8.41 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया गया।
- मंत्रालय द्वारा तैयार की गई संस्थागत क्षमता तथा उद्योग और राज्य सरकारों के साथ कायम किए गए तालमेल/सहयोग का लाभ उठाने की दृष्टि से आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2017-18 से 2019-20 तक एक नई कौशल विकास योजना 'समर्थ'- वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना (एससीबीटीएस) को स्वीकृति दी। वस्त्रों उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह रोजगारोन्मुख कार्यक्रम है। इस योजना का लक्ष्य 1300 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्र की पूरी मूल्य शृंखला में 2020 तक 10 लाख युवाओं का कौशल विकास करना है।

5. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर जुलाई, 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2.19 फीसदी आंकी गई जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर जुलाई, 2019 में शहरी क्षेत्रों के लिए 4.22 फीसदी रही।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने जुलाई, 2019 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर 2.19 फीसदी (अनंतिम) रही, जो जुलाई 2018 में 4.11 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर जुलाई, 2019 में 4.22 फीसदी (अनंतिम) आंकी गयी, जो जुलाई 2018 में 4.32 फीसदी थी। ये दरें जून 2019 में क्रमश: 2.21 तथा 4.33 फीसदी (अंतिम) थीं।
- केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जुलाई, 2019 के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े भी जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर 0.57 फीसदी (अनंतिम) रही जो जुलाई 2018 में 2.18 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर जुलाई, 2019 में 5.61 फीसदी (अनंतिम) आंकी गई जो जुलाई, 2018 में -0.36 फीसदी थी। ये दरें जून 2019 में क्रमश: 0.43 तथा 5.63 फीसदी (अंतिम) थीं।
- अगर शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर जुलाई, 2019 में 3.15 फीसदी (अनंतिम) आंकी गई है, जो जुलाई 2018 में 4.17 फीसदी (अंतिम) थी। वहीं, सीपीआई पर आधारित महंगाई दर जून 2019 में 3.18 फीसदी (अंतिम) थी। इसी तरह यदि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित महंगाई दर जुलाई, 2019 में 2.36 फीसदी (अनंतिम) रही है, जो जुलाई, 2018 में 1.30 फीसदी (अंतिम) थी। वहीं, सीएफपीआई पर आधारित महंगाई दर जून 2019 में 2.25 फीसदी (अंतिम) थी।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के लिए आधार वर्ष को 2010=100 से संशोधित करके 2012=100 कर दिया है। यह संशोधन जनवरी 2015 के लिए सूचकांकों को जारी किए जाने से प्रभावी किया गया है।

6. पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता

- केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र(एनईआर) के विकास और प्रगति को अत्यधिक महत्त्व दिया है। वे संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित "पूर्वोत्तर युवा और छात्र शांति सभा" को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन वैश्विक शांति संघ(यूपीएफ) के नेतृत्व में यूथ एंड स्टूडेंट फॉर पीस-इंडिया और पूर्वोत्तर सांसद संघ ने किया था।
- केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पहले जहां पूर्वोत्तर भारत को मुख्य धारा में लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था अब पूरे भारत को पूर्वोत्तर के निकट लाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इससे क्षेत्र के विकास और अखंडता में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने दिल्ली और देश के अन्य भागों में पढ़ने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थियो की सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। हाल ही में बंगलुरु विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली पूर्वोत्तर क्षेत्र की छात्राओं के लिए छात्रावास का उद्घाटन किया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले पूर्वोत्तर राज्य के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाने का कार्य शुरू किया गया है। इससे

साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानो में पढ़ने वाले छात्रो के लिए रोहिणी में एक अन्य छात्रावास का निर्माण भी किया जा रहा है।

- केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं से काफी कुछ सीखना बाकी है और वो जीवन के हर क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। पहले विकास के लिए संपर्क एक बाधा हुआ करता था, लेकिन अब सरकार ने रेल, सड़क और वायुसेवा संपर्क को प्राथमिकता दी है। इसने भौगोलिक दूरी कम होने के चलते मनोवैज्ञानिक अवरोध को दूर किया है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने को प्रोत्साहित किया है।
- इससे पूर्व समारोह का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में केंद्रीय युवा मामले और खेल (स्वतंत्र प्रभार) और अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री किरन रीजिजू ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका समाज और इसके कल्याण के प्रति योगदान करना है। इन कार्यक्रमो की सफलता के लिए युवाओं की भागीदारी बहुत आवश्यक है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम समाज के अलग-अलग वर्गो से हैं लेकिन हमें एकजुट रहना होगा और शांति के प्रति प्रयास करने होंगे। श्री रीजिजू ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में और अधिक स्वंय सेवक भेजने होंगे और इसके कार्यक्रमों के प्रति ओर अधिक योगदान करना होगा। युवा समाज के सबसे अहम कड़ी हैं। युवा जनसंख्या हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और हमें उनकी ऊर्जा को उचित दिशा में प्रयोग करना चाहिए।

7. रक्षा क्षेत्र में निजी उद्योग के निवेश को बढ़ावा

- केन्द्रीय रक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में निजी उद्योग के निवेश को बढ़ावा देने और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) एवं आयुध निर्माण बोर्ड (ओएफबी) को सुदृढ़ करने की इच्छुक है। उन्होंने नई दिल्ली में 'रक्षा उद्योग में मेक इन इंडिया' थीम पर आयोजित गोलमेज बैठक में शीर्ष रक्षा एवं एयरोस्पेस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षा कंपनियों के पास निर्यात के अलावा घरेलू बाजार में उल्लेखनीय योगदान करने के भी असीम अवसर हैं।
- रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना करने के लिए रणनीतिक साझेदारी मॉडल को अधिसूचित किया गया है जिनके माध्याम से भारतीय कंपनियाँ एक प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए एक साझेदार का चयन कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) नीति को उदार बना दिया गया है।
- उन्होंने ऑफसेट प्रोसेसिंग का उल्लेख करते हुए कहा कि मंत्रालय ने एक संपूर्ण ऑफसेट प्रोसेसिंग पोर्टल की स्थापना की है जिसके जरिए 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के प्रस्तावों की प्रोसेसिंग की गई। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए प्रवेश संबंधी बाधाएँ कम कर दी गई हैं जिसके परिणामस्वरूप जारी किए गए रक्षा लाइसेंसों की संख्या वर्ष 2014 के 215 से दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर वर्ष 2019 में 440 हो गई है।
- रक्षा मंत्री ने कहा कि एक साल पहले मंत्रालय में स्थापित किए गए रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ ने लगभग 550 प्रश्नों एवं शिकायतों का निराकरण किया है।
- रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों पर प्रकाश डालते हुए केन्द्रीय मंत्री ने उद्योग जगत से मित्र देशों को निर्यात बढ़ाने की दिशा में काम करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि निर्यात प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है और वर्ष 2016 में रक्षा खरीद प्रक्रिया को संशोधित किया गया, ताकि स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके।
- रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी को विकसित किए बगैर रक्षा क्षेत्र में आत्म निर्भरता संभव नहीं हो पाएगी। उन्होंने देश में संबंधित प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं क्योंकि रक्षा क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का योगदान बढ़ता जा रहा है और ऐसी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के मामले में भारत के पास व्यापक क्षमताएँ है जहां स्टार्टअप्स को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।
- उन्होंने कहा कि भारतीय रक्षा उद्योग के उत्पादन ने वर्ष 2018-19 में 80,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा छुआ जिनमें से 16,000 करोड़ रुपये का योगदान निजी क्षेत्र की ओर से था।
- रक्षा मंत्री ने कहा कि रणनीतिक अर्थव्यवस्था से काफी सुदृढ़ता प्राप्त कर रहे मजबूत राजनीतिक नेतृत्व में हमारा राष्ट्र पूरे विश्वास के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया।

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. उर्वरक अनुक्रिया में गिरावट

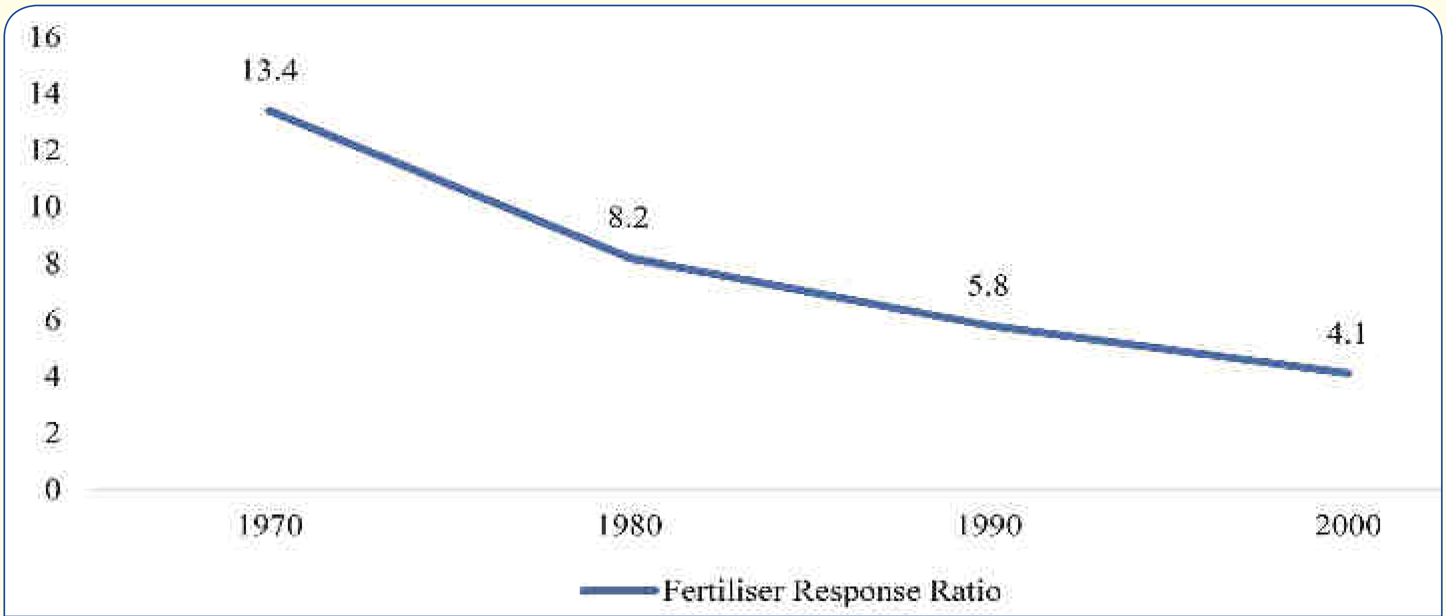

स्रोत: उर्वरक विभाग

महत्वपूर्ण तथ्य

- छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि में उर्वरकों की लागत, लाभ के निर्धारण में मुख्य कारक होता है। भारत में 2002 से 2011 तक उर्वरकों की खपत लगातार बढ़ी तथापि उसके बाद से उर्वरक उपयोगिता कम होती जा रही है।
- मृदा में उर्वरक के प्रदर्शन में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। यह कमी इस बात को दर्शाती है कि भारत में उर्वरक के प्रति मृदा की अनुक्रियाशीलता में कमी आ रही है, अर्थात् पूर्व में जो उर्वरता थोड़े से उर्वरक के डाल देने से प्राप्त की जा सकती थी उसके लिए अब अपेक्षाकृत अधिक उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है।
- उर्वरक विभाग के अनुसार भारतीय मृदा में उर्वरक के खराब प्रदर्शन के ये कारण हैं- भारतीय कृषि में अनुपयुक्त और असंतुलित उपयोग होता है; विभिन्न पोषाहारों के उत्पादन में कमी की प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी हो रही है; संतुलित पादप पोषण के विषय में किसान की जागरूकता में कमी है; फसलों का प्रबंधन उचित ढंग से नहीं किया जाता इत्यादि।
- मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए किसानों को सही उत्पाद, खुराक, अनुप्रयोग समय एवं पद्धति की जानकारी होनी चाहिए। कुछ सुझाए गए उपायों में, मृदा स्वास्थ्य के आधार पर 'खुराक' का इष्टतम प्रयोग, नीम कोटेड यूरिया को प्रोत्साहन, सूक्ष्म पोषकों को प्रोत्साहन, जैविक खादों और जल में घुलनशील खादों को प्रोत्साहन देना शामिल है।
- धारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन का मुख्य उद्देश्य विशेष स्थान/एकीकृत/संयुक्त कृषि को प्रोत्साहन देकर और उपयुक्त मृदा और आर्द्रता संरक्षण उपायों से प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण के माध्यम से कृषि को और अधिक उपजाऊ, निरंतर लाभकारी और जलवायु सुनम्य बनाना है।
- सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के द्वारा देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2018 में पीकेवीवाई योजना के संशोधित दिशा-निर्देशों में, विभिन्न जैविक कृषि मॉडलों जैसे प्राकृतिक खेती, वैदिक खेती, गाय पालन, शून्य बजट प्राकृतिक खेती (जेडबीएनएफ) आदि को शामिल किया गया है, जबकि राज्यों के किसानों को इच्छा अनुसार जैविक खेती का कोई भी मॉडल चुनने की छूट है।

2. भारतीय आईटी बीपीएम उद्योग की बाजार हिस्सेदारी (2017-18)

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय आईटी-बीपीएम उद्योग, 2016-17 में 154 बिलियन अमरीकी डॉलर से 2017-18 में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 167 बिलियन अमरीकी डॉलर (ई-कॉमर्स को छोड़कर परन्तु हार्डवेयर सहित) पर पहुँच गया है।
- इसके 2018-19 में 181 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचने की आशा है।
- आईटी-बीपीएम निर्यात 2017-18 में 7.7 प्रतिशत तक बढ़कर 126 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया और 2018-19 में इसका 136 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जाना अनुमानित है।

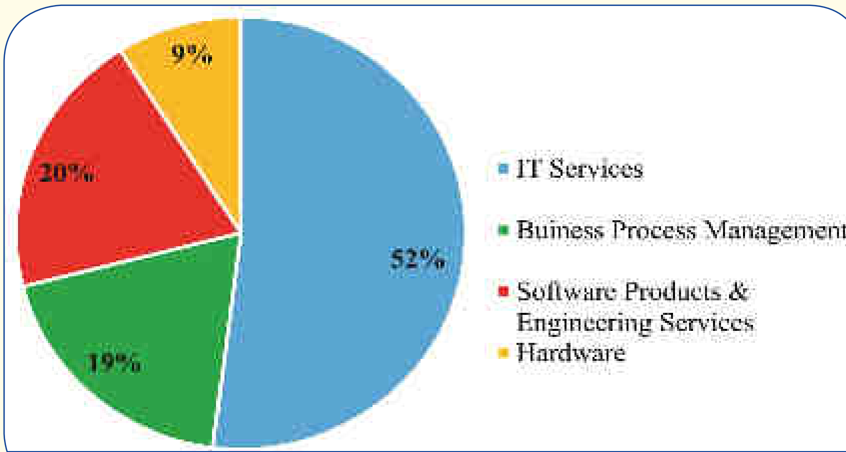

स्रोत: एनएएसएससीओएम 2018

- ई-कॉमर्स बाजार के 12 प्रतिशत की वृद्धि दर पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 43 बिलियन अमरीकी डॉलर रहने की संभावना है। आईटी सेवाएं, लगभग 20 प्रतिशत के साथ बीपीएम द्वारा अनुसरित लगभग 52 प्रतिशत की हिस्सेदारी सहित सबसे बड़ा हिस्सा है। सॉफ्टवेयर उत्पाद तथा इंजीनियरिंग सेवाओं के साथ लगभग 19 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, जबकि हार्डवेयर की 10 प्रतिशत है।
- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आईटी/आईटीईएस) उद्योग ने देश को वैश्विक निवेशकों में एक बेहतर निवेश के लायक बनाने और भारत के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप तथा विश्व के अन्य भागों में बड़े रोजगार अवसर तैयार करने में बहुत अधिक योगदान दिया है।

3. भारत में टीवी की पैठ (2018)

महत्वपूर्ण तथ्य

- चीन के बाद, भारत विश्व में भुगतान-टीवी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद (बीएआरसी)/ईवाई अनुमान के अनुसार, भारत में अनुमानित 29.8 करोड़ परिवारों में से, 2018 में 19.7 करोड़ टीवी वाले परिवारों के साथ देश में टीवी की पैठ 66 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो पिछले प्रसारण भारत सर्वेक्षण 2016 से 7.7 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2018 से 19.7 करोड़ टीवी वाले परिवारों में से, 10.3 करोड़ परिवार केबल सेवाओं द्वारा, 5.6 करोड़ परिवार डाइरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाओं द्वारा कवर किए गए थे और 3.6 करोड़ परिवार दूरदर्शन की स्थलीय प्रसारण सेवाओं पर निर्भर रहते थे।
- फिक्की-ईवाई मीडिया तथा मनोरंजन रिपोर्ट (2019) के अनुसार, टीवी क्षेत्र में राजस्व के 41 प्रतिशत से युक्त विज्ञापन के साथ 2018 में 74000 करोड़ रुपए की पहुंच सहित 12.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि शेष वितरण के संबंध में है।
- वर्तमान में, भारत 906 सैटेलाइट टीवी चैनलों, 1469 बहुप्रणाली ऑपरेटरों (एमएसओ), 60,000 स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ), 6 डीटीएच ऑपरेटर तथा कुछ आईबीटीवी सेवा प्रदाताओं से युक्त विश्व में एक बड़ा प्रसारण तथा वितरण क्षेत्र है। सभी गैर सरकारी सैटेलाइट चैनलों का 43 प्रतिशत खबरिया (न्यूज) चैनल हैं।

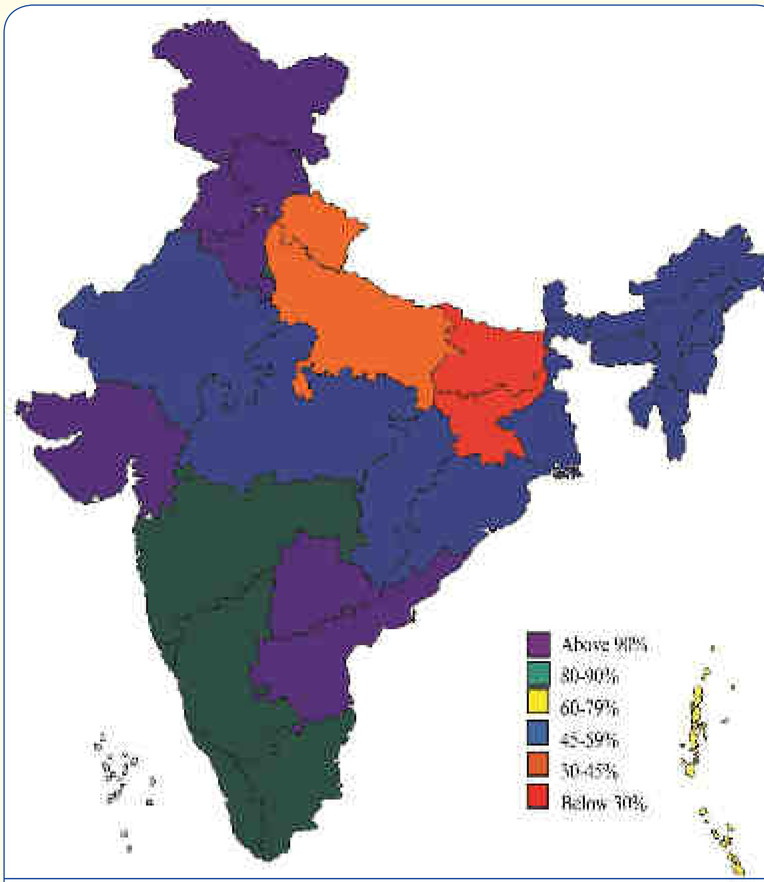

स्रोत: बीएआरसी, 2018

4. मोबाइल कंटेंट की श्रेणीवार खपत (जनवरी-सितंबर, 2018)

महत्वपूर्ण तथ्य

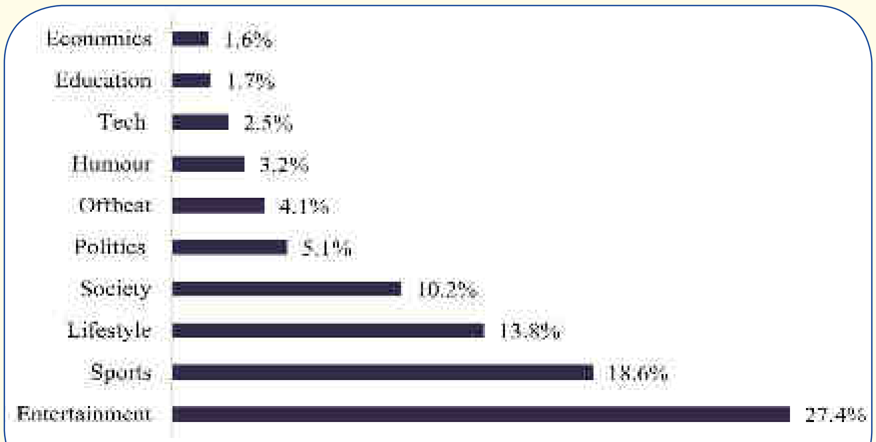

स्रोत: एफआईसीसीआई-ईवाई मीडिया एवं मनोरंजन रिपोर्ट (2019)।

- डिजिटल मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में ऑनलाइन वीडियो दृश्यता, ऑडियो, ओटीटी (Over the Top) प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाचार तथा सोशल मीडिया आदि शामिल हैं।
- फिक्की-एफआईसीसीआई-ईवाई मीडिया एवं मनोरंजन रिपोर्ट (2019) के अनुसार, 2018 में मोबाइल अभिदाताओं की कुल संख्या 1.17 बिलियन है। स्मार्टफोन प्रयोक्ताओं की संख्या 2018 में 39 प्रतिशत बढ़कर 340 मिलियन हो गई है।
- वर्ष 2017 और 2018 के बीच औसत डाटा खपत 4 जीबी से दोगुनी बढ़कर 8 जीबी प्रतिमाह हो गई है।
- इसके अतिरिक्त, डिजिटल मीडिया बाजार 2018 में 42 प्रतिशत बढ़कर 169 बिलियन का हो गया है। दिसंबर, 2017 में 446 मिलियन इंटरनेट अभिदाताओं की संख्या 28 प्रतिशत बढ़कर नवंबर, 2018 में 570 मिलियन हो गई है जिसके अंतर्गत ग्रामीण इंटरनेट अभिदाताओं की संख्या में 49 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह देखते हुए कि विश्व में 4 बिलियन इंटरनेट उपभोक्ता हैं, इस हिसाब से प्रत्येक 8 में से एक भारतीय उपभोक्ता है।
- भारत में यूसी न्यूज फीड प्लेटफॉर्म पर सामग्री खपत की कुल दर के अनुसार, भारतीय प्रयोक्ताओं के लिए मोबाइल सामग्री खपत में मनोरंजन सबसे बड़ी श्रेणी थी, जिसकी खपत 27.4 प्रतिशत थी और इसके बाद खेलकूद (18.6 प्रतिशत) तथा जीवन शैली (13.8 प्रतिशत) का नम्बर आता है।
- सोशल मीडिया की पहुँच 2015 में 11 प्रतिशत की तुलना में 2018 में बढ़कर 17 प्रतिशत हो गई। यूट्यूब, फेसबुक, वाट्सएप और इंस्टाग्राम सबसे अधिक सक्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे।

5. स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत

महत्वपूर्ण तथ्य

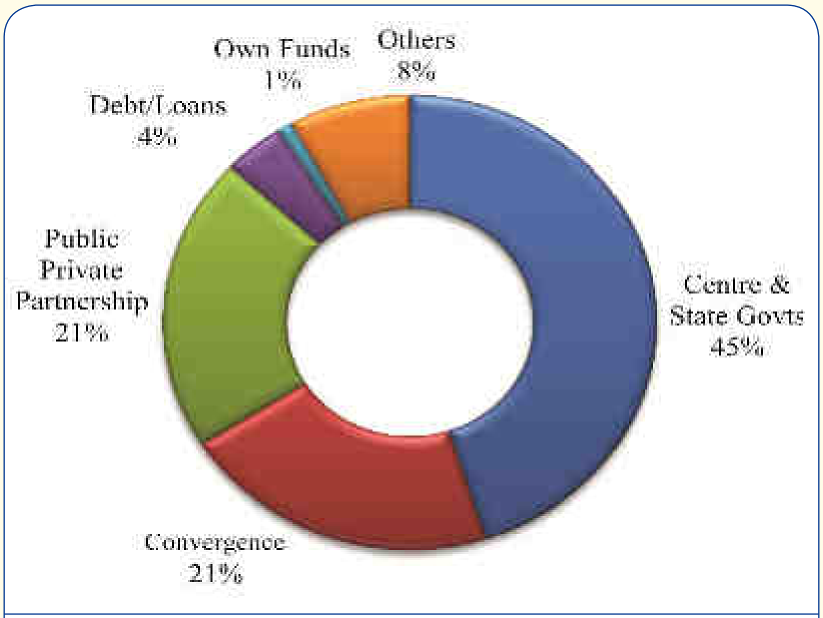

स्रोत: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय।

- स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) जून, 2015 में 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना था जो महत्वपूर्ण अवसंरचना प्रदान करते हैं और इसके नागरिकों को एक शालीन जीवन शैली प्रदान करना था।
- स्मार्ट सिटी पहल के रणनीतिक घटक क्षेत्र आधारित विकास जिसमें शहर का सुधार (रिट्रोफिटिंग), शहर का नवीकरण (पुनर्विकास) और शहर का विस्तार (हरित क्षेत्र विकास) तथा पैन-सिटी विकास शामिल है जिसमें शहर के बड़े हिस्सों को शामिल करते हुए, उत्कृष्ट समाधान लागू किए जाते हैं।
- इस मिशन के अंतर्गत 100 शहरों में इन शहरों के चयन संबंधित तारीख से 5 वर्ष की अवधि में 2,05,018 करोड़ रुपये की लागत की 5,151 परियोजनाओं का निष्पादन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
- इस कार्यक्रम की रूपरेखा में वित्तीय नवाचार शामिल हैं। केंद्र और राज्य सरकारों का योगदान 93,552 करोड़ रुपये (45 प्रतिशत) तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी का योगदान 41,022 करोड़ रुपये (21 प्रतिशत) है।
- स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सभी 100 शहरों को विशेष प्रयोजन व्यवस्था (एसपीवी), शहरी स्तरीय सलाहकार फोरम और नियुक्त परियोजना प्रबंधन परामर्श को (पीएमसी) में शामिल किया गया है।

6. कार्यशील जोतें (भू-खंडों की संख्या और क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

महत्वपूर्ण तथ्य

- कृषि जनगणना 2015-16 के प्रथम चरण के परिणामों के अनुसार कार्यरत कृषि जोतों की संख्या अर्थात कृषि उद्देश्य हेतु उपयोग में लाए जा रहे भू-खंडों की संख्या वर्ष 2010-2011 में 138 मिलियन से बढ़कर 2015-16 में 146 मिलियन हुई है, इस प्रकार से इसमें 5.3 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई है।
- कुल सक्रिय जोतों में सीमांत जोतों (एक हेक्टेयर से कम) का अंश वर्ष 2000-2001 के 62.9 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 68.5 प्रतिशत हुआ है जबकि छोटी जोतों का अंश (एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर) इस अवधि के दौरान 18.9 प्रतिशत से घटकर 17.7 प्रतिशत हुआ।

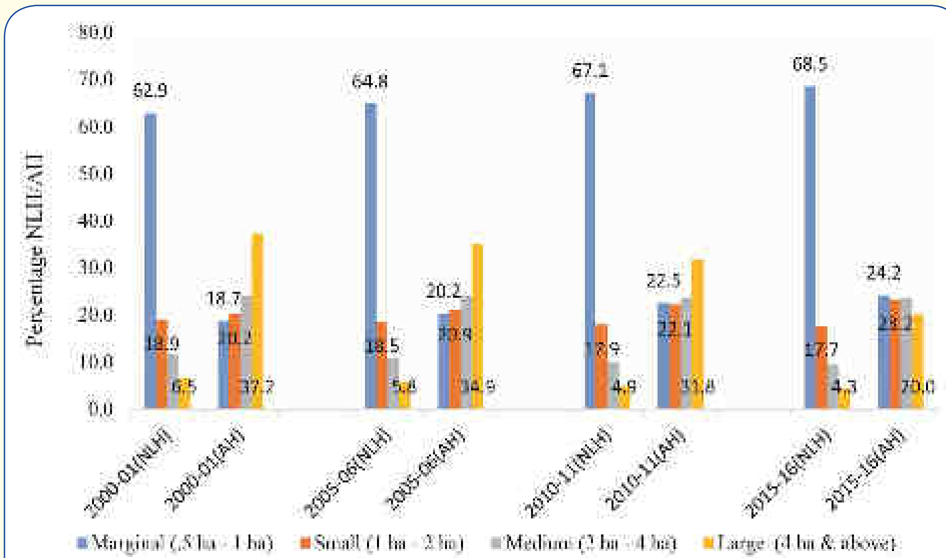

टिप्पणी: एनएलचः कार्यशील जोतों की संख्या, एएचः कार्यशील जोतों द्वारा उपयोग में लाई गई भूमि
स्रोतः कृषि जनगणना 2015-16

- बड़ी जोतें (4 हेक्टेयर से अधिक) 6.5 प्रतिशत से घटकर 4.3 प्रतिशत हो गई। सीमांत और छोटे कृषकों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे क्षेत्र में वर्ष 2000-01 में 38.9 प्रतिशत से वर्ष 2015-16 में 47.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि बड़ी जोतें इस अवधि के दौरान 37.2 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत रह गई।

7. कृषि ऋण वितरण का प्रतिशत

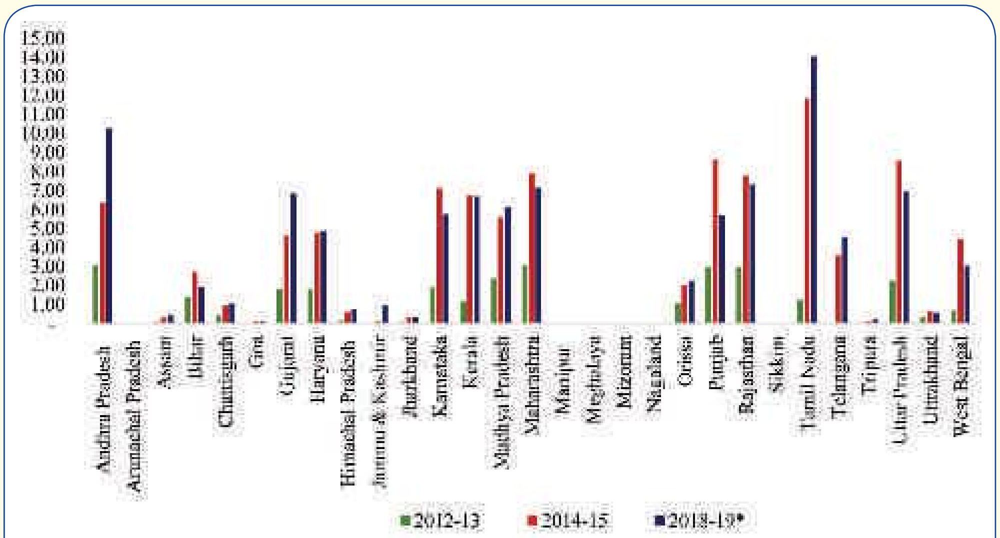

स्रोतः कृषि समन्वय और कृषक कल्याण विभाग (सितम्बर 2018 तक)

महत्वपूर्ण तथ्य

- कृषिगत विस्तार, कृषि उत्पादन को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करने, ग्रामीण जीवन में सुधार लाने और कृषकों की वरीयता और कृषि की परिपाटी को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
- समय पर ऋण या वित्त तक पहुंच कृषि ऋण की लाभप्रदता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है।
- यदि बुआई के समय बीज खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध नहीं है या यदि ऋण की कमी उर्वरकों के प्रयोग में देरी करती है तो यह कृषि उत्पादकता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।
- भारत में कृषि ऋण का क्षेत्रीय वितरण यह दर्शाता है कि ऋण का वितरण अत्यन्त विषम है। यह देखने में आया है कि पूर्वोत्तर, पर्वतीय और पूर्वी राज्यों में ऋण वितरण बहुत कम रहा है। कुल कृषि ऋण वितरण में पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा 1 प्रतिशत से कम रहा है।
- दक्षिण और पश्चिम भारत की तुलना में पूर्वी और उत्तर-पूर्व भारत में वित्तीय समावेशन अपेक्षाकृत कम है (क्रिसिल, 2018) लघु और सीमावर्ती जोतभूमि पूर्वी क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र, में बहुत उच्च (85 प्रतिशत) स्तर पर है। इसीलिए इन क्षेत्रों में अधिक कृषि ऋण संवितरण की आवश्यकता है।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

फिर लहराया परचम

पिछले वर्ष हमने बुलंदियां छुईं
और इस वर्ष बनाए कुछ नए कीर्तिमान

2017 में 120+ सफलताओं के बाद UPSC-2018 में भी 122+ चयन

AIR 1
KANISHAK KATARIA

AIR 3
JUNAID AHMED

ADMISSIONS OPEN FOR
NEW SESSION 2019-20

MUKHERJEE NAGAR (DELHI)
सामान्य अध्ययन
Pre-cum-Mains
19 AUG | 2:30 PM

LUCKNOW (ALIGANJ)
सामान्य अध्ययन
Pre-cum-Mains
19 AUG | 8:30 AM

LUCKNOW (GOMTI NAGAR)
सामान्य अध्ययन
Pre-cum-Mains
19 AUG | 8:30 AM
IAS WEEKEND BATCH
17 AUG | 5:30 PM

LAXMI NAGAR (DELHI)
सामान्य अध्ययन
IAS REGULAR BATCH
13 AUG | 10:30 AM
IAS WEEKEND BATCH
17 AUG | 11 AM
PCS BATCH
13 AUG | 7:30 AM
UP PCS TARGET FOR PRE
22 AUG | 6 PM

PRAYAGRAJ (ALLAHABAD)
सामान्य अध्ययन
Pre-cum-Mains
1 SEP | 5:30 PM
Focus Pre Batch
19 AUG | 5:30 PM

LIVE STREAMING
सामान्य अध्ययन
IAS REGULAR BATCH
13 AUG | 10:30 AM
IAS WEEKEND BATCH
17 AUG | 11 AM
PCS BATCH
13 AUG | 7:30 AM

COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES
TARGET 2020
18th AUGUST 2019
TOTAL 37 TESTS

वैकल्पिक विषय
- समाजशास्त्र
- इतिहास
- भूगोल
- राजनीति विज्ञान
- हिन्दी साहित्य

Face to Face Centres
DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068 , **LUCKNOW (ALIGANJ)** 0522-4025825 | 9506256789, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres
BIHAR : PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621| **GUJRAT** : AHMEDABAD - 9879113469| **HARYANA** : HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADYA PRADESH** : GWALIOR -9993135886, 9893481642 , JABALPUR - 8982082023, 8982082030, REWA – 9926207755, 7662408099| **MAHARASHTRA** : MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB** : PATIALA - 9041030070 , LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN** : JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND** : HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH** : ALIGARH – 9837877879, 9412175550 , AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962 , LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221 , VARANASI - 7408098888

FOR DETAILS VISIT US ON WWW.DHYEYAIAS.COM OR CALL ON 011 49274400
YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJRAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

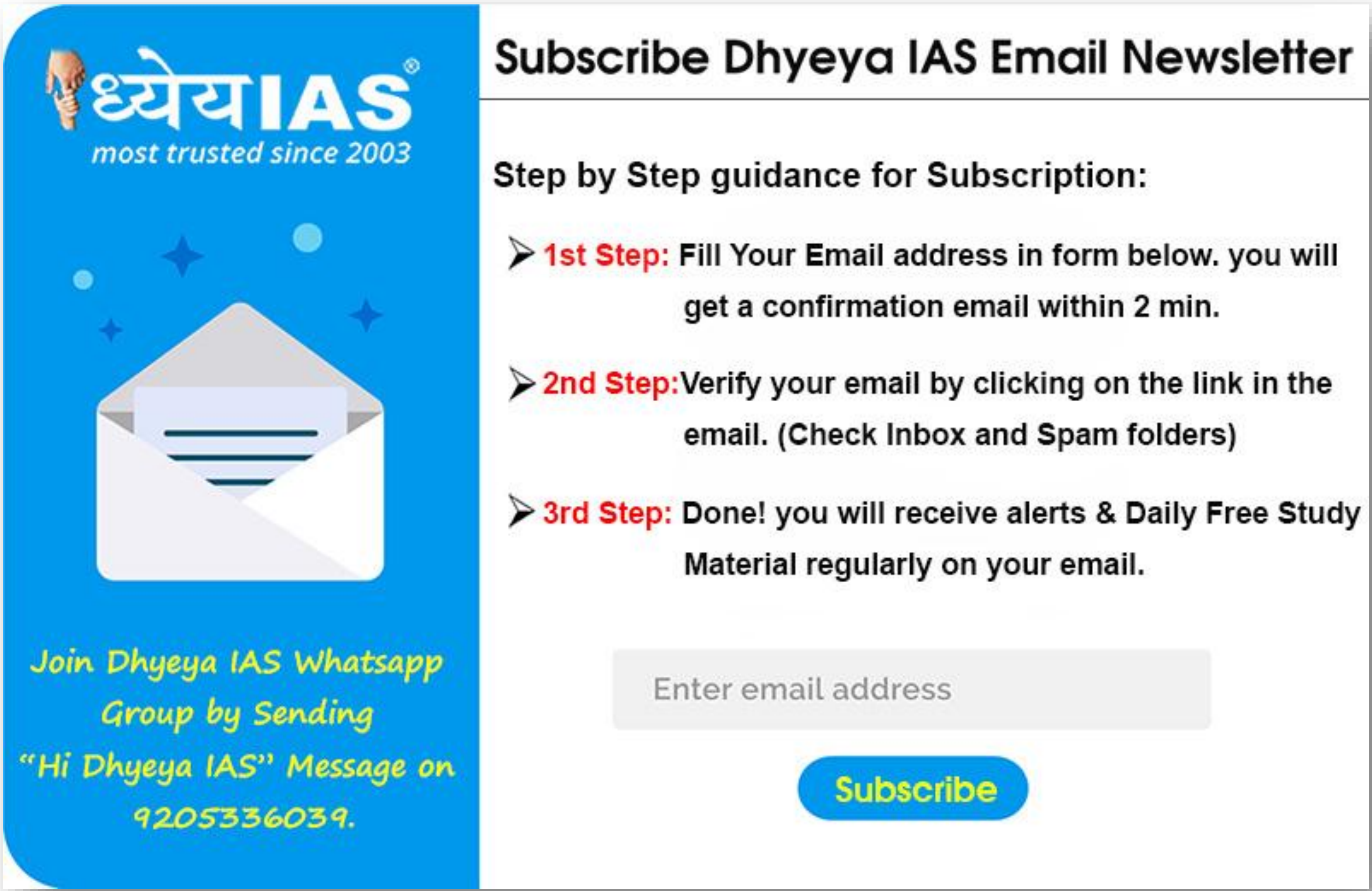

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9355174442 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें

नोट: अगर आपने हमारा Whatsapp नंबर अपने Contact List में Save नहीं किया तो आपको प्रीतिदिन के मैटेरियल की लिंक प्राप्त नहीं होंगी इसलिए नंबर को Save जरूर करें।

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400